रजिस्ट्री सं० डी०-(डी०)-73

REGISTERED No. D-(D)-73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 29, 1977 (कार्तिक 7, 1899)

No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 29, 1977 (KARTIKA 7, 1899)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग III—खण्ड 4

PART III—SECTION 4

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 19 सितम्बर 1977

इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गयी निम्नलिखित नियुक्ति की अधिसूचना दी जाती है :—

श्री आर० पी० श्रीवास्तव को केन्द्रीय कार्यालय के स्टाफ में दिनांक 3 सितम्बर, 1977 से उप शाखा निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है ।

इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गयी निम्नलिखित नियुक्ति की अधिसूचना दी जाती है –

श्री आर० चन्द्रा को केन्द्रीय कार्यालय के स्टाफ में दिनांक 7 सितम्बर, 1977 से उप शाखा निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है ।

दिनांक 5 अक्तूबर 1977

इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गयी निम्नलिखित नियुक्ति की अधिसूचना दी जाती है।

श्री एम० आर० मूलका को केन्द्रीय कार्यालय के स्टाफ में दिनांक 26 सितम्बर, 1977 से उप शाखा निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है ।

इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गयी निम्नलिखित नियुक्ति की अधिसूचना दी जाती है :—

श्री एच० के० टण्डन को केन्द्रीय कार्यालय के स्टाफ में दिनांक 28 सितम्बर, 1977 से शाखा निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है ।

इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गयी निम्नलिखित नियुक्ति की अधिसूचना दी जाती है :—

श्री टी० एस० कपुर को केन्द्रीय कार्यालय के स्टाफ मे दिनांक 29 सितम्बर, 1977 से उप शाखा निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है ।

इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गयी निम्नलिखित नियुक्ति की अधिसूचना दी जाती है :—

श्री एस० के० मुकर्जी को केन्द्रीय कार्यालय के स्टाफ मे दिनांक 30 सितम्बर, 1977 से शाखा निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है ।

एच० सी० सरकार
प्रबन्ध निदेशक

बम्बई, दिनांक 4 अक्तूबर 1977

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के नियम 50 के अंतर्गत निर्मित भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियमावली 1955 के विनियम 76(1) के अनुसरण में केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति निम्नलिखित हस्ताक्षराधिकारो का प्रयोग करने के लिए निम्नांकित कर्मचारियों को एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है :—

कितनी भी रकम की नगदी रसीदो पर हस्ताक्षर करना

शाखाओं के अतिरिक्त प्रधान रोकडिये ।

यह अधिसूचना दिनांक 18 मई 1966 की सूचना के संशोधन में जारी की जाती है ।

केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति
के आदेश से
हरिश्चन्द्र सरकार
प्रबंध निदेशक

दी इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 18 अक्तूबर 1977

(चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स)

स० 1-सी० ए० (99)/ 77 —चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स एक्ट 1949 (1949 का 38 वा) की धारा (1) के अधीन प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए कोंसिल आफ दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया ने चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स रेगुलेशन्स 1964 में निम्नलिखित सशोधन किए जो पहले ही प्रकाशित और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जा चुके है जैसा कि उपर्युक्त धारा की उप धारा (3) के अन्तर्गत अपेक्षित था ।

उपर्युक्त रेगुलेशन्स मे :—

उपर्युक्त रेगुलेशन्स की अनुसूची 'बी बी' के अंत में निम्नाकित अनुच्छेद जोड़े :

12 सशस्त्र सेनाओ के साथ सेवा को मान्यता

पेराग्राफ 10 व 11 के उद्देश्य के लिए, सशस्त्र सेनाओ मे एक आर्टिकिल्ड क्लर्क द्वारा अधिक से अधिक एक वर्ष अथवा एक आडिट क्लर्क द्वारा अधिक से अधिक दो वर्ष तक की गई सेवाए बतौर आर्टिकिल्ड क्लर्क अथवा आडिट क्लर्क जैसा भी मामला हो समझी जायेगी ।

13 प्रमाण पत्र के अभाव मे प्रशिक्षण का प्रमाण

ऐसे व्यक्ति के मामले मे, जो किसी ठोस कारण से किसी निर्विष्ट व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने मे असमर्थ है, कौसिल ऐसा प्रमाण चाहेगी, जिसके आधार पर यह निश्चित किया जा सके कि अमुक व्यक्ति ने पैराग्राफ 10 व 11 के अन्तर्गत अपेक्षित अवधि के लिए या तो एक आर्टिकिल्ड क्लर्क के रूप मे अथवा बतौर एक आडिट क्लर्क के रूप में काम किया है ।

14 भारत में स्थाई रूप से बसने के लिए प्रभावित भारतीय मूल के व्यक्तियों को छूट

(1) भारतीय मूलक व्यक्ति को, जो कि किसी दूसरे देश का नागरिक रहा है अथवा न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि के लिए स्थाई निवासी रहा है, तथा भारत आ गया है एवं इस तथ्य के संतोषजनक प्रमाण जुटा देता है कि आव्रजन के कारण इस उप पैराग्राफ के क्लाज (सी) के अन्तर्गत अंकित किसी मान्यता प्राप्त एकाउटैसी इस्टीट्यूट की निर्धारित परीक्षाओ अथवा प्रशिक्षण अवधि को पूर्ण नही कर सका, जिसमे वह बतौर विद्यार्थी पंजीकृत था तथा कौसिल की संतुष्टि के लिए उसे इस आशय का भी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि वह भारत में स्थाई रूप से बसने का इच्छुक है तथा उसने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली है, व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा परीक्षाओ के सदर्भ में निम्नांकित रियायतें दी जायेगी :—

(ए) यदि उसने इस उप-पैराग्राफ के क्लाज (सी) मे उल्लिखित किसी मान्यता प्राप्त एकाउन्टैन्सी इस्टीट्यूशन्स की प्रवेश, अथवा इंटरमीडिएट अथवा अंतिम परीक्षा का एक भाग उत्तीर्ण कर लिया है उसे इस्टीट्यूट की प्रवेश अथवा इटरमीडिएट अथवा अन्तिम परीक्षा का एक भाग, उत्तीर्ण कर लिया है, उसे इन्टीट्यूट की प्रवेश अथवा इन्टरमीडिएट परीक्षा अथवा अंतिम परीक्षा का एक भाग, जैसा कि कौसिल निश्चित करेगी, उत्तीर्ण किया हुआ माना जाएगा तथा कौसिल के निर्देशानुसार केवल शेष परीक्षा अथवा परीक्षा का एक भाग अथवा इस अनुसूची के अतर्गत निर्धारित परीक्षा ही उत्तीर्ण करनी होगी ।

(बी) यदि उसने इस उप-पैराग्राफ के क्लाज (सी) में उल्लिखित किसी मान्यता प्राप्त एकाउन्टैन्सी इस्टीट्यूशन्स की व्यावहारिक प्रशिक्षण की अवधि पूर्ण कर ली है अथवा इसका एक भाग पूर्ण कर चुका है, कौंसिल के निर्देशानुसार उसे ऐसे व्यावहारिक प्रशिक्षण अथवा इसके एक भाग को उत्तीर्ण किया हुआ माना जाएगा और उसके पश्चात् उसे या तो इस बात की छूट होगी कि वह कोई व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर ले अथवा कौंसिल के निर्देशानुसार उसे ऐसे व्यावहारिक प्रशिक्षण की अवधि की शेष अवधि को पूर्ण करना होगा।

(सी) इस पैराग्राफ में उल्लिखित मान्यता प्राप्त एकाउन्टैन्सी इंस्टीट्यूशन्स से तात्पर्य है :—

(1) दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स, इंग्लैंड तथा वेल्स में।

(2) दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ स्काटलैंड।

(3) दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ आयरलैंड।

(4) दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ सीलोन।

(5) दि पब्लिक एकाउन्टैन्टस एण्ड आडिटर्स बोर्ड आफ साउथ अफ्रीका।

(6) दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस आफ पाकिस्तान।

(7) बर्मा आडिटर्स सर्टिफिकेट सेल्स के अधीन स्थापित बोर्ड।

(8) दि इस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स आस्ट्रेलिया में।

(2) उपर्युक्त उप-पैराग्राफ के अधीन छूट के लिए ग्राहय व्यक्ति को लिखित रूप में ऐसी छूट के लिए आवेदन करना होगा तथा छूट शुल्क के समथ निम्नांकित कागजात जमा कराने होंगे :—

(1) व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं परीक्षाओ के संदर्भ में सम्बद्ध मान्यता प्राप्त एकाउन्टैन्सी इस्टीट्यूशन के नियमों एवं विनियमो की एक प्रति।

(2) उत्तीर्ण परीक्षा तथा प्राप्त प्रशिक्षण के सदर्भ में प्रशिक्षण अवधि के स्पष्ट उल्लेख सहित सम्बन्ध इंस्टीट्यूट द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

(3) इस नियोक्ता का प्रमाण पत्र जिसके यहां प्रत्याशी ने कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, ऐसे प्रशिक्षण अवधि की तिथि के उल्लेख सहित।

(4) इस आशय का घोषणा पत्र कि प्रत्याशी भारत का स्थाई निवासी है तथा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का इच्छुक है।

(5) इस आशय का एक घोषणा-पत्र कि केवल मात्र भारत में स्थाई रूप से आव्रजन के शरण ही प्रत्याशी को उस इस्टीट्यूट सदस्य, जिसके साथ वह विद्यार्थी के रूप में पजीकृत था ऐसे इंस्टीट्यूट के नियमों के अनुसार शेष परीक्षाए उत्तीर्ण करने पर अथवा पूरी प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने पर, बनाए रखा जाता है।

(3) उपर्युक्त उप-पैराग्राफ (1) के अधीन छूट के लिए ग्राहय व्यक्ति को छूट के लिए कौंसिल द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क अदा करना होगा।

पी० एस० गोपालाकृष्णन, सचिव

सचार मंत्रालय

(डाक-तार-बोर्ड)

नई दिल्ली-1, दिनाक 10 अक्तूबर 1977

सूचना

क्रम सं० 25/140/77-एल० आई०—कैप्टन अम्बरीश लाल आनन्द की क्रमांक एल०सी०-3980 दिनाक 9-4-75 की 25000/- रुपए की डाक जीवन बीमा पालिसी विभाग के संरक्षण से गुम हो गई है। यह सूचित किया जाता है कि उक्त पालिसी का भुगतान रोक दिया गया है। उपनिदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमेदार के नाम पालिसी की दूसरी प्रति जारी करने के अधिकार दे दिए गए हैं। जनता को चेतावनी दी जाती है कि मूल पालिसी के संबंध में कोई लेन-देन न करें।

क्रम सं० 25/116/77-एल० आई०—सिपाही क्लर्क शेर बहादुर सिह की क्रमांक एल०-20487 दिनांक 23-4-74 की 10,000/- रुपए की डाक जीवन बीमा पालिसी विभाग के संरक्षण से गुम हो गई है। यह सूचित किया जाता है कि उक्त पालिसी का भुगतान रोक दिया गया है। उपनिदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमेदार के नाम पालिसी की दूसरी प्रति जारी करने के अधिकार दे दिए गए है। जनता को चेतावनी दी जाती है कि मूल पालिसी के संबंध में कोई लेन-देन न करें।

एस० श्रीनिवासन
निदेशक (डाक जीवन बीमा)

कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम

बम्बई, दिनाक 6 अक्तूबर 1977

स० जी० एस० आर०—कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम, 1963 (1963 का 10) की धारा 82 (2) के अनुसरण में 30 जून 1977 को समाप्त हुए वर्ष के लिये निगम के कामकाज के बारे में बोर्ड की रिपोर्ट और 30 जून, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के लिये निगम का तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा नीचे प्रकाशित किये जाते है —

कृपुविनिगम एक दृष्टि मे

लाख रुपये

साधन	30 जून को समाप्त हुए वर्ष को			उपयोग	30 जून को समाप्त हुए वर्ष को		
	1975	1976	1977		1975	1976	1977
चुकता शेयर पूजी और आरक्षित राशिया	2272	2940	4211	निम्नलिखित को प्रदान किया गया पुनर्वित्त (बकाया)			
भारत सरकार से लिए गये उधार	19662	25009	34001	राज्य भूमि विकास बैंक	34382	42582	52544
(जिसमे से अतर्राष्ट्रीय विकास सघ (आईडीए)				(जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के अधीन)	(16756)	(24829)	(33208)
अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) की सहायता का अश	(11698)	(17045)	(26044)	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	5150	11195	18568
				(जिनमे से अविसघ/अपुवि परियोजनाओ के अधीन प्राप्त)	(1388)	(5353)	(10217)
भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गये उधार							
दीर्घकालीन प्रवर्तन निधि	8820	13840	17260				
अल्पकालीन	450	170	—	राज्य सहकारी बैंक	1154	1157	1108
खुले बाजार से लिए गये उधार	9921	13771	18171	जिनमे से (अविसंघ परियोजनाओ के अधीन प्राप्त	—	(7)	(18)

विकास का इतिहास

लाख रुपये

विवरण	जून के अन्त की स्थिति								
	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
चुकता शेयर पूंजी और आरक्षित राशियां	500	509	523	1044	1082	1650	2772	2940	421
विशेष जमा राशियां	61	74	87	99	117	141	179	230	292
राजकीय सहायता के ऋण	14	14	14	14	14	—	—	—	—
उधार :									
भारत सरकार से—	2575	4475	6675	7713	12485	16350	19662	25009	34001
भारतीय रिजर्व बैंक से	—	—	752	839	3820	6560	9270	14010	17260
अल्पावधि	—	—	752	339	370	1160	450	170	—
दीर्घावधि	—	—	—	500	3450	5400	8820	13840	17260
खुले बाजार से	—	1094	1946	2771	3871	6621	9921	13771	18171
दिया गया पुनर्वित (शुद्ध)	3040	5889	8893	12341	21614	30974	40686	54939	72220
डिबेंचर	2785	5460	8124	10964	19560	27151	34382	42582	52544
ऋण	255	429	769	1377	2054	3823	6304	12357	19676
अन्य आस्तियां	122	159	258	360	632	929	1417	2017	3040
निवेश और नगदी आरक्षित राशियां	52	250	1003	2	4	8	26	37	24
सकल आय	110	273	427	606	924	1553	2214	2991	4095
कर पूर्व लाभ	48	67	69	109	171	309	442	585	785
देय कर	26	37	34	58	89	160	231	309	340
करोत्तर लाभ	22	30	35	51	81	149	211	276	445
अदा किया गया लाभांश	21	21	21	31	44	66	89	109	173

सारणी 1

पुनर्वित्त का प्रयोजनवार वितरण

लाख रुपये

प्रयोजन	30 जून 1969 तक —	निम्नलिखित वर्षों में								30 जून 1977 को
		1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	
लघु सिंचाई	1281	2233	2306	2674	8418	8530	8378	10818	14210	58830
	(42 1)	(78.1)	(75 3)	(76.4)	(89 4)	(87.1)	(78.7)	(63.2)	(64.4)	(72.2)
भूमि विकास /उधार/संरक्षण/	1388	332	437	237	230	178	201	492	587	4063
कमान क्षेत्र विकास	(45.5)	(11.6)	(14 3)	(6 8)	(2 4)	(1.8)	(1.9)	(2.8)	(2.6)	(4.9)
कृषि मशीनीकरण/कृषि सेवा केन्द्र	14	16	11	36	218	375	1223	4575	5177	11665
	(0.5)	(0.6)	(0.4)	(1 0)	(2 3)	(3.9)	(11.5)	(26.7)	(23.4)	(14.3)
बागान/बागवानी	207	150	199	205	149	219	200	307	516	2165
	(6.7)	(5.2)	(6.5)	(5 9)	(1 6)	(2.3)	(1.9)	(1.8)	(2 3)	(2.6)
मुर्गीपालन और भेड़पालन	1	6	—	—	15	9	65	68	66	232
	(0.1)	(0.2)	(—)	(—)	(0 2)	(0.1)	(0.6)	(0.4)	(0.3)	(0.3)
मछलीपालन	56	36	37	59	12	86	178	243	196	902
	(1 8)	(1.3)	(1.2)	(1.7)	(0 1)	(0.9)	(1.7)	(1.4)	(0.9)	(1.1)
डेरी विकास	—	—	—	39	26	82	158	288	354	953
	(—)	(—)	(—)	(1.1)	(0.3)	(0.8)	(1.5)	(1.7)	(1.6)	(1.1)
भण्डार और बाजार केंद्र (माकट-यार्ड)	100	87	72	248	346	293	237	319	953	2652
	(3 3)	(3.0)	(2 3)	(7 1)	(3.7)	(3.0)	(2.2)	(1.9)	(4.3)	(3.2)
अन्य :—										
वानिकी	—	—	—	—	—	—	—	—	18	18
	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(0.1)	(0.1)
कृषि विमानन	—	—	—	—	—	12	—	5	—	17
	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	0.1	(—)	(0.1)	(—)	(0.1)
समेकित रूई विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5
									(0.1)	(0.1)
जोड़	3047	2860	3062	3498	9414	9784	10640	17115	22082	81502
	(100 0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।

सारणी 2

पुनर्वित्त का एजेंसीवार वितरण

लाख रुपये

एजेंसी	30 जून 1969 तक	निम्नलिखित वर्षों में								30 जून 1977 तक
		1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	
राज्य भूमि विकास बैंक	2785	2675	2665	2839	8614	7776	7706	9909	12670	57633
	(91.4)	(93.5)	(87 0)	(81.2)	(91.5)	(79.5)	(72.4)	(57.9)	(57.4)	(70.7)
जिसमें अविसंघ की सहायता का अंश	—	—	—	537	6358	5292	5158	9069	10053	36507
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	106	56	278	326	449	1736	2787	7075	9298	22117
	(3 5)	(2 0)	(9.1)	(9.3)	(4.8)	(17.7)	(26 2)	(41.3)	(42 1)	(27.1)
जिसमें अंपुवि बैंक की सहायता का अंश	—	—	111	8	4	1	10	31	30	195
जिसमें अविसंघ की सहायता का अंश	—	—	—	—	—	342	979	4133	5526	10980
राज्य सहकारी बैंक	156	129	119	333	351	272	147	131	114	1752
	(5 1)	(4 5)	(3.9)	(9.5)	(3.7)	(2.8)	(1.4)	(0.8)	(0.5)	(2 2)
जिसमें अविसंघ की सहायता का अंश	—	—	—	—	—	—	—	7	11	18
कुल जोड़	3047	2860	3062	3498	9414	9784	10640	17115	22082	8150
	(100.0)	(100 0)	(100 0)	(100.0)	(100 0)	(100 0)	(100 0)	(100.0)	(100 0)	(100 0)

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल का प्रतिशत है ।

कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम

चौदहवीं वार्षिक रिपोर्ट —1976-77

कारबार

आलोच्य वर्ष के दौरान निगम के कारबार के मुख्य पहलू इस प्रकार थे—वितरण का नया उच्च स्तर, क्षेत्रीय असंतुलन कम करने के लिये और अधिक विशाखीकरण और संवर्धन कार्य, पहली क पु वि निगम ऋण परियोजना का निर्धारित समय से छ महीने पहले ही पूरा किया जाना और अं वि संघ से निगम को 2000 लाख डालर की दूसरी ऋण प्रणाली की स्वीकृति।

1.2 इस वर्ष के दौरान निगम के पुनर्वित्त का कुल वितरण 221 करोड रुपये तक पंहुच गया। इस प्रकार आलोच्य वर्ष के लिये परिकल्पित 220 करोड रुपये का सदर्श उधार कार्यक्रम पूरा किया गया। इससे यह पता लगता है कि कृषि निवेश का कार्य करने के लिये सांस्थानिक ऋण की मांग बढ़ रही है और कृषि की उत्पादक योजनाओं के वित्तपोषण हेतु आवश्यक सहायता और साधन प्रदान करने के लिये निगम के प्रति सामान्य विश्वास बढ़ रहा है।

1.3 वितरण का अधिकांश भाग अर्थात् 156 करोड़ रुपये अथवा 71 प्रतिशत विश्व बैंक समूह द्वारा सहायता की गयी परियोजनाओं से संबंधित था। निगम के आरम्भ से लेकर अब तक उसके द्वारा किया गया पुनर्वित्त का कुल वितरण 815 करोड रुपये तक पहुच गया। इसमे विश्व बैंक द्वारा सहायता की गई विभिन्न योजनाओ के लिये वितरित वे 477 करोड़ रुपये शामिल है जिनके कारण निगम 3500 लाख डालर की विदेशी मुद्रा आहरित करने के योग्य हो सका।

1.4 प्राय: सभी राज्यो ने (महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, दिल्ली, पाडिचेरी, गोवा और त्रिपुरा को छोड़कर) पुनर्वित्त प्राप्त करने में वृद्धि की है। (सारणी 4)। महाराष्ट्र मे कमी का कारण यह था कि 1975-76 के दौरान रा भू वि बैंको के अतिदेयो का उच्च स्तर विद्यमान था जिसके कारण इस बैंक की शाखाओ के पात्र उधार कार्यक्रम में रुकावट आयी और इसके फल-स्वरूप सामान्य और विशेष विकास डिबेचर कार्यक्रम दोनो के अन्तर्गत उपलब्ध पुनर्वित्त की मात्रा मे कमी आयी।

1.5 उत्तर प्रदेश, कुल 37 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त प्राप्त करके लगातार चौथे वर्ष भी पुनर्वित्त प्राप्त करने मे अन्य राज्यों से अग्रणी बना रहा और इसके बाद क्रमश: मध्य प्रदेश (26 करोड रुपये), कर्नाटक (22 करोड रुपये) और आध्र प्रदेश (21 करोड रुपये) का स्थान था। उत्तर प्रदेश के मामले में पिछले वर्ष की अपेक्षा 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.6 निगम के आरम्भ से लेकर अब तक उसकी पुनर्वित्त सहायता से अधिकतम लाभान्वित होने वाले जिन राज्यों मे से प्रत्येक ने कुल वितरण का 10 प्रतिशत से अधिक भाग प्राप्त किया है वे उत्तर प्रदेश (121 करोड़ रुपये) और महाराष्ट्र (88 करोड रुपये) है। अन्य राज्यो मे से तमिलनाड़ (78 करोड रुपये), कर्नाटक (77 करोड़ रुपये), आन्ध्र प्रदेश (76 करोड़ रुपये), हरियाणा (75 करोड रुपये), मध्य प्रदेश (71 करोड़ रुपये), और पंजाब (68 करोड रुपये), में से प्रत्येक ने पुनर्वित्त के 8 से 10 प्रतिशत के बीच की राशि प्राप्त की है।

1.7 निगम से प्राप्त पुनर्वित्त की मात्रा के अनुसार राज्यो का श्रेणीक्रम सारणी 3 में दर्शाया गया है। आलोच्य वर्षके दौरान जिन राज्यो ने अपनी स्थिति मे सुधार किया है वे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बगाल है, जबकि कई अन्य राज्यो, विशेषकर महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार और उड़ीसा का श्रेणीक्रम इस तथ्य के बावजूद कम हो गया है कि महाराष्ट्र को छोडकर अन्य राज्यो द्वारा प्राप्त पुनर्वित्त की कुल मात्रा पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक थी।

सारणी 3

निगम से आहरित पुनर्वित्त की राशि के अनुसार राज्यो का श्रेणी क्रम

राज्य	1974-75	1975-76	1976-77
उत्तर प्रदेश	1	1	1
मध्य प्रदेश	3	4	2
कर्नाटक	5	3	3
आंध्र प्रदेश	7	8	4
महाराष्ट्र	2	2	5
हरियाणा	4	5	6
पजाब	10	7	7
विहार	6	6	8
तमिलनाडु	8	9	9
राजस्थान	11	10	10
पश्चिम बंगाल	14	14	11
उड़ीसा	13	11	12
गुजरात	9	12	13
केरल	12	13	14

सारणी 4

पुर्नवित्त का विवरण-राज्यवार

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	30 जून 1969 तक	निम्नलिखित वर्षों में								30 जून 1977 तक
		1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	
I. उत्तरी क्षेत्र										
दिल्ली	—	6 (0.2)	—	—	—	7 (0.1)	12 (0.1)	28 (0 2)	10 (0 1)	64 (0 1)
हरियाणा	303 (9.9)	263 (9 2)	362 (11 8)	326 (9.3)	1020 (10.8)	803 (8.2)	1075 (10 1)	1569 (9 2)	1770 (8.0)	7491 (9 1)
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	4 (0.1)	4 (0 1)	16 (0 1)	2 (—)	28 (—)
जम्मू और काश्मीर	32 (1.0)	20 (0.7)	11 (0.4)	7 (0.2)	—	—	—	17 (0.1)	6 (—)	94 (0 1)
पंजाब	653 (21.4)	654 (22 9)	556 (18 2)	386 (11 0)	607 (6.5)	489 (5 0)	407 (3 8)	1306 (7 6)	1731 (7 8)	6787 (8 3)
राजस्थान	6 (0 2)	77 (2.7)	77 (2 5)	83 (2.4)	136 (1.4)	283 (2 9)	350 (3 3)	536 (3 1)	787 (3 6)	2341 (2 9)
	994 (32 5)	1020 (35.7)	1006 (32 9)	802 (22.9)	1763 (18 7)	1586 (16.3)	1848 (17 4)	3472 (20 3)	4306 (19 5)	16805 (20 5)
II उत्तरी पूर्वी क्षेत्र										
असम	70 (2 4)	4 (0.1)	—	32 (0.9)	—	29 (0 3)	—	5 (—)	70 (0.3)	210 (0 2)
मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
नागालैंड	—	—	—	—	—	4 (0 1)	4 (0.1)	2 (—)	3 (—)	13 (0 1)
मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	5 (—)	8 (0 1)	13 (0 1)
त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	1 (—)	2 (—)	3 (—)
	70 (2.4)	4 (0.1)	—	32 (0 9)	—	33 (0.4)	4 (01)	13 (0 1)	83 (0 4)	239 (0 4)

सारनी–4 (जारी)

पुनर्वित्त का विवरण राज्यवार

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	30 जून 1969 तक	निम्नलिखित वर्षों में								30 जून 1977 तक
		1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	
III पूर्वी क्षेत्र										
बिहार	18	61	113	67	154	585	932	1318	696	4938
	(0.6)	(2.1)	(3 7)	(1.9)	(1.6)	(5.9)	(8 8)	(7.6)	(7 7)	(6.1)
उड़ीसा	4	18	6	8	11	8	82	338	565	1036
	(0.1)	(0.6)	(0.2)	(0.2)	(0.1)	(0.1)	(0 8)	(2.0)	(2 6)	(1.3)
पश्चिम बंगाल	2	1	10	5	4	22	69	159	590	859
	(0.1)	(0.1)	(0.3)	(0.2)	(0.1)	(0.2)	(16)	(1.0)	(2.70)	(1.1)
	24	80	129	80	169	615	1083	1815	2851	6833
	(0.8)	(2.8)	(4.2)	(2.3)	(1.8)	(6.2)	(10.2)	(10.6)	(13.0)	(8.5)
IV. मध्य क्षेत्र										
मध्य प्रदेश	29	49	91	187	319	645	1234	1932	2610	7105
	(1 0)	(1.7)	(2,9)	(5.3)	(3.4)	(6 6)	(11 6)	(11.3)	(11 8)	(8 7)
उत्तर प्रदेश	122	256	293	604	1143	1498	1849	2598	3720	12081
	(4 0)	(9.0)	(9.6)	(17.3)	(12 1)	(15.3)	(17.3)	(15.2)	(16 9)	(14 8)
	151	305	384	791	1462	2143	3083	4530	6330	19186
	(5 0)	(10.7)	(12.5)	(22 6)	(15 5)	(21.9)	(28 9)	(26 5)	(28 7)	(23 5)

सारनी–4 (जारी)

पुनर्वित का वितरण-राज्यवार

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य सघशासित क्षेत्र	30 जून 1969 तक	निम्नलिखित वर्षों मे								30 जून 1977 तक
		1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	
	—	—	—	—	—	3	5	23	24	55
						(0.1)	(0 1)	(0.1)	(0.1)	(0 1)
गुजरात	207	131	190	262	2794	788	427	333	402	5534
	(6.8)	(4.6)	(6.2)	(7 5)	(29 7)	(8 0)	(4.0)	(1 9)	(1.8)	(6 8)
महाराष्ट्र	189	349	233	456	732	1271	1358	2248	1928	8768
	(6 2)	(12.2)	(7.6)	(13.0)	(7 8)	(13 0)	(12 7)	(13.2)	(8 7)	(10 8)
	396	480	423	718	3526	2062	1790	2604	2354	
	(13 0)	(16 8)	(13 8)	(20 5)	(37 5)	(21 1)	(16 8)	(15 2)	(0.6)	(17.7)
VI दक्षिणी क्षेत्र										
आध्र प्रदेश	809	607	342	285	847	423	892	1295	2122	7620
	(26 5)	(21.2)	(11.2)	(8.2)	(9.0)	(4 3)	(8 4)	(7.6)	(9.6)	(9.3)
कर्नाटक	261	166	274	325	405	1099	1008	1946	2190	7675
	(8.6)	(5.7)	(8.9)	(9 3)	(4 3)	(11 2)	(9.5)	(11.4)	(9 9)	(9.4)
केरल	17	35	82	97	28	103	100	208	247	917
	(0 5)	(1.2)	(2.7)	(2 8)	(0 3)	(1 0)	(0.9)	(1 2)	(1 1)	(1.1)
पडिचेरी	—	—	—	—	—	8	15	4	—	27
						(0.1)	(0.1)	(0 1)		(0 1)
तमिलनाडु	325	162	422	368	1213	1712	817	1228	1599	7843
	(10 7)	(5.7)	(13.8)	(10 5)	(12 9)	(17.5)	(7.7)	(7 2)	(7 2)	(9 5)
	1412	970	1120	1075	2493	3345	2832	4681	6158	24082
	(46 3)	(33.9)	(36 6)	(30.8)	(26 5)	(34 1)	(26 6)	(27 5)	(27 8)	(29 4)
कुल जोड (I से VI)	3047	2860	3062	3498	9414	9784	10640	17115	22082	81502
	(100 0)	(100.0)	(100 0)	(100 0)	(100 0)	(100.0)	(100 0)	(100.0)	(100 0)	(100 0)

कोष्ठको मे दिये गये आंकडे कुल का प्रतिशत है ।

1 8 यदि प्रयोजनवार देखा जाए, कृ पु वि निगम के वितरण का अधिकाश भाग लघु सिचाई के लिये प्रदान किया गया (सारणी 1)। 1 आलोच्य वर्ष के दौरान इसके लिये 142 करोड रुपये अथवा पुनर्वित्त की कुल राशि का 64 प्रतिशत वितरित किया गया। पिछले वर्ष उसके 63 प्रतिशत का वितरण किया गया था । इस पर भी कार्यों के विशाखीकरण में वृद्धि होने के बावजद इस श्रेणी (588 करोड रुपयों का सकल वितरण) का अश कुल वितरणों की तुलना में घटकर 72 प्रतिशत रह गया जबकि पिछले वर्ष उसका वह अश 75 प्रतिशत था । लघु सिचाई के अन्तर्गत किये गये वितरण में पम्प सेटों में बिजली लगाने के लिये 11 करोड रुपयों की सहायता शामिल है जबकि इस कार्य के लिए पिछले वर्ष 6 करोड रुपये प्रदान किये गये थे, इस योजना के अन्तर्गत तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और उडीसा ने पुनर्वित्त सहायता प्राप्त की है, जबकि गुजरात, केरल और राजस्थान के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

1 9 कृषि मशीनीकरण के लिये किया गया वितरण से पिछले वर्ष के 46 करोड रुपयों से बढकर 52 करोड रुपये हो गया है। इस वर्ष के अन्तर्गत पिछले दो वर्षों के दौरान किये गये अधिकतर वितरण पजाब, हरियाणा, आध्र प्रदेश, कर्नाटक, और तमिलनाडु की कृषि ऋण परियोजनाओं के अतर्गत आयातित और देशी ट्रैक्टरों को प्राप्त करने में हुई क्षति को पूरा करने के लिये किये गये थे। भडार और बाजार केन्द्र (मार्केट यार्ड) अन्य ऐसे वर्ग थे, जिनके अन्तर्गत इस वर्ष के दौरान काफी वितरण किया गया है और इनके अधीन 9 5 करोड रुपये वितरित किये गये हैं जबकि पिछले वर्ष के दौरान 3 2 करोड़ रुपये वितरित किये गये थे। अनाज के सग्रह के लिये भारतीय खाद्य निगम को पट्टे पर देने के निमित्त निजी पार्टियों द्वारा गोदामों का प्राथमिकता के आधार पर निर्माण करने हेतु भारतीय खाद्य निगम (भा खा निगम) की योजना के लिये वितरण का अधिकाश भाग प्रदान किया गया था । वाणिज्य बैंकों द्वारा पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में चाय बागानों का वित्तपोषण पुन प्रारम्भ किया गया है। इस वर्ष के दौरान 73 लाख रुपयों के वायदों वाली पाच नयी योजनाए मजूर की गयी हैं और 38 लाख रुपयों का वितरण किया गया है। भूमि विकास, बागान और बागवानी और डेरी विकास के अन्तर्गत किये गये वितरण में वृद्धि परिलक्षित होती रही तथा अगले दो वर्षों के दौरान इनसे सबधित वितरण में और अधिक वृद्धि होने की सभावना है।

1 10 पिछले वर्ष के अन्त तक और जून, 1977 को वायदों से वितरण का प्रतिशत सारणी 5 में दर्शाया गया है। आलोच्य वर्ष के दौरान किये गये कुल आहरण कृ पु वि निगम के कुल वायदों के 38 करोड रुपयों का करीब 58 प्रतिशत होते हैं जबकि पिछले वर्ष का उक्त प्रतिशत 57 7 था। (विवरण 1)

सारणी 5

वायदों से वितरण का प्रतिशत

करोड़ रुपये

प्रयोजन	1975-76 तक कृ पु वि निगम के वायदे	30 जून 1976 तक आहरित राशि	2 से 3 का प्रतिशत	1976-77 तक कृ पु वि निगम के वायदे	30 जून 1977 तक आहरित राशि	5 से 6 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1 लघु सिचाई .	611.2	446 0	73.0	754 7	588 3	78.0
2 भूमि विकास और भूमि सरक्षण .	54 5	35.0	64 2	70 3	40.7	57.9
3 कृषि मशीनीकरण . .	100.1	65.0	64 9	146 0	116.7	79.9
4 बागान और बागवानी . .	30.2	16 4	54 3	34 3	21.7	63.3
5 मुर्गी और भेड पालन . .	2.7	1.6	59.3	4.8	2 3	47.9
6 मछली पालन . . .	10.8	7.1	65.7	14 5	9 0	62.1
7 डेरी विकास . . .	14.9	5.9	39.6	18.7	9.5	50.8
8 भडार सुविधाए और बाजार केन्द्र	23 4	17 0	72 6	44 9	26.5	59.0
जोड .	847 8	594 0	70 1	1088 2	814 6	74.7

1.11 पुनर्वित्त कार्यक्रम में अड़सठ सदस्य बैंकों ने भाग लिया । इनमें 16 भूमि विकास बैंक, 36 अनुसूचित वाणिज्य बैंक और 16 राज्य सहकारी बैंक शामिल है । यदि एजेंसी के अनुसार देखा जाए, भूमि विकास बैंक निगम के मुख्य ग्राहक बन रहे जबकि वाणिज्य बैंक का स्थान उनके बहुत ही निकट था (सारणी 2) । आलोच्य वर्ष के दौरान भू वि बैंकों को 127 करोड़ रुपये का कुल पुनर्वित्त प्रदान किया गया जो पिछले वर्ष के दौरान उनको प्रदान किये गये 99 करोड़ रुपयों से 28 प्रतिशत अधिक था । पिछले दो वर्षों के दौरान कुल वितरणों में इन बैंकों के वितरणों का अंश 57 प्रतिशत पर प्राय स्थिर बना रहा । यह महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में कार्यरत जिन भू वि बैंकों ने इससे पहले के वर्षों में पर्याप्त पुनर्वित्त प्राप्त नहीं किया था उन्होंने अपने वसूली कार्य में वृद्धि हेतु जोरदार कदम उठाये हैं और इस प्रकार व इस वर्ष के दौरान बढ़े हुए उधार कार्यक्रमों के पात्र हो गये हैं ।

सारणी 6

लाख रुपये

भू वि बैंक का नाम	रा भु वि बैंकों को प्रदान किया गया पुनर्वित्त		
	1974-75	1975-76	1976-77
राजस्थान	213	276	327
बिहार	712	592	764
उड़ीसा	46	101	357
पश्चिम बंगाल	28	129	281
मध्य प्रदेश	824	930	1535
उत्तर प्रदेश	1326	1605	2009

1.12 वाणिज्य बैंकों का कार्य उत्साहवर्धक रहा है । कृ पु वि निगम इसे अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानता है कि वाणिज्य बैंक उसके कार्यक्रमों में इधर हाल ही के वर्षों से भाग लेने लगे हैं । उक्त बैंकों द्वारा 1975-76 में प्राप्त पुनर्वित्त 71 करोड़ रुपयों से बढ़कर इस वर्ष के दौरान 93 करोड़ रुपये हो गया है । कुल पुनर्वित्त में उनका अंश 41 प्रतिशत से थोड़ा सा बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है । वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राप्त राशि का करीब 45 प्रतिशत विशेषकर उन क्षेत्रों की लघु सिंचाई योजनाओं के लिये है जहां सहकारी ऋण विन्यास कमजोर है । वाणिज्य बैंकों ने विशाखीकृत उधार प्रदान करने, विशेषकर कृषि मशीनीकरण, डेरी विकास और भंडार बाजार केन्द्र के लिये उधार देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है ।

1.13 राज्य सहकारी बैंकों ने कृ पु वि निगम की योजनाओं में न के बराबर भाग लिया है और उन्होंने निगम से केवल 1 करोड़ रुपये ही प्राप्त किये हैं । उड़ीसा राज्य सहकारी बैंक ने अपने कार्यक्रमों, नीतियों और प्रक्रियाओं का इस उद्देश्य से पुनर्निर्धारण करने के जो प्रयास किये हैं कि लघु सिंचाई के लिये परियोजना ऋण प्राप्त करने में सुविधा हो, वे वास्तव में सही दिशा में किये गये प्रयत्न हैं ।

1.14 कृ पु वि निगम ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक 815 करोड़ रुपयों के कुल वितरण किये हैं जो आधार स्तर पर लगभग 1020 करोड़ रुपयों के निवेश के द्योतक हैं । और इनमें उधारकर्ताओं, सदस्य बैंकों और राज्य सरकारों द्वारा किये गये अंशदान शामिल हैं । अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर विभिन्न योजनाओं के अधीन वास्तविक उपलब्धि की स्थिति नीचे दर्शायी गयी है .

नलकूप	2,28,400
खोदे गये कुएं	3,60,700
बिजली के पंपसेट/तेल इंजन	5,24,600
उद्वाही सिंचाई	1,000
अन्य (बरमा और रहट)	14,750

	हेक्टेयर		हेक्टेयर
काफी	8,670	सुपारी	1,300
चाय	1,975	सेब	7,200
रबड़	2,000	नीबू प्रजाति के फल और	
इलायची	1,425		
नारियल	37,900	अन्य फल	1,09,00

1.15 निगम ने अपने कार्यकलाप के 14 वर्षों के दौरान करीब 23.5 लाख हेक्टेयर भूमि को बहु फसली क्षेत्र के अन्तर्गत लाने में सहायता पहुंचाई है । बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के कमान क्षेत्र के अन्तर्गत विकसित भूमि और भूमि संरक्षण योजनाओं के अधीन उन्नत किया गया क्षेत्रफल कुल मिलाकर 8.2 लाख हेक्टेयर होता है । बागान और बागवानी की विभिन्न योजनाओं के अधीन विकसित कुल क्षेत्रफल लगभग 71,400 हेक्टेयर होता है ।

1.16 जिन अन्य कार्यकलापों के लिये निगम द्वारा पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की गई हैं वे नीचे लिखे अनुसार हैं :—

भंडार	21.50 लाख मीटरी टन
बाजार केन्द्र	175 यूनिट
ट्रैक्टर	24,000 यूनिट
कंबाइन/फसल काटने की मशीनें / बुलडोजर/ बिजली चलित जोतने की मशीनें	2,070 यूनिट
जालवाले पोत/यंत्रीकृत नावें	1,410 यूनिट
दुधार पशु	47,500 पशु
मुर्गीपालन के पक्षी	6,81,200 चूजे
भेड़	95,250 पशु
कृषि विभाग	2 यूनिट

स्वीकृतियाँ

आलोच्य वर्ष के दौरान स्वीकृत योजनाओं की सख्या और वायदा को गयी पुनर्वित्त की राशि दोनो मे ही उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । 1975-76 में 297 करोड़ रुपये की वायदे वाली 909 योजनायें मजूर की गई थी । इसके मुकाबले निगम ने आलोच्य वर्ष के दौरान 1653 योजनाये मंजूर की है जिनके वायदे की कुल राशि 307 करोड़ रुपये है (विवरण 2) । सामान्य प्रवृत्ति के अनुरूप लघु सिचाई एकमात्र ऐसा विशालतम प्रयोजन बना रहा जिसकी 657 योजनाओं के वायदे की कुल राशि 178 करोड़ रुपये है जबकि पिछले वर्ष इस प्रयोजन के लिये 410 योजनाए मजूर की गयी थी और उनके वायदो की राशि 167 करोड़ रुपये थी । ऋण के विशाखीकरण मे महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। आलोच्य वर्ष के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की योजनाओं सहित भूमि विकास, बागान और बागवानी, मुर्गी और भेडपालन, डेरी विकास और भडार और बाजार केन्द्र की योजनाये बडी सख्या में मजूर की गयी है । लघु सिचाई को छोड़कर अन्य प्रयोजनों की योजनाओं की सख्या 996 है । इनमे सबधित वायदो की कुल राशि 129 करोड़ रुपये होती है जबकि पिछले वर्ष स्वीकृत 499 योजनाओ के लिये वायदो की राशि 130 करोड़ रुपये थी । आजकल बैंक सधन कम परिव्यय वाली ऐसी योजनाओ को तरजीह दे रहे है जो सघन क्षेत्र मे कार्यान्वित की जाती हो ।

2.2 आलोच्य वर्ष के दौरान स्वीकृत योजनाओं की सख्या और वायदो की मात्रा दोनो ही दृष्टियो मे वाणिज्य बैंको का प्रथम स्थान था (विवरण 4) । वाणिज्य बैंको की 156 करोड़ रुपयो की वायदेवाली 1105 योजनाएं मजूर की गयी है जबकि पिछले वर्ष के दौरान उनकी 119 करोड़ रुपयों के वायदा राशिवाली 650 योजनाए मजूर की गयी थी । भू वि बैंको को मंजूर की गई योजनाओं की सख्या मे भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और उनकी सख्या पिछले वर्ष की 256 के मुकाबले 528 हो गई है किन्तु उनके वायदों की कुल राशि 177 करोड़ रुपयो के मुकाबले घटकर 141 करोड रुपये रह गयी है । भू वि बैंकों द्वारा अपने उधार प्रदान किये जाने मे विशाखीकरण लाने की प्रवृत्ति जारी रही । आलोच्य वर्ष के दौरान उन्हे विशाखीकृत उधार प्रदान करने की 276 योजनाए मजूर की गयी है । वाणिज्य बैंको द्वारा प्रवर्तित अधिकाश योजनाएं विशाखीकृत उधार से सबधित थी ।

2.3 राज्य सहकारी बैंको को स्वीकृत योजनाओ की संख्या मे थोड़ी सी वृद्धि हुई है । पिछले वर्ष के दौरान उन्हे 1 करोड़ रुपये से कम के वायदेवाली केवल तीन योजनाएं मंजूर की गई थीं जबकि आलोच्य वर्ष के दौरान उन्हे 10 करोड रुपयों के वायदेवाली बीस योजनाये स्वीकृत की गयी हैं । जहा तक कृ पु वि निगम के कार्यक्रमो का संबंध है, इन बैंको ने निगम के मुख्यत: डेरी, मुर्गीपालन और मछलीपालन से सबधित कार्यक्रमों मे बहुत कम भाग लिया है ।

2.4 जून 1977 के अन्त तक निगम ने 4487 योजनाये मंजूर की है और इनके वायदो की कुल राशि करोड़ 1465 रुपये है (सारणी 5) । इनमे स 500 करोड रुपये के वायदेवाली 2882 योजनाए वाणिज्य बैंको को, 935 करोड़ रुपयों के वायदेवाली 1541 योजनाए भू वि बैंको को और 30 करोड़ रुपयों के वायदेवाली 64 योजनाए राज्य सहकारी बैंको को मजूर की गयी है । (विवरण 7) ।

क्षेत्रीय असतुलन-राज्य सरकारो की प्रतिक्रिया

2.5 अल्प विकसित क्षेत्रो की अपनी अपनी विशेषतायें हैं, जो व्यापक दिग्दर्शन कराती है । एक ओर जहा पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र मे ऐसे विशाल साधनो की सभावना है जिनका अधिकाशत दोहन नही हुआ दूसरी ओर वहा 13 राज्यो के 74 जिलो मे पूरे या आशिक रूप से पुरातन सूखाग्रस्त क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र हैं । पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों मे खेतो की कम उत्पादकता के कारण समय समय पर बाढे आने के अलावा छोटी और विखंडित जोतो, जमीन की हक़दारी के असतोषजनक अभिलेखो, कमजोर ऋण विन्यास, कुछ क्षेत्रो मे जनसख्या का अधिक दबाव और अवस्थापना सुविधाओ की अपर्याप्तता है । सूखा प्रवण क्षेत्रो में कम और अनिश्चित वर्षा के कारण उत्पन्न अधिक जोखिम के फलस्वरूप नयी प्रौद्योगिकी के अपनाये जाने मे कठिनाई होती है । पहाड़ी क्षेत्रो मे भूमि साधन सीमित (कुल क्षेत्र का करीब 11 प्रतिशत) है तथा अवस्थापना और सचार की कमी और कमजोर ऋण विन्यास भी उसके विकास मे बाधक है । आठ राज्यो मे फैले हुए ऐसे 43 जिले है जिनकी जनसख्या मे जनजातिया अधिक है । अत. इन क्षेत्रो के विकास का कोई भी युक्तितत्र बहुविध होना चाहिये और उसका लक्ष्य विशिष्ट अवरोधो को दूर करना होना चाहिये ।

2 6 हाल ही के वर्षों मे कम विकसित और/या कम बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्रो के रूप मे अभिनिर्धारित इन क्षेत्रो मे कृषि विकास के लिये निवेशो मे वृद्धि करने मे महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और वृद्धि की इस प्रवृत्ति मे इस वर्ष के दौरान तेजी लाई गई (विवरण 8) । पिछली रिपोर्टों मे निगम द्वारा इन क्षेत्रो मे विकास का सवर्धन करने वाली कार्रवाईयो उदाहरणार्थ सबधित क्षेत्रीय कार्यालयो और सस्थाओं के कर्मचारियो की सख्या मे वृद्धि करना, योजना तैयार करने मे सहायता पहुचाने के लिये परामर्शदात्री इकाईयों की स्थापना, पुनर्वित्त की मात्रा बढ़ाने और निवेश पूर्ण सर्वेक्षणो के विस्तृत ब्योरे दिये गये थे । व्यवहार्य परियोजनाओ के निरुपण और ऋण प्रदान किये जाने मे वृद्धि करने के लिये सबधित राज्य सरकारो से भी निकटतम और सतत संबध बनाये रखे गये ।

2.7 पिछले तीन वर्षों के दौरान इन मिले जुले प्रयासो का विशेष रूप से मध्यवर्ती क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है । केवल इन दो राज्यों में ही 1976-77 के दौरान कृ पु वि निगम के 63 करोड़ रुपये के

वितरण अर्थात् कुल वितरणों की 30 प्रतिशत राशि का वितरण किया गया। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है उत्तर प्रदेश चौथे वर्ष भी वितरणों की दृष्टि से अग्रणी बना रहा और वहां इस वर्ष भी सबसे अधिक राशि वितरण किये गये और मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा था। इस वर्ष अ वि संघ द्वारा सहायता की गई उत्तर प्रदेश कृषि ऋण परियोजना अपने कार्यान्वयन के अंतिम चरण में थी और मध्य प्रदेश कृषि ऋण परियोजना पूर्णरूपेण कार्यान्वित कर दी गयी। मध्य प्रदेश में पश्चिम जर्मन के प्राधिकारी होशंगाबाद जिले के तवा सिंचाई कमाड क्षेत्र के समेकित विकास के लिये क्रेदिटानस्टल्ट फर वादरोफाऊ (के एफ डब्लू) के माध्यम से एक ऋण प्रणाली के पहले चरण के रूप में ऋण प्रदान करने पर विचार कर रहे हैं। खेतों के ऊपरी विकास और मशीनों की खरीद के लिये ऋण का वितरण कृ पु वि निगम के माध्यम से किये जाने की आशा है।

2.8 बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कृ पु वि निगम के पुनर्वित के वितरण में काफी अधिक वृद्धि हुई है। इस वर्ष के दौरान बिहार में 29 करोड़ रुपयों के बायदों वाली 101 नई योजनाएं मंजूर की गयी। इनमें से 20 करोड़ रुपयों के कृ पु वि निगम के बायदोंवाली 74 योजनाएं लघु सिंचाई के निवेशों के लिये थीं। कृ पु वि निगम के योगदान वाली 19 योजनाएं बिहार बाजार केन्द्र परियोजना के अधीन बाजार केन्द्रों के लिये थीं। उड़ीसा में कृ पु वि निगम ने 79 नई योजनाओं के संबंध में कुल 22 करोड़ रुपयों की निधि के बायदे किये हैं। इन योजनाओं में से 21 करोड़ रुपयों के बायदों वाली अधिकतम योजनाएं (63) लघु सिंचाई वर्ग के अन्तर्गत आती हैं तथा इनमें उड़ीसा राज्य सहकारी बैंक को मंजूर की गयी 14 योजनायें भी शामिल हैं। कृ पु वि निगम ने योजना निरूपण की विधि और अन्य संबंधित विषयों से शिक्षर और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कर्मचारियों को अवगत कराने के लिये भुवनेश्वर में एक अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। पश्चिम बंगाल में अ वि संघ की कृषि विकास ऋण परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान पहले जो बाधायें सामने आई थीं प्राय उन सबको दूर किया जा चुका है और वितरण जोर पकड़ रहा है। विश्व बैंक की सहायता से तैयार की जा रही जिस पूर्वी क्षेत्र अनाज परियोजना से निगम भी संबंधित है, उसके अन्तर्गत असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्य आते हैं। असम और उड़ीसा की परियोजनाओं का विश्व बैंक द्वारा द्वारा पहले ही मूल्यांकन किया जा चुका है। इनका उद्देश्य भूमिगत जल का शीघ्र विकास करना है। विश्व बैंक के क्षेत्रीय पर्यवेक्षण मिशन ने भी बिहार राज्य में अनाज के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए योजनाओं और परियोजनाओं के विकास हेतु सघन सर्वेक्षण किये हैं।

2.9 इन राज्यों में सुधरी हुई किस्मों के परीक्षण और उपजों को बढ़ाने की नयी शस्य पद्धतियों को विकसित करने और ऋण कार्यक्रम के लिये कृषकों को तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के निमित्त प्रसार सेवाओं के लिये अनुकूल अनुसंधान को सफल बनाने हेतु विशिष्ट परियोजनाओं का निरूपण स्वागतार्ह है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम राज्यों में अ वि संघ की सहायता से ऐसी परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है।

2.10 पश्चिम बंगाल सरकार ने इस समस्या की जांच करने के लिये एक अध्ययन दल की नियुक्ति करने में पहल की है कि सहकारी ऋण संस्थाओं के एकीकरण से संबंधित हजारी समिति द्वारा की गई सिफ़ारिश के अनुसार रा भू वि बैंक रेहन की आवश्यकताओं के लिये जमीन के प्रभार के बदले समर्थक ऋणाधार को स्वीकार करे। इसके फलस्वरूप राज्य में विशाखीकृत कृषि निवेशों को बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी। असम और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों में प्रगति कुछ रुकी हुई है। असम ऋण वसूली अधिनियम, 1976 के जिस अधिनियम के अनुसार वित्तपोषक संस्थाएं किसी भी व्यक्ति से उसे दिये गये अपने अग्रिमों या मंजूर की गयी अपनी राशियों में संबंधित अतिदेयों को भूमि राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल कर सकती हैं उसका पारित होना इस राज्य में वित्तीय संस्थाओं के लिए अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिये प्रेरणादायक होना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा की गयी एक अन्य सराहनीय कार्रवाई यह है कि राज्य सरकार ने तलवार समिति द्वारा सुझाए गये अनुसार एक विधान अधिनियमित किया है।

2.11 मेघालय में मेघालय वन विकास निगम के माध्यम से वन विकास की एक परियोजना के लिये 49 लाख रुपयों की वित्तीय सहायता मंजूर की गयी है मिजोरम में कृ पु वि निगम निवेश के प्रस्तावों के अभिनिर्धारण और परियोजना निरूपण के लिये सहायता प्रदान करने हेतु सहमत हो गया है। इस राज्य में प्रयोजना मूल्यांकन में संबंधित एक विचार गोष्ठी शीघ्र ही जिला अधिकारियों के लाभार्थ आयोजित की जायेगी।

2.12 मणिपुर में राज्य सरकार ऐसे सरकारी आदेश जारी करने के लिये सहमत हो गयी है कि ग्राम परिषद् द्वारा जारी किये गये स्वामित्व के प्रमाणपत्रों पर जिलाधीशों और उप प्रभागीय अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर कर दें ताकि वित्तपोषक बैंकों द्वारा इन प्रमाणपत्रों को ऋणों के लिये वैध जमानत के रूप में स्वीकार किया जा सके। यह परिपाटी नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में स्थित बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली या सहमत परिपाटी के अनुरूप है। निगम का प्रस्ताव है कि वह इस व्यवस्था के आधार पर बागवानी योजनाओं का वित्तपोषण करे।

2.13 रिजर्व बैंक द्वारा गठित जिस कार्यकारी दल में निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल थे उसने उत्तरपूर्वी क्षेत्रों में बैंक ऋण की समस्याओं का गहन अध्ययन किया है और इस क्षेत्र में ऋण की उपलब्धि को बढ़ाने के लिये बैंकों की परिचालन विधि और कार्यविधि में कारगर सुधार करने के लिये कई सिफारिशें की हैं। यह

आशा की जाती है कि इन विकासों से इन राज्यों में कृषि निवेशों का प्रभावी ढंग से महत्व बढ़ जाएगा।

2 14 निगम ने कृषि विकास का अभिनिर्धारण करने और उसको परियोजनाएं तैयार करने के लिये जम्मू और कश्मीर में एक अध्ययन दल प्रतिनियुक्त किया था। दल ने इस क्षेत्र में मछली पालन, डेरी, मुर्गीपालन और भेड़ पालन के विकास की चार परियोजनाएं तैयार की हैं। इस राज्य में विश्व बैंक की सहायता वाली एक बागवानी परियोजना भी तैयार की जा रही है।

2 15 निगम भारत सरकार के सूखा प्रवण क्षेत्रों के कार्यक्रम के साथ-साथ अविमसं द्वारा सहायता प्राप्त छे जिलों की परियोजनाओं से भी संबद्ध है। इन जिलों में खेतों के ऊपरी विकास की योजनाएं तैयार की जा रही हैं और इस वर्ष के अन्त तक निगम ने आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान में लघु सिंचाई डेरी और रेशम उत्पादन के विकास की 16 योजनाएं मंजूर की थी।

2 16 जहां तक योजना आयोग द्वारा अभिनिर्धारित पहाड़ी क्षेत्रों का संबंध है निगम ने 14 करोड़ रुपयों से अधिक के वायदे-वाली लघु सिंचाई और बागान की योजनाओं सहित 72 योजनाएं मंजूर की थीं और 30 जून 1977 तक उक्त राशि में से 5 4 करोड़ रुपयों की कुल राशि आहरित की गयी। बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के जनजातिया के भूभाग के 13 जिलों में निगम ने लघु सिंचाई, कृषि मशीनीकरण, मुर्गी-पालन, डेरी विकास और भंडार और बाजार केन्द्र योजनाओं के लिए 22 करोड़ रुपयों के वायदेवाली 70 योजनाएं मंजूर की थीं। इस राशि में से 4 5 करोड़ रुपये आहरित किये गये। जैसा कि विवरण 9 के से स्पष्ट है निगम उन असंतुलनों की ओर बराबर ध्यान देता रहा है जो एक ही राज्य के भिन्न भिन्न क्षेत्र में विद्यमान हैं।

लघु कृषक

2.17 आलोच्य वर्ष के दौरान निगम ने लघु कृषक विकास लघु विकास/सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक (सी० कृ० और कृ श्रमिक) एजेंसियों के तत्वावधान में चलायी जानेवाली 95 योजनाओं की स्वीकृति दी गई। जून 1977 के अंत में इन एजेंसियों के तत्वावधान में चलनेवाली स्वीकृत योजनाओं की संख्या 253 (विवरण 10) थी और इनके लिए निगम के वायदे की राशि 62 करोड़ रुपये थी। इनमें से 103 योजनाएं भूमि विकास बैंकों, 147 योजनाएं वाणिज्य बैंकों और 3 योजनाएं राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही थीं। यदि प्रयोजनवार देखा जाए, 132 योजनाएं लघु सिंचाई के निवेश के लिए हैं और शेष डेरी विकास (88), मुर्गी पालन (8), भेड़ पालन (8) भूमि विकास (7) बागान और बाग-बानी (9) और मछलीपालन (1) जैसी योजनाएं विशाखीकृत प्रयोजनों के अंतर्गत आती हैं।

2 18 इस वर्ष के दौरान हुआ एक महत्वपूर्ण विकास विश्व बैंक का यह निर्णय है कि वह अ० वि सं की ऐसी परियोजनाओं के अंतर्गत लघु विकास और उसी प्रकार की एजेंसियों के तत्वावधान में लघु और सीमान्त कृषकों को ऋणों की प्रतिपूर्ति करेगा जिसमें उधारकर्ताओं को दिया जानेवाला पूंजी अनुदान शामिल है। अब तक ऐसे अग्रिम विश्व बैंक समूह द्वारा मंजूर की गयी परियोजनाओं के अधीन लाये जाने के योग्य नहीं थे। प्रतिपूर्ति पाने की पात्रता के लिए निर्धारित मानदंड इस प्रकार हैं (क) उधारकर्ताओं को दिया जानेवाला पूंजी अनुदान बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए और (ख) कृ पु वि निगम को उचित क्षेत्र पर्यवेक्षण और लेखा परीक्षा कार्यविधि अपनानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लघु कृषकों का वर्गीकरण करने के लिए अपनाए गये मानदंडों का उचित रूप से पालन किया जाता है और इन योजनाओं के लिए विनिधानित निधियों का उचित और सही उपयोग किया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि लगभग 160 जिलों में लकृ वि एजेंसी कार्यक्रम लागू कर दिया गया है। अविमसं के ऋण के विनिधान का लाभ उठाने के लिए कृपुवि निगम के कार्यक्रम के अधीन अधिक से अधिक योजनाएं लाई जानी चाहिए। फिलहाल इन कार्यक्रमों में से केवल थोड़े से ही कार्यक्रमों को कृपुवि निगम का पुनर्वित्त प्राप्त होता है। निगम ऐसे कृषकों को बैंकों द्वारा दी जानेवाली ऋण सहायता का 90 प्रतिशत पुनर्वित्त प्रदान करता है।

2 19 जिन क्षेत्रों में लकृवि एजेंसी की योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो रही हैं वहां कृपुवि निगम द्वारा की गई लघु कृषकों की परिभाषा लागू की गयी है और लघु कृषकों के अभिनिर्धारण के प्रयोजन के लिए एक जैसी कृषि जल-वायुवाले विभिन्न क्षेत्रों के लिए अपनाये जानेवाले मानदण्ड बैंकों को पहले ही सूचित किये जा चुके हैं। लकृवि एजेंसियों के अंतर्गत आनेवाली योजनाओं को छोड़कर कृपुवि निगम की योजनाओं के अधीन लघु कृषकों को निवेश की लागत के 5 प्रतिशत की नाममात्र की तत्काल नगदी अदायगी करनी पड़ती है और इससे वे 15 वर्षों तक की दीर्घावधि तक के ऋणों के पात्र हो जाते हैं। निगम यह सुनिश्चित करने के लिए भी वचनबद्ध है कि इसकी योजनाओं के अधीन इसके द्वारा दिये जानेवाले अग्रिमों के कम से कम 50 प्रतिशत अग्रिम लघु कृषकों के लिए हो।

2 20 जैसा कि पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कृपुवि निगम की योजनाओं के अधीन लघु कृषकों को प्रदान की गयी सहायता संबंधी जो जानकारी प्राप्त हुई वह अपूर्ण है। लघु कृषकों को दिये जाने वाले ऐसे उधारों के राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से बैंकों के लिए यह सर्वथा उचित होगा कि वे लघु कृषकों को दी गयी ऋण राशियों के संबंध में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी पर्यवेक्षण और सूचना पद्धति को सरल और कारगर बनाने के निमित्त उचित कार्रवाई करे।

2 21 उपलब्ध आंकड़ों से यह पता लगता है कि विभिन्न राज्यों में कृपुवि निगम की योजनाओं के अंतर्गत 30 और 50 प्रतिशत के बीच लघु कृषक आते थे।

2.22 निगम द्वारा स्वीकृत की गयी योजनाओं के विश्लेषण से यह पता चलता है कि देश के 387 जिलों में से 38 जिलों को छोड़कर प्रत्येक जिले में कृपुवि निगम ने कार्यान्वियन के लिए किसी न किसी प्रकार की योजना मंजूर की है। 30 जून 1977

सारणी 7

लघु कृषको का वित्तपोषण*

करोड रुपये

योजना का स्वरूप	कृषि निगम का कुल वितरण	लघु कृषको को किया गया वितरण		कुल वित्तपोषण से लघु कृषको के वित्त पोषण का प्रतिशत
		राशि	लेखों की (लगभग) संख्या	
1	2	3	4	5
1. लकृवि एजेंसी/सीकृ और कृषि श्रमिक परियोजनाएं	28	28	94,880	100
2. कृषि निगम की ऋण परियोजना . .	123	71	95,000	58
3. (क) अविसंघ की परियोजनाए (कृषि ऋण परियोजनाओ मे से केवल लघु सिचाई का अश)	275	55	75,000	20
(ख) अं वि संघ की परियोजनाए—अन्य अश .	79	—	—	—
4. सामान्य योजनाए (शुद्ध)				
(क) लघु सिंचाई . . .	163	66	85,333	40
(ख) भूमि विकास . . .	32	16	80,000	50
(ग) कृषि मशीनीकरण . . .	53	—	—	—
(घ) भांडार/बाजार केन्द्र . .	21	—	—	—
(ङ) बागान/बागवानी . . .	21	5	25,000	25
(च) मुर्गी पालन/भेड पालन . .	20	10	1,00,000	50
(छ) डेरी विकास .				
(ज) मछलीपालन . .				
जोड . .	815	251	5,55,213	—

*ये आकडे अनतिम है ।

के अत मे कृषि निगम की बिना किसी योजनावाले राज्यों और जिलों की सख्या नीचे दी गयी है :—

अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह 1
अरूणाचल प्रदेश 5
असम 1
बिहार 2
चंडीगढ़ 1
दादरा और नागर हवेली 1
गुजरात 1
हिमाचल प्रदेश 2
जम्मू और कश्मीर 5
लक्षद्वीप 1
मणिपुर 3
मेघालय 1
मिजोरम 1
नागालैंड 3
पांडिचेरी 2
राजस्थान 1
सिक्किम 4
उत्तर प्रदेश 2
पश्चिम बगाल 1

विचाराधीन योजनाएं

जून 1977 के अंत तक 741 योजनाए विचाराधीन थी । इनमें से 127 योजनाएं हर तरह से परिपूर्ण थी और शेष 614 योजनाएं या तो अधूरी थी या उन पर कार्रवाई किये जाने के लिए अतिरिक्त आकडो के न होने से विचाराधीन थी । विचाराधीन योजनाओ में से 179 योजनाएं राज्यो के कम विकसित/कम बैंकिग सुविधावाले क्षेत्रो से सबधित है । विचाराधीन योजनाओ से सबधित ब्यौरे विवरण 13 मे दिये गये है ।

वर्ष के दौरान किये गये नीति सम्बधी निर्णय

जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट मे उल्लेख किया गया है, 1 अप्रैल 1976 से प्रारंभ होनेवाली लकृवि एजेंसी द्वारा सहायता की गई योजनाओ के लिए पुनर्वित्त सहायता की मात्रा सदस्य बैंक द्वारा प्रदान की जानेवाली वित्तीय सहायता का 90 प्रतिशत निर्धारित की गयी है । इस वर्ष के दौरान ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गों को लाभान्वित करने के लिए मुख्य रूप से लकृवि एजेंसी और अन्य विशेष योजनाओ के सबध में सदस्य बैंक को पुनर्वित्त प्रदान करने की व्यवस्थाओ की समीक्षा की गयी थी और यह निर्णय किया गया था कि 90 प्रतिशत पुनर्वित्त की सुविधा गिरिजन विकास निगमो द्वारा प्रारभ की गयी योजनाओ सहित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो के जनजातीय

क्षेत्रों के लाभार्थ बनायी गयी सूखाप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम की योजनाओं और अन्य विशेष कृषि विकास योजनाओं के लिए भी लागू की जानी चाहिए। यह मुख्यत इस उद्देश्य से किया गया है कि बैंकों द्वारा ऐसी योजनाओं का प्रवर्तन किये जाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन प्रदान किया जाए।

3.2 कृपुवि निगम ने जिन योजनाओं का स्वय अनुमोदन किया है उनके अधीन कृषि के पपसेटों को बिजली देने के लिए अपने सदस्य बैंकों द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों (रावि बोर्डों) को दिये गये ऋणों के लिए कृपुवि निगम पुनर्वित्त प्रदान करता रहा है परन्तु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (ग्रावि निगम) और अन्य एजेंसियों की योजनाओं के अधीन आनेवाले क्षेत्र इसमें शामिल नहीं थे। इस वर्ष के दौरान इस योजना को और अधिक उदार बनाया गया है। यदि कृपुवि निगम की योजनाओं के अधीन केवल पपसेटों के लिये ऋण दिया गया है और कुओं का निर्माण उधार ली गयी अन्य निधियों से या उधारकर्ता के अपने साधनों से किया गया है तो भी पप सेटों का विद्युतीकरण करने के लिए रावि बोर्डों को दिये गये ऋणों के लिए अब उन्हें पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त पुनर्वित्त की व्याप्ति के अंतर्गत तब तक इन बातों को लाने का निर्णय किया गया है जब तक इस योजना के अधीन पपसेटों को बिजली प्रदान करने के लिए निर्धारित लक्ष्य और तदनुसार ग्रावि निगम से प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हो जाता (i) कृपुवि निगम द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अधीन सहकारी या वाणिज्य बैंकों के ऋणों के साधनों को छोड़कर अन्य साधनों से भी कृषकों द्वारा लगाए गये पप सेटों को बिजली देना, और (ii) ग्रा वि निगम की योजनाओं के क्षेत्रों में पप सेटों को बिजली प्रदान करना, चाहे योजना इन क्षेत्रों में पूर्णत: पूरी हुई हो या नहीं। उक्त जिन दो वर्गों पर उक्त योजना लागू की गई है उनके अंतर्गत पपसेटों को बिजली प्रदान करने के लिए दिये गये ऋणों के हेतु 1 मार्च 1977 से पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध होगी। इस पर भी उक्त छूटें इस शर्त के अधीन दी जाएंगी कि जगह में अंतर रखने के मानदंड के संबंध में भूमि गत जल के नियम का पालन किया जाएगा और वित्तपोषक एजेंसियों और कृपुवि निगम को भूमिगत जल की उपलब्धि का जिस प्रकार का आवश्यक प्रमाणपत्र स्वीकार्य है, उस प्रकार का प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाएगा। बैंकों को यह भी स्पष्ट किया गया है कि उन्हीं सिंचाई यूनिटों में लगाये गये पप सेटों को बिजली प्रदान करने के लिए वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण भी तकनीकी मानदंडों, नदी में पानी की उपलब्धि आदि से संबंधित कतिपय सिद्धांतों को पूरा करने पर कृपुवि निगम से गुणदोष के आधार पर पुनर्वित्त सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

3.3 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि योजना के अधीन 1 अगस्त 1974 से पपसेटों को बिजली प्रदान करने के सम्बन्ध में रावि बोर्डों को कृपुवि निगम से पुनर्वित्त सुविधाएं प्राप्त करने के लिए काफी समय दिया गया था, यह निर्णय किया गया है कि 1 जुलाई 1977 से योजना के अधीन दी जानेवाली पुनर्वित्त सुविधा पुनर्वित्त के लिए किये गये आवेदनपत्र की तारीख से पहले के एक वर्ष के भीतर कृपुवि निगम की योजनाओं के अधीन पंपसेटों को बिजली प्रदान करने के लिए सदस्य बैंकों द्वारा रावि-बोर्डों को दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में ही उपलब्ध होगी।

3.4 पिछले दो वर्षों में अनाज के उत्पादन में हुई भारी वृद्धि के फलस्वरूप भण्डार सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता की ओर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। इस स्थिति का सामना करने के लिए आलोच्य वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम (भाखानिगम) ने निजी पार्टियों द्वारा गोदामों का शीघ्र निर्माण किया जाने और उन्हें भाखानिगम को पट्टे पर दिये जाने की एक योजना बनाई है। योजना में यह परिकल्पना की गयी है कि निवेश लागत का 75 प्रतिशत पात्र संस्थाओं द्वारा ऋण के रूप में दिया जाएगा और शेष 25 प्रतिशत की व्यवस्था उधारकर्ता को अपने स्वयं के साधनों से करनी होगी। कृपुविनिगम सदस्य बैंकों द्वारा निजी पार्टियों को गोदामों के निर्माण के लिए दी जानेवाली वित्तीय सहायता का 80 प्रतिशत तक की पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है। इस कार्यक्रम के अधीन अधिक संख्या में योजनाओं के मंजूर किये जाने के फलस्वरूप इस कार्यक्रम की भाखानिगम के परामर्श से समीक्षा की गयी है। अब यह निर्णय किया गया है कि वित्तपोषक बैंकों को उन योजनाओं पर विचार नहीं करना चाहिए जिसके सम्बन्ध में पार्टी द्वारा योजना के अधीन बैंक ऋण के लिए 31 जुलाई 1977 या उससे पहले आवेदन न किया गया हो। इस तारीख के बाद वित्तपोषक बैंक को केवल उस योजना पर विचार करना चाहिए जिसे भाखानिगम के सम्बन्धित प्रबंधक द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि वे इस बात से सन्तुष्ट हैं कि गोदाम का निर्माण कार्य नवम्बर 1977 के अन्त तक पूरा हो जाएगा।

3.5 भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 1975 में बैंकों द्वारा 'गोबर' गैस संयंत्रों का वित्तपोषण किये जाने से संबन्धित पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक आंतर-संस्थानिक दल का गठन किया था। इस दल ने अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश की थी कि इंधन की वर्तमान कमी और रासायनिक उर्वरकों के अधिक मूल्यों को देखते हुए कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना के लिये पुनर्वित्त की सुविधायें उपलब्ध करे। अतएव, निगम ने यह निर्णय किया है कि 'गोबर' गैस संयंत्रों की स्थापना के लिये पात्र बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रादान की जाए। इस प्रकार के संयंत्रों की स्थापना के लिये बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋणों के 75 प्रतिशत तक का पुनर्वित्त प्रदान किया जायेगा।

3.6 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक और कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा प्राथमिक भूमि विकास बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंकों के ऋण प्रदान करने के (सामान्य और विशेष दोनों ही प्रकार के) कार्यक्रमों को विनियमित करने के उद्देश्य से एक जैसे मानदंड अपनाये जाएं। इस नियम के अधीन प्राथमिक भूमि विकास बैंक/राज्य भूमि विकास बैंक की शाखा के उधार प्रदान करने के पात्र कार्यक्रम को पिछले वर्ष

के अंत में विद्यमान अतिदेयों के स्तर में सबद्ध किया गया है । भूमि विकास बैंकों से प्राप्त अभिवेदनों की सावधानीपूर्वक जाच करने पर अतिदेय नियम में निम्नलिखित सशोधन किये गये हैं ।

(i) भूमि विकास बैंकों के उधार देने के कार्यक्रम को विनियमित करने के लिए लागू की गई वर्तमान सीमा प्रणाली 30 सितंबर 1978 तक जारी रहेगी जबकि इसके पहले के निर्णय के अनुसार वह 1 अक्तूबर 1977 को समाप्त हो जानी थी । इस तारीख से प्राथमिक भूमि विकास बैंक/राज्य भूमि विकास बैंकों की जिन शाखाओं ने 65 प्रतिशत की न्यूनतम नकद वसूली कर ली हो, वे ही निगम से पुनर्वित्त प्राप्त करने के पात्र मानी जायेंगी ।

(ii) जिस प्राथमिक भूमि विकास बैंक/राज्य भूमि विकास बैंक की जिस शाखा की पात्रता सीमित हो तथा जिसने उधार देने की अनुमत सीमा के भीतर लघु कृषकों को कम से कम 50 प्रतिशत की राशि वितरित की हो, उन्हें अब उक्त मानदंड के आधार पर निर्धारित ऋण की सीमा से एक चरण ऊपर की सीमा तक के उधार प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इस प्रकार जिस अतिरिक्त राशि की अनुमति दी गई है उसका 75 प्रतिशत लघु कृषकों के वित्त-पोषण के लिये प्रदान किया जाए ।

(iii) इसके अलावा जिस प्राथमिक भूमि विकास बैंक/राज्य भूमि विकास बैंक की जिस शाखा वे अपनी वसूलियों में पिछले वर्ष की तुलना में कम से कम 5 प्रतिशत की सीमा तक वृद्धि की हो परन्तु इस वृद्धि से जो अगली अधिक सीमा में रखे जाने के योग्य न होती हो वे 5 प्रतिशत के अतिरिक्त उधार प्रदान करने के पात्र मानी जायेंगी ।

(iv) 31 दिसबर 1977 को समाप्त होनेवाली अवधि में बैंकों/शाखाओं की वसूली के कार्य सपादन के स्तर की समीक्षा करने की व्यवस्था की गयी है तथा जिन मामलों में वसूलियों में सुधार हुआ है वहा उनसे तत्सबधी प्राथमिक भूमि विकास बैंक/राज्य भूमि विकास बैंक की शाखा सीमा प्रणालों के अनुसार उचित मात्रा में अधिकतर उधार प्रदान करने के कार्यक्रम के पात्र मानी जायेगी ।

3.7 अन्य रियायतें, ऋण की दूसरी और उसके बाद की किस्तों के लिए वायदा किये गये व्यय के वितरण, उधार प्रदान करने के पात्र कार्यक्रम और सूखा तथा अन्य दैवी विपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत राज्य भूमि विकास बैंकों/प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की शाखाओं का हिसाब लगाने से सबधित होंगी । कृ पु वि निगम की योजनाओं के अधीन प्रदान किये जाने वाले ऋण कार्यक्रमों के विनियमन सुविधा के लिये निगम ने यह निर्णय किया है कि विशेष विकास डिबेंचर कार्यक्रम के विनियमन के लिए सहकारिता वर्ष के स्थान पर वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) को आधार माना जाए ।

अन्य गतिविधियां

मूल्यांकन

इस वर्ष के दौरान चार योजनाओं के सबंध में मार्गदर्शी रिपोर्टें तैयार की गयी । ये रिपोर्टें (1) कर्नाटक में भूमि-उद्धार तथा भूमि विकास के लिये भद्रा भूमि विकास परियोजना की योजना; (ii) आन्ध्र प्रदेश के मिरथालगुड तालुक की नागार्जुनसागर परियोजना के अधीन भूमि विकास (iii) हरियाणा के करनाल जिले में लघु सिचाई योजना और (iv) महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में नये कुओं का निर्माण कर उन पर पपसेटों का लगाये जाना, से सबधित है । इन अध्ययनों से यह पता चलता है कि इस प्रकार के आवधिक निवेशों में निवेश के पूर्ण होने की प्रक्रिया के दौरान अथवा उसके पश्चात निरन्तर आधार पर निवेश किए जाने की दोनों की स्थितियों में कृषि रोजगार में पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

4.2 भूमि विकास की प्रारंभिक अवधि के दौरान निर्मित अतिरिक्त रोजगार, भूमि को आकार देने तथा समतल बनाने के लिये उपयोग किये गये श्रम और मशीनों के मिले जुले उपयोग पर निर्धारित था तथा वह प्रति एकड़ 70 श्रमिक दिनों से लेकर 109 श्रमिक दिनों तक था । हर वर्ष विकासोत्तर अवधि में निर्मित अतिरिक्त उत्पादन का औसत प्रति एकड़ विकसित भूमि के लिये लगभग 100 श्रमिक दिन था ।

4.3 खोदे एक गये नए कुएं के निर्माण और उस पर पपसेट के लगाये जाने से प्रारंभिक अवधि में प्रति यूनिट 1700 श्रमक दिनों के अतिरिक्त रोजगार का निर्माण हुआ । पंपसेट लगाये गये खुदाई के कुए के पूरे हो जाने के बाद में उससे प्रति यूनिट 300 श्रमिक दिन के अतिरिक्त रोजगार का निरन्तर आधार पर निर्माण हुआ । छिछले नलकूप के मामले में उसके निर्माण की अवधि के दौरान अकुशल श्रमिकों के लिये प्रति यूनिट 75 अतिरिक्त श्रमिक दिनों के रोजगार निर्माण हुआ, इसके बाद प्रति वर्ष आवर्ती आधार पर प्र नलकूप औसत 350 श्रमिक दिनों का रोजगार निर्मित हुआ

4.4 इन परियोजनाओं के परिणामस्वरूप रोजगार क्षमता का निर्माण होने के अलावा कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई । इन अध्ययनों से 4 योजनाओं के बारे में बहु फसली खेती, निर्मित वृद्धिशील आय, शुद्ध वर्तमान मूल्य, लाभ-मूल्य अनुपात, आय की आतरिक दर तथा प्रति उधार-कर्ता की अदायगी की क्षमता का नीचे लिखे अनुसार पता लगा है

मूल्याकन-कक्ष ने (1) पजाब और हरियाणा की डेरी विकास योजनाओं (2) आध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले की नीबू प्रजाति के फलों की उद्यान योजना (3) महाराष्ट्र की उद्यवाही सिचाई योजना और (4) दक्षिण कनारा जिले की मछलीपालन योजना के सबध में अध्ययन शुरू किये है ।

4.5 मूल्यांकन-कक्ष ने तमिलनाडु, आध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पजाब और कर्नाटक में अंतिम सघ कृषि ऋण परियोजना के सबंध में परियोजना समाप्ति की रिपोर्टों तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ऋण परियोजना का कार्य भी अपने हाथ में ले लिया है । प्रत्येक परियोजना समाप्ति की रिपोर्ट इस दृष्टि से अपने आप में पूर्ण होगी कि उसमें मूल्यांकन के समय कूते गये कार्य-संपादन

सारणी 8—मूल्याकन के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

योजना का नाम	बहु फसली खेती (%)	वृद्धिशील आय (शस्य क्षेत्रफल का प्रति एकड)	शुद्ध वर्तमान मूल्य (प्रति कृषक रु०)	लाभ-मूल्य अनुपात	आय की आतरिक दर (%)	पुन: अदायग क्षमता (प्रति कृषक रु०)
1	2	3	4	5	6	7
1 कर्नाटक में भूमि के उद्धार और भूमि विकास के लिये भद्रा भूमि विकास परियोजना	176	1046	69,834	2 1	50 से अधिक	6908
2 आध्र प्रदेश के मिरयालगुड़ तालुके की नागार्जुनसागर परियोजना के अधीन भूमि विकास .	185	769	56,908	1.8	वही	4806
3 हरियाणा के करनाल जिले की लघु सिचाई योजना . . .	179	524	25,807	1.8	वही	3616
4. महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में नये कुओ का निर्माण और उन पर पंपसेटो का लगाया जाना . .	114	520	13,210	1.6	29	2047

की तुलना, वास्तविक कार्य-संपादन से की जायेगी और इस कार्य-सपादन के बारे मे उपयुक्त टिप्पणिया भी की जायेगी। परियोजना समाप्ति की इन चार रिपोर्टों में कतिपय विशिष्ट मदो को शामिल किया जायेगा उदाहरणार्थ उनमे महाराष्ट्र परियोजना की ऋण संस्थाओं के अतिदेयो तथा ऋणो की अवधि फिर से निर्धारण से सबधित समस्याओ, तमिलनाडु परियोजना मे भूमिगत जल के उपयोग और उसे नियत्रित करने से संबंधित पहलुओं तथा पंजाब की परियोजनाओ के ट्रैक्टरीकरण तथा कृषि-प्रणालियो और रोजगार पर पडने वाला उसके प्रभावो तथा उत्तर प्रदेश परियोजना के अन्तर्गत लघु और सीमात कृषको को ऋण प्रदान करने का विशेष रूप से उल्लेख किया जायेगा।

4 6 किसी भी विकास कार्यक्रम के प्रथम चरण मे परियोजना का निरूपण करना, स्वीकृति और ऋणो की अदायगी का कार्य शामिल होता है परन्तु उतना ही महत्वपूर्ण कार्य होता है निवेश से उपलब्ध होने वाले ऋणो और लाभो की उपयोगिता की सही स्थिति का ध्यान रखना। दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिये निगम ने मजूर की गई योजना के संबध मे अनुवर्ती अध्ययन करना रहा है। वर्तमान क्रियाविधियो का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् यह निर्णय किया गया है कि अनुवर्ती अध्ययनो की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर, दो विभिन्न प्रकार के अध्ययन लागू किये जाये। मंजूर की गई कतिपय योजनाओं का योजना के प्रारम्भ होने के 6 महीने से 12 महीनो के भीतर परिचालन पहलुओं के अन्तर्गत आने वाले कार्यान्वयन की प्रगति, मजूरियो की शर्तों के अनुपालन, बैंको द्वारा मूल्याकन मानदडो के पालन किये जाने तथा स्वीकृति के बाद की पर्यवेक्षण पद्धति के सबंध मे अनुवीक्षण अध्ययन किया जायेगा। इन अध्ययनो से योजना के प्रादुर्भाव की स्थिति मे उसके कार्यान्वयन से सबंधित समस्याओं का विवेचन करने तथा परियोजना-कार्य की गुणवत्ता मे सुधार लाने में सहायता मिलेगी, चुनी हुई योजनाओ के संगामी मूल्याकन अध्ययन योजना के प्रारभ हो जाने के 1½ से 2 वर्ष के भीतर किये जायेगे और इस अवधि के दौरान इन योजनाओ का कुछ हिताधिकारियो को लाभ मिलने लगेगा। इन अध्ययनो मे लागत के अनुमानो के मूल्यांकन की तुलना मे निवेश की वास्तविक लागत, अपनाई गई फसल प्रणाली, आधारभूत आवश्यक वस्तुओ की पर्याप्तता, और प्रत्याशित लाभ आदि को प्राप्त करने मे हिताधिकारियो की कठिनाइयो का पता लगाने के लिये पूरे किये गये निवेशो को शामिल किया जाएगा। ये दोनों प्रकार के अध्ययन कुल मिलाकर कार्यान्वयन और उससे सबधित आधारभूत सामग्री तथा वित्त पोषित निवेश की उपयोगिता का सूक्ष्मता से पता लगाने का अवसर प्रदान करेंगे।

प्रशिक्षण

4 7 इस वर्ष सदस्य बैंको के कर्मचारियो की प्रशिक्षण व्यवस्थाओ का और अधिक विस्तार किया गया।

(क) वरिष्ठ और मध्य-स्तरीय कर्मचारी

4 8 इस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक के पूणे स्थित कृषि बैंकिंग महाविद्यालय मे 4 सप्ताह की अवधि वाले

सप्ताह कृषि परियोजना पाठ्यक्रम आयोजित किये गये । मार्च-अप्रैल 1977 मे राज्य भूमि विकास बैंको, वाणिज्य बैंको और सहकारी क्षेत्र के भूमि विकास निगमो के वरिष्ठ और मध्य-स्तरीय तकनीकी अधिकारियो को भूमि विकास और भूमि/जल व्यवस्था के तकनीकी पहलुओ की जानकारी प्रदान करने के लिये एक पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया था । इस पाठ्यक्रम मे कुल मिलाकर छब्बीस तकनीकी अधिकारियों ने भाग लिया था जिनमे भूमि-विकास बैंको के 13, वाणिज्य बैंको के 9, राज्य सरकारो के 3 तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के एक अधिकारी शामिल थे । इस कार्यक्रम का उद्देश्य इसमे भाग लेनेवाले कर्मचारियों के ज्ञान को तरोताजा बनाना था ताकि वे अपने कार्य-सपादन मे सुधार ला सके एव उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी था कि सास्थानिक एजेसियो के जरिये परियोजना ऋण प्रदान किये जाने में इन अधिकारियों की तकनीकी दक्षता का किस प्रकार उचित रूप से उपयोग किया जा सकता है । क्षेत्रीय कृषि ऋण परियोजना का 10 दिवस की अवधि का पाठ्यक्रम भी इस वर्ष आयोजित किया गया था ।

अगस्त 1975 और जन 1977 के दौरान 834 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये 29 पाठ्यक्रमो का आयोजन किया गया था । इनमे से 408 अधिकारी भूमि विकास बैंको के, 275 वाणिज्य बैंको के थे तथा शेष 151 अधिकारी अन्य हितो का प्रतिनिधित्व करते थ ।

(ख) भूमि विकास बैंको के कनिष्ठ स्तरीय कर्मचारी

4 9 राज्य भूमि विकास बैंको द्वारा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के सक्रिय सहयोग से भूमि विकास बैंको के कनिष्ठ स्तरीय कर्मचारियो के प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है । जुलाई 1976 और जून 1977 के दौरान राज्य भूमि विकास बैंको द्वारा इस प्रकार के 106 पाठ्यक्रम आयोजित किये गये तथा इनमे 13 राज्य भूमि विकास बैंको द्वारा भूमि विकास बैंको के कुल 2900 कनिष्ठ स्तरीय कर्मचारियो को प्रशिक्षित किया गया ।

(ग) विदेशी विद्वानो के लिये अध्ययन की सुविधाए

4.10 विदेशो से आने वाले अतिथि अधिकारियो के प्रशिक्षण के लिये कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम प्रशिक्षण सुविधाए प्रदान करता आ रहा है । 1976–77 के दौरान अफगानिस्तान, नाइजीरिया, केन्या, तान्जानिया, नेपाल और जमैका से आने वाले 24 अधिकारियो और विद्वानो को अध्ययन सुविधाएं प्रदान की गयी । इसके अलावा, विभिन्न राज्य सरकारो और राज्य भूमि विकास बैंकों के सहकारिता और कृषि से संबधित अधिकारियो को भी इसी प्रकार की अध्ययन सुविधाए प्रदान की गयी

(घ) प्रबंध व्यवस्था के कार्यक्रमों/विचारगोष्ठियों मे कृषि पुनर्वित और विकास निगम अधिकारियो द्वारा भाग लिया जाना

4.11 भारतीय प्रबंध सस्थान, अहमदाबाद और नई दिल्ली स्थित प्रबंध विकास सस्था द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमो और विचार गोष्ठियो मे भाग लेने के लिए कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के तीन वरिष्ठ अधिकारियो को भेजा गया था ।

अ वि सघ/अ पु वि बैंक द्वारा सहायता की गयी परियोजनाए

इस वर्ष के दौरान चार और परियोजनाओ के लिए विश्व बैंक समूह से सहायता प्राप्त करने का समझौता किया गया । इन परियोजनाओ के नाम इस प्रकार हैं : केरल कृषि विकास परियोजना, महाराष्ट्र सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास की सयुक्त परियोजना (जायकवाडी और पूर्णा), गुजरात मत्स्यपालन परियोजना और कृ पु वि निगम की दूसरी ऋण परियोजना ।

5.2 जून 1977 के अत तक विश्व बैंक समूह से प्राप्त होने वाली सहायता के अतर्गत 29 परियोजनायें आती थी । इनमें जिस सूखा प्रवण क्षेत्र परियोजना के लिए कृ पु वि निगम को किसी विशिष्ट प्रकार के ऋण का आबटन नही किया गया है वह शामिल नही है। इन परियोजनाओ में 12 कृषि परियोजनाए, 5 कमान क्षेत्र विकास परियोजनाए, 3 डेरी विकास परियोजनाए, 2 बाजार केंद्र परियोजनाए, 2 बीज परियोजनाए, एक सेब अभिसस्करण और विपणन परियोजना, एक समेकित रूई विकास परियोजना, एक मछली पालन योजना और कृ पु वि निगम को प्रदान की जानेवाली को सामान्य ऋण प्रणालिया शामिल हैं । तराई बीज परियोजना, आध्र प्रदेश सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास की सयुक्त परियोजना, चम्बल कमान क्षेत्र विकास परियोजना (राजस्थान), राष्ट्रीय बीज परियोजना और गुजरात मछली पालन परियोजना के एक भाग के लिए अ पु वि बैंक द्वारा सहायता की गयी है और शेष परियोजनाएं अ वि सघ की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है ।

5.3 प्रयोजनवार उधार कार्यक्रम, अब तक किये गये वितरण और जून 1977 के अत तक अं वि सघ द्वारा विसरित राशियो की स्थिती का साराश सारणी 9 मे दिया गया है । प्रत्येक परियोजना की प्रमुख विशेषताए विवरण 11 मे दी गयी है और प्रत्येक परियोजना के अतर्गत कुल उधार देने के कार्यक्रम, वितरण आदि से सबधित आकडे विवरण 12 मे दर्शाये गये है ।

सारणी 9

प्रयोजन के अनुसार अ वि सघ/अ पु वि बैंक की परियोजनाए

करोड रुपये

प्रयोजन	आवश्यक वितरण	कृ पु वि निगम कार्यक्रम के लिए अं वि संघ/अ पु वि बैंक द्वारा दी गयी सहायता की राशि	30 जून, 1977 को कृ पु वि निगम द्वारा दिया गया पुनर्वित्त	30 जून, 1977 को भारत सरकार के माध्यम से अ वि संघ/अ पु वि बैंक द्वारा वितरित की गई राशि
1. लघु सिचाई	741.6	436 1	387 8	252 0
2. भूमि विकास	10.7	7.6	5 7	
3 कृषि मशीनीकरण	96.7	60.8	63.5	
4. बाजार केन्द्र विकास	26.7	19.0	5.6	3 3
5 खराब होने वाली बागवानी उपज का अभिसस्करण और विपणन	6.1	4 9	—	—
6. डेरी विकास	62 3	48.9	—	—
7 कमान क्षेत्र विकास	53 6	38.1	1.9	—
8 बीज उत्पादन	30.9	23 2	1 9	1.6
9 विशाखित प्रयोजन (उदाहरणार्थ वृक्ष की फसले, कुक्कुट पालन आदि)	91.5	48 6	10.5	3 5
10. रूई का विकास@	16 1	10 3	0.1	—
जोड	1136.2	697 5	477.0	260 4

@इसमे समेकित रूई विकास परियोजना के अधीन उन्नत किस्म की रुई पैदा करने के लिए मौसमी ऋण की व्यवस्था के लिए विशेष रूप मे प्रदान किया गया 75 लाख डालरो का ऋण शामिल है।

5.4 जून 1977 के अत में विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओ के अधीन कृ पु वि निगम द्वारा किये गये वितरणो की राशि कुल मिलाकर 477 करोड रुपये होती है। यह कृ पु वि निगम द्वारा अब तक किये गये कुल वितरणो का 58 प्रतिशत है। चूकि चल रही विभिन्न परियोजनाओं के लिए रुपयो मे किये गये वितरणो की प्रतिपूर्ति विश्व बैंक द्वारा डालरो मे (वितरणो को निर्धारित प्रतिशत के आधार पर) की जाती है, देश को 3500 लाख डालर की शुद्ध विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है।

कृ पु वि निगम की ऋण परियोजनाए

5.5 कृ पु वि निगम की प्रथम ऋण परियोजना द्वि-वर्षीय कार्यक्रम वाली थी। इसके अतर्गत लघु सिचाई और डेरी, मछली पालन, बागान और बागवानी जैसे अन्य विशाखित कृषि निवेशो का वित्त पोषण किया जाना था और वह अगस्त 1975 से लागू की गई थी। जून 1977 के अत मे इस परियोजना के अधीन कृ पु वि निगम के वितरण की राशि 123 करोड़ रुपये थी। इस ऋण मे से करीब 18 राज्यो और सघ शासित प्रदेशो को प्रतिपूर्ति की गयी है। मूल्याकन और वितरण की प्रणाली के लचीलेपन के कारण कृ पु वि निगम जून 1977 को अर्थात परियोजना के समापन की निर्धारित तारीख 31 दिसम्बर, 1977 के काफी पहले ही आवश्यक वितरण कर सका।

5.6 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट मे यह उल्लेख किया गया था कि कृ पु वि निगम को ऋण की दूसरी प्रणाली मजूर किये जाने के लिए अ वि सघ को प्रस्ताव भेजे गये है। इस परियोजना के लिए अप्रैल 1977 मे वाशिंग्टन मे भारत सरकार और कृ पु वि निगम द्वारा अ वि सघ से समझौता किया गया और मई 1977 मे अ वि सघ द्वारा 2000 लाख डालर का ऋण स्वीकृत किया गया। 1 जून 1977 को संबंधित करार पर हस्ताक्षर किये गये। परियोजना की प्रमुख बाते परिशिष्ट मे दी गयी है।

ख. कृषि ऋण परियोजनाए

5.7 1970 मे स्वीकृत 12 कृषि ऋण परियोजनाएं राज्य वार परियोजनाए है। अत उनका कार्यान्वयन राज्य के किसी भाग तक या पूरे राज्य तक सीमित है। पंजाब और केरल की परियोजनाओ को छोड़कर अन्य 10 कृषि ऋण परियोजनाओ मे जिस प्रमुख विकास की परिकल्पणा की गई

है वह लघु सिंचाई से संबंधित है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की परियोजनाओं में भूमि विकास के कार्यक्रम की भी परिकल्पना की गई है। एक ओर जहाँ पंजाब कृषि ऋण परियोजना का एकमात्र उद्देश्य कृषि मशीनीकरण का वित्त पोषण करना था वहां दूसरी ओर आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और तमिलनाडु परियोजनाओं में ट्रैक्टर प्राप्त करने के लिए भी सहायता दी गयी थी।

5.8 एक बार आवश्यक अवस्थापना का विकास हो जाने के बाद इन परियोजनाओं के अधीन लघु सिंचाई के निवेशों का वितरण सुचारू रूप से होता रहा। इस पर भी खेतों के ऊपरी विकास के कार्यक्रमों को पूरा करने में कठिनाई थी क्योंकि निर्धारित समय में आवश्यक क्षमता का विकास नहीं किया जा सका और ऋण के जिस एक अंश का मूलतः इस प्रयोजन के लिए नियतन किया गया था वह लघु सिंचाई वर्ग को अंतरित कर दिया गया। ट्रैक्टर घटक को भी उतार-चढ़ाव के रास्ते से गुजरना पड़ा क्योंकि आयात संबंधी समस्यायें थी और देशी ट्रैक्टरों के मुकाबले आयातित ट्रैक्टर महंगे भी थे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की परियोजनायें अभी हाल ही की हैं और उनका कार्यान्वियन संतोषजनक है। केरल कृषि विकास परियोजना शेष परियोजनाओं से इस दृष्टि से भिन्न है कि उसमें मुख्य रूप से वृक्ष की फसलों पर जोर दिया गया है जबकि अन्य परियोजनाओं में मुख्यतः अनाज के उत्पादन के लिए सहायता दी जाती है।

5.9 जून 1977 के अंत तक कृ पु वि निगम इन कृषि ऋण परियोजनाओं में से आठ परियोजनाएं अर्थात्, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब की परियोजनायें पूरी कर सका है। 2400 लाख डालर के ऋण का उपयोग करने हेतु कृ पु वि निगम स्तर पर इन परियोजनाओं में 278 करोड़ रुपयों के कुल वितरण किये गये।

5.10 विभिन्न कृषि ऋण परियोजनाओं (गुजरात को छोड़कर) के अधीन ट्रैक्टर के अंश से संबंधित अंतिम वितरण सारणी 10 में दिये गये है।

सारणी 10

अ वि संघ की परियोजनायें—ट्रैक्टरों का कार्यक्रम

परियोजना का नाम	वित्त पोषित ट्रैक्टरों की संख्या		निम्नलिखित बैंकों द्वारा किया गया वितरण	
	देशी	आयातित किये गये	भू. वि. बैंक	प्रास बैंक
			करोड़ रुपयों में	
आंध्र प्रदेश	432	845	6 0	2.0
कर्नाटक	1757	1157	6.8	9 6
हरियाणा	4275	337	6.6	10.6
पंजाब	4051	3776	10.0	22 1
तमिलनाडु	1112	515	8.2	0.3
जोड़	11627	6630	37.6	44.6

5.11 उत्तर प्रदेश और बिहार की जिन कृषि ऋण परियोजनाओं के अंतर्गत मूलतः इन राज्यों के कुछ भाग ही आने वाले थे उनको प्रत्येक राज्य के संपूर्ण भाग में लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश परियोजना की समाप्ति की तारीख 31 दिसंबर, 1977 और बिहार परियोजना की समाप्ति की तारीख 31 दिसंबर, 1978 तक बढ़ा दी गयी है। पश्चिम बंगाल कृषि विकास परियोजना के कार्यान्वियन में आने वाली प्रायः सभी कठिनाईयों के दूर कर दिये जाने से उसके कार्यान्वियन की प्रगति संतोषजनक रही है। लघु सिंचाई के कार्यान्वियन हेतु एक बड़ा कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है। केरल कृषि विकास परियोजना जून 1977 में ही लागू की गयी और परियोजना के सहज कार्यान्वियन के लिए कृ पु वि निगम द्वारा बैंकिंग योजना को अंतिम रूप दिया गया है और इसके अंतर्गत बैंकों को (35 करोड़ रुपयों के) उधार कार्यक्रम का नियतन किया गया है।

ग. कमान क्षेत्र विकास की परियोजनायें

5.12 कमान क्षेत्र विकास की पांच परियोजनाओं में से राजस्थान में दो और आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही हैं। अ वि संघ ने महाराष्ट्र सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास की संयुक्त परि-योजना को जुलाई 1977 में स्वीकृति दी थी।

5.13 राजस्थान नहर विकास परियोजना के 621 'चक' से संबंधित अनुमानों का कृ पु वि निगम ने अनुमोदन कर दिया है और 524 'चकों' के लिए क्षेत्रीय भूमि विकास निगम ने वित्तीय सहायता प्रदान कर दी है। 379 'चकों' में कार्य शुरू हो गया है। चम्बल कमान क्षेत्र विकास परियोजना (राजस्थान) के अधीन 13 जल ग्रहण क्षेत्रों की अनुमानित लागत का कृ पु वि निगम ने अनुमोदन कर दिया है और दो जल ग्रहण क्षेत्रों में कार्य पूरा हो गया है। मध्य प्रदेश चम्बल कमान क्षेत्र की विकास परियोजना की 8 योजनाओं के अंतर्गत आने वाले 1560 हेक्टेयर के क्षेत्र के लिये कृ पु वि निगम द्वारा तकनीकी मंजूरी दे दी गई है।

5.14 आंध्र प्रदेश सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास की संयुक्त परियोजना के अधीन कृ पु वि निगम ने 2 3 करोड़ रुपये के अपने वायदे वाले ऐसे भूमि विकास कार्यक्रमों को स्वीकृति दे दी है जिसके अंतर्गत 30,500 एकड़ भूमि आती है। अ वि संघ द्वारा जुलाई 1977 में स्वीकृत महाराष्ट्र सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास की संयुक्त परियोजना 4 वर्ष की अवधि तक चलनेवाली जायकवाड़ी और पूर्णा सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत चलनेवाली सिंचाई विकास कार्यक्रम की अनुक्रम योजना है। यह परियोजना मध्य दक्षिण क्षेत्र के सूखा प्रवण क्षेत्र में ऐसा पहला प्रमुख सिंचाई कार्यक्रम है जिससे अं वि संघ संबद्ध है।

5.15 कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित किये जाने में पायी गयी कठिनाईयों में से एक कठिनाई ऐसे खेतों के विकास का वित्त पोषण करना है जिनके मालिक बैंक ऋण पाने के पात्र नहीं हैं। पिछले वर्ष की रिपोर्ट में किये गये उल्लेख के अनुसार भारत सरकार और कृ पु वि निगम ने विशेष ऋण लेखे द्वारा ऐसे कृषकों का वित्त पोषण करने के लिए एक योजना तैयार की है। इस लेखे में भारत सरकार और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा अब तक 152 लाख रुपयों का कुल अंशदान किया गया है।

घ डेरी विकास की परियोजनायें

5.16 डेरी विकास की तीन समेकित परियोजनाएं राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कार्यान्वित की जा रही हैं। राजस्थान डेरी विकास परियोजना में जयपुर, अजमेर और अलवर संघों से सम्बंधित निवेश के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर संघ की तकनीकी सेवाओं के वित्त पोषण के लिए दो योजनाएं मंजूर की गयी हैं। कर्नाटक में बंगलूर, मैसूर, तुमकुर और हसन के चार डेरी संघों को पंजीकृत किया गया है। डेरी विकास निगम ने पहले ही स्थापित डेरी की सहकारी संस्थाओं से दूध इकट्ठा करने का कार्य शुरू कर दिया है।

ङ बाजार केन्द्र परियोजना

5.17 बिहार में इसकी प्रगति सन्तोषजनक है और बाजार के लिए स्थान प्राप्त करने में शुरू में जो वैधानिक कठिनाईयां उत्पन्न हुई थीं उन्हें दूर कर दिया गया है। कृ पु वि निगम द्वारा 38 बाजार केंद्रों के लिए कुल 11 करोड़ रुपयों की जो पुनर्वित्त सहायता मंजूर की गयी थी उसके मुकाबले, इसमें भाग लेने वाले बैंकों ने 40 बाजार केंद्रों के लिए कुल 12 करोड़ रुपयों का ऋण मंजूर किया है। कर्नाटक में कृ पु वि निगम ने 25 बाजारों केंद्र परियोजनाओं को अपना अनुमोदन प्रदान किया है। इन योजनाओं के अधीन कृ पु वि निगम द्वारा अब तक कुल 9·3 लाख रुपयों का वितरण किया गया है।

च सूखा प्रवण क्षेत्र परियोजना

5.18 अ वि संघ द्वारा सहायता की गई सूखा प्रवण क्षेत्र की परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के 6 जिले आते हैं। इस परियोजना के अधीन अ वि संघ द्वारा कृ पु वि निगम को ऋण की प्रतिपूर्ति हेतु ऋण का कोई विशेष विनिधान नहीं किया गया था और चालू परियोजनाओं या कृ पु वि निगम ऋण परियोजनाओं के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के जोर पकड़ने की आशा है। कृ पु वि निगम ने इन जिलों के विकास की मदों के संबंध में एक विस्तृत बैंकिंग योजना तैयार की है और इसमें भाग लेने वाले बैंकों को इसके अंतर्गत योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है। पहले दो वर्षों में जो प्रगति धीमी गति से हो रही थी वह अब जोर पकड़ रही है।

छ बीज परियोजनायें

5.19 उत्तर प्रदेश की तराई बीज परियोजना की अवधि दिसंबर 1977 तक बढ़ा दी गयी है ताकि बीज विकास निगम विस्तार कार्यक्रम को पूरा कर सकें। पहली राष्ट्रीय बीज परियोजना अक्तूबर 1976 से लागू हुई थी और उस समय अभिसस्करण संयंत्रों का वित्त पोषण करने की बैंकिंग योजना को अंतिम रूप दे दिया गया था और उसकी सूचना सभी सम्बंधित पक्षों को दे दी गई थी।

ज बागबानी परियोजना

(हिमाचल प्रदेश)

5.20 कृ पु वि निगम ने 10 केंद्रों के दर्जा बंदी (ग्रेडिंग) और पैकिंग गृहों की योजनाओं के लिए स्वीकृति दी है। हिमाचल प्रदेश अभिसस्करण और विपणन समिति ने दो दर्जा बंदी और पैकिंग गृहों के लिए आवश्यक मशीनें आयात कर ली हैं और इनमें से एक केंद्र का निर्माण कार्य अगस्त 1977 तक पूरा होने की आशा की जाती है।

झ रूई विकास परियोजना

5.21 समेकित रुई विकास परियोजना के अधीन कृ पु वि निगम ने महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा के चुने हुए क्षेत्रों में खरीफ़ मौसम 1976-77 में कपास की उन्नत किस्में पैदा करने के लिए 4·2 करोड़ रुपयों के अल्पावधि ऋण मंजूर किये हैं। इन अल्पावधि ऋण सीमाओं के अंतर्गत किये गये वितरण आशा के अनुरूप नहीं हैं परन्तु इनमें सुधार होने की आशा है। कृ पु वि निगम द्वारा वर्ष 1977-78 के लिए 3·5 करोड़ रुपये की अल्पावधि ऋण सीमा पहले ही मंजूर की जा चुकी है।

5.22 अभिसस्करण अंश के संबंध में कृ पु वि निगम द्वारा दो अध्ययन दलों का गठन किया गया है। इनमें हरियाणा रुई की धुनाई और बीज अभिसस्करण संयंत्रों की स्थापना की संभावनाओं की रिपोर्ट तैयार करने के लिए तकनीकी परामर्शदाता भी शामिल हैं।

ञ मछली पालन परियोजना

5.23 अ वि संघ/अ पु वि बैंक ने गुजरात मछलीपालन परियोजना के लिए अप्रैल 1977 में मंजूरी दी थी। इस परियोजना में गुजरात के मछलीपालन व्यवसाय के समेकित विकास की परिकल्पना की गयी है जिसमें गरोल और वेरावल स्थित मछली पकड़ने के बंदरगाहों को विकसित करना, तटीय सुविधाओं में सुधार करना और मछली अभिसस्करण यूनिटों के लिए प्रशीतन और बर्फ संयंत्रों की स्थापना तथा पारंपरिक मछुओं को सहायता देने के लिए ऋण की व्यवस्था शामिल है।

ट निर्माणाधीन परियोजनायें

5.24 निर्माणाधीन परियोजनाओं में द्वितीय राष्ट्रीय बीज परियोजना, कर्नाटक की कृष्णा के ऊपरी कमान क्षेत्र की विकास परियोजना तथा उड़ीसा की मध्यम और लघु सिंचाई

तथा कमान क्षेत्र की विकास परियोजनाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय बीज परियोजना के दूसरे चरण के अंतर्गत उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्य के आने की संभावना है। अप्रैल 1977 में अ वि संघ का एक आयोग परियोजना का मूल्यांकन करने के लिए भारत के दौरे पर आया था। इस आयोग के साथ कृ पु वि निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी भी सम्बद्ध थे। विश्व बैंक के एक पर्यवेक्षण आयोग ने पूर्वी क्षेत्र की अनाज परियोजना के अंतर्गत बिहार में अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिये योजनायें एवं परियोजनायें तैयार करने के निमित्त बिहार का व्यापक सर्वेक्षण किया था। इस परियोजना के एक अंग के रूप में अ वि संघ के एक आयोग ने असम कृषि ऋण परियोजना का भी मूल्यांकन किया था। इस आयोग के साथ कृ पु वि निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ऋण विशेषज्ञ के रूप में सम्बद्ध थे। कृ पु वि निगम की दूसरी ऋण परियोजना के अंतर्गत बिहार और असम की दोनों परियोजनाओं अधीन क्षेत्रों का ऊपरी विकास करने के लिए ऋण प्रदान किया जायेगा। कृ पु वि निगम को सामान्य ऋण की ऐसी प्रणाली मंजूर की गई है जिसकी अनुपूर्ति प्रत्येक दो वर्षों में की जाएगी। इस प्रणाली के फलस्वरूप लघु सिंचाई, खेतों के ऊपरी विकास तथा अन्य विशेषीकृत उधार देने की अ वि संघ द्वारा सहायता की गई परियोजनाओं के अलग अलग राज्यों के अनुसार तैयार किये जाने की आवश्यकता काफी हद तक कम हो गई है।

भावी स्वरूप

पिछली वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि निगम ने पांचवी योजना के दौरान लगभग 900 करोड़ रुपये के अपने पिछले संदर्श ऋण कार्यक्रम की समीक्षा की थी और उसे बढ़ाकर 1025 करोड़ रुपये तक कर दिया था। पांचवी योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान संशोधित संदर्श ऋण कार्यक्रम तथा उपलब्धियां नीचे सारणी में दर्शायी गयी है:

सारणी 11
संदर्श कार्यक्रम

करोड़ रुपये

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	मूल कार्यक्रम	संशोधित कार्यक्रम	वितरित पुनर्वित्त	
			वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च)	लेखा वर्ष (जुलाई-जून)
1974-75	101 (वास्तविक)	120	101	106
1975-76	140	140	155	171
1976-77	185	220	210	221
1977-78	216	260		
1978-79	238	285		
	880	1025		

6 2 परिकल्पित वितरणों के बारे में यह माना गया है कि वे वास्तविक हैं। कृ पु वि निगम की द्वितीय ऋण परियोजना के अंतर्गत अ वि संघ द्वारा किया गया निधियों का वायदा भी निगम द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रम पर आधारित है। अगले कुछ वर्षों के दौरान उधार देने के कार्यक्रमों में लघु सिंचाई के लिए उधार देने पर जोर दिया जाता रहेगा। इन योजनाओं का स्वरूप इस प्रकार है कि इनसे शीघ्र ही आय होगी और इनसे लघु और सीमान्त किसानों तथा समुदाय के अन्य कमजोर वर्गों की बहुत बड़ी संख्या लाभान्वित होगी। भूमिगत जल की अभी भी काफी ऐसी क्षमता विशेषकर केन्द्रीय, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में विद्यमान है जिसका उपयोग किया जाना है। जो पूर्वी क्षेत्र अनाज परियोजना अ वि संघ के अंतर्गत तैयार की जा रही है उसका विशिष्ट उद्देश्य इस क्षमता का उपयोग करना है। राज्य विद्युत बोर्डों को पम्पसेटों के विद्युतीकरण हेतु वित्त प्रदान करने की योजना को और अधिक उदार बनाया गया है ताकि किसान लघु सिंचाई के साधनों का शीघ्र ही फायदा उठा सकें। जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल का दोहन पहले से ही काफी अधिक किया जा रहा है वहां उचित जल व्यवस्था शुरू करने के उपाय अपनाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। जहां सतही जल सिंचाई की गुंजाइश, उदाहरणार्थ महाराष्ट्र, विद्यमान वहां उद्वाही सिंचाई यूनिटों का प्रवर्तन किया जा रहा है। इसके साथ ही, समस्या मूलक क्षेत्रों में क्षमता का और अधिक दोहन किये जाने पर कारगर नियंत्रण रखना अनिवार्य है और इसमें भूमिगत जल के स्रोतों के बारे में कानून बनाये जाने सहित राज्य को प्रभावकारी नियंत्रण की आवश्यकता का महत्व स्पष्ट हो जाना चाहिये। केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने पहले ही ऐसे क्षेत्रों को अभिनिर्धारित कर दिया है जहां भूमिगत जल के और अधिक विकास का प्रवर्तन करने के लिए अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है

जब तक राज्य भूमिगत जल निदेशालय इन क्षेत्रों में और अधिक क्षमता की उपलब्धता को प्रमाणित करने के लिए ब्योरेवार अध्ययन नहीं करा लेता, निगम इन क्षेत्रों की योजनाओं को मंजूर नहीं करेगा।

6.3 आगामी वर्षों में निगम लघु और सीमान्त कृषकों तथा समुदाय के अन्य कमजोर वर्गों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर ध्यान देता रहेगा। निगम यह सुनिश्चित करने के लिये वचनबद्ध है कि उसके वितरण का 50 प्रतिशत भाग लघु कृषकों को प्राप्त हो।

6.4 निगम के कार्यकलापों की बढ़ती हुई मात्रा और जटिलता के कारण यह आवश्यक हो गया है कि उसके संगठन के स्वरूप एवं उसकी कार्य पद्धति की समय समय पर समीक्षा की जाए। इस बारे में वर्ष 1973 में स्थापित प्रथम समीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू किया जा चुका है। उसके बाद कारोबार में होने वाले विकास के कारण यह आवश्यक हो गया है कि दूसरी नई समीक्षा की जाए। अत. निगम ने अपने संगठन, अपनी क्रिया विधियों तथा कार्य पद्धतियों की समीक्षा करने तथा कार्य-संपादन का उच्चतर स्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश करने के निमित्त एक द्वितीय समीक्षा समिति नियुक्त की है। समिति ने एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके आधार पर पहले ही कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

वित्त

1975-76 और 1976-77 के दो वर्षों के दौरान अपने उधार कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिये कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की निधियों के प्रमुख स्रोत तथा 1972-73 से 1975-76 तक के पांच वर्षों के दौरान विभिन्न मदों की प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित सारणी में दर्शाई गई हैं।

सारणी 12

निधियों का स्रोत

करोड़ रुपये

	1975-76	जोड़ का प्रतिशत	1976-77	जोड़ का प्रतिशत	जून 1972 जून 1977	जोड़ का प्रतिशत
1. चुकता शेयर पूंजी और आरक्षित निधि/अधिशेष	6 67	3.6	12.72	5.1	31 67	4.3
2. भारतीय रिजर्व बैंक की विशिष्ट जमाराशियाँ	0.51	0.3	0 62	0.3	1.96	0.3
3. भारत सरकार से लिये गये उधार						
(क) अं वि संघ की निधियाँ	53 47	29.1	90.00	36.5	260.45	35.0
(ख) अन्य	—	—	—	—	3.99	0.5
4. भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये उधार						
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दी० प्र० निधि)	60.00	32.7	50.00	20.3	203.00	27.3
5. बॉण्ड	38.50	20 9	44.00	17.8	154.00	20.6
6. बैंकों द्वारा की गई चुकौतियाँ	24.59	13.4	48.00	19.4	87.50	11.8
7. विशेष ऋण लेखा जमाराशियाँ	—	—	1 52	0.6	1.52	0.2
जोड	183.74	100.0	246.86	100 0	744.09	100.0

शेयरपूंजी

7.2 इस वर्ष के दौरान निगम की अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने सितम्बर 1976 में 10 करोड़ रुपयों के चुकता मूल्य के शेयरों की छठी शृंखला जारी की। इन शेयरों पर गारंटीकृत लाभांश 6.25 प्रतिशत था। 30 जून 1977 के अंत में निगम की कुल चुकता पूंजी 35 करोड़ रुपये थी। 30 जून 1977 को निगम की शेयरपूंजी में शेयरधारियों के विभिन्न वर्गों के अंशदान नीचे दर्शाये गये अनुसार है।

सारणी 13
शेयर में अंशदान के स्रोत

करोड रुपये

	शेयर		जोड का प्रतिशत
	संख्या	मूल्य	
1. भारतीय रिजर्व बैंक	19126	19.13	54.7
2. केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	6095	6.10	17.4
3. राज्य सहकारी बैंक	2833	2.83	8.1
4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक	6231	6.23	17 7
5. भारतीय जीवन बीमा निगम	343	0.34	1.0
6. अन्य बीमा और निवेश कंपनियाँ	372	0.37	1.1
	35000	35.00	100.0

भारत सरकार से लिये गये उधार

7.3 वर्ष 1976-77 के दौरान कृ पु वि निगम सरकार से 90 करोड़ रुपये उधार लिये है और यह राशि विश्व बैंक अनुदान परियोजना के अन्तर्गत वितरित की गई राशि की प्रतिपूर्ति के रूप मे उधार ली गई है। जून 1977 के अन्त तक कृ पु वि निगम द्वारा भारत सरकार से लिये गये उधारो की कुल राशि 340.1 करोड़ रुपये थी।

बाजार से लिये गये उधार

7.4 कृ पु वि निगम द्वारा अपने वायदों की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन जुटाने के निमित्त वह समय समय पर खुले बाजार के उधारो का सहारा लेता है। इस वर्ष कृ पु वि निगम के कुल मिलाकर 44 करोड रुपये की राशि (10 प्रतिशत अधिक के अनुमत अभिदानों सहित) के बांडो की xi और x–ii शृखला जारी की है। इन 10 वर्षीय बांडो को 99 रुपये की भाजन दर पर जारी किया गया है और इन पर 6 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज दिया जायेगा। जून 1977 के अत मे कृ पु वि निगम के बाजार से लिये गये उधार 181 71 करोड रुपये के थे। नीचे की सारणी मे इस वर्ष के दौरान जारी की गई दो शृंखला के लिये विभिन्न अभिदाताओ से प्राप्त बाडो की पिछली शृखलाओ के लिए किये गये सकल अभिदान दर्शाये गये है।

सारणी 14
बांडों मे अभिदान

करोड़ रुपये

अभिदाता	i से x	xi	xii	जोड़
1. भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंक	29.15	1.49	8.49	39.13
2. राष्ट्रीयकृत बैंक	56.56	4.40	8.60	69.56
3. अन्य वाणिज्य बैंक	8.73	0 81	1.34	10.88
4. भारतीय जीवन बीमा निगम	1.30	0.15	0.25	1.70
5. अन्य बीमा और निवेश कंपनियां	0.96	0.23	0 15	1.34
6. सहकारी बैंक	40.21	9.40	8.66	58.27
7. अन्य	0.80	0.02	0.01	0.83
जोड़	137.71	16.50	27.50	181.71

भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये उधार

7.5 भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से 50 करोड रुपयो की आहरण सीमा मंजूर की और इस सीमा का पूरा उपयोग किया गया। पिछले ऋणो के लिए 15 8 करोड़ रुपये की चुकौती की व्यवस्था करने के बाद जून 1977 के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक की 172.6 करोड़ रुपये की राशि बकाया रहती है।

7.6 भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को अल्पावधि ऋण के रूप में 10 करोड़ रुपये की सीमा भी मंजूर की है। जून 1977 के अंत तक इस लेखे मे कोई भी उधार बकाया नही था।

सारणी 15
पुनर्वित्त की अदायगी

करोड़ रुपये

एजेंसी	कृ पु वि निगम की योजनाएं	अ वि संघ द्वारा सहायता की गई योजनाएं	जोड
1. अनुसूचित वाणिज्य बैंक	25.89	9.56	35.45
2. राज्य भूमि विकास बैंक	17.79	33.10	50.89
3. राज्य सहकारी बैंक	6.44	—	6.44
जोड़	50.12	42.66	92.78

अदायगियाँ

7.7 वर्ष 1976-77 के दौरान सदस्य बैंको के द्वारा की गई अदायगियों की राशि 48 करोड रुपये है जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह राशि 24.59 करोड रुपये थी। 30 जून 1977 के अंत तक की गई 92 78 करोड़ रुपयों की कुल अदायगियो का एजेंसीवार विभाजन नीचे की सारणी मे दिया गया है:

7.8 इस वर्ष के दौरान कृ पु वि निगम के सदस्यों के रूप में 12 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको सहित 13 बैंकों को सदस्य बनाया गया है।

जनरल इनश्योरेंस कार्पोरेशन ग्राफ इंडिया, ग्रोरियन्ट फायर एण्ड जनरल इनश्योरेंस तथा नेशनल इनश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड भी निगम के शेयरधारी हो गये हैं।

7.9 नारग बैंक ग्राफ इंडिया का युनाइटेड बैंक ग्राफ इंडिया के साथ विलय हो जाने के फलस्वरूप वह कृ पु वि निगम का सदस्य नही रह गया है। इस प्रकार 30 जून 1977 को निगम की कुल सदस्य सख्या 129 है जबकि वह पिछले वर्ष 114 थी।

निदेशक बोर्ड

7.10 इस बार निदेशक बोर्ड की 7 बार बैठकें हुई हैं।

7.11 कृ पु वि निगम अधिनियम, 1963 की धारा 10 (च) ग्रौर (ड) के अधीन श्री पी० सी० डी० नम्बियार, प्रबंध निदेशक (इस बीच भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष नियुक्त हो गये हैं) ग्रौर वीर शेट्टी कुसनूर, निदेशक, कर्नाटक राज्य सहकारी शीर्ष बैंक लिमिटेड क्रमशः श्री टी० ग्रार० वरदाचारी ग्रौर श्री एम० ग्रार० पटेल, के स्थान पर निदेशक के रूप मे चुने गये हैं। कृ पु वि निगम अधिनियम, 1963 की धारा 10 (घ) के अधीन कर्नाटक राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के श्री बी० एम० विश्वनाथन को कृ पु वि निगम के निदेशक के रूप मे पुन. निर्वाचित किया गया है।

7.12 डॉ० सी० डी० दाते, कार्यपालक निदेशक की सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप कृ पु वि निगम अधिनियम, 1963 की धारा 10 (ख) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉ० ए० के० बनर्जी को कृ पु वि निगम के बोर्ड मे नामित किया है। इस बीच श्री के० माधवदास, कार्यपालक निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा डॉ० ए० के० बनर्जी के स्थान पर नामित किये गये हैं।

7.13 बोर्ड डॉ० सी० डी० दाते, डॉ० ए० के० बनर्जी, श्री टी० ग्रार० वरदाचारी ग्रौर श्री एम० ग्रार० पटेल द्वारा कृ पु वि निगम को दी गई बहुमूल्य सेवाग्रो के लिये उनके प्रति ग्रपना हार्दिक ग्राभार प्रकट करता है।

हिन्दी का प्रयोग

7.14 कृ पु वि निगम के दैनिक कामकाज मे हिन्दी के प्रयोग का प्रसार करने के लिये उसे भारतीय रिज़र्व बैंक की राजभाषा कार्यान्वियन समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया है। हिन्दी मे प्राप्त सभी पत्रो के उत्तर हिन्दी ग्रौर ग्रंग्रेजी मे एक साथ दिये जाते हैं। कृ पु वि निगम की वार्षिक रिपोर्ट हिन्दी ग्रौर ग्रंग्रेजी दोनों में ही प्रकाशित होती है। हिन्दी के प्रयोग का प्रसार करने ग्रौर कर्मचारियो को हिन्दी प्रशिक्षण की सुविधाये प्रदान करने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जो कदम उठाये गये है निगम उनमें ग्रपने ग्राप को सबद्ध करता ग्रा रहा है।

लाभ

7.15 ग्रायकर ग्रधिनियम 1961 के ग्रधीन ग्रनुमत विशेष ग्रारक्षित निधि के लिए 196.5 लाख रुपयों ग्रर्थात् वर्तमान लाभ के 25 प्रतिशत की व्यवस्था करने के बाद निगम को वर्ष 1976-77 के दौरान विनियोजन हेतु प्राप्त राशि 248.54 लाख रुपये थी। प्राप्त लाभ को निदेशको ने निम्नानुसार विनियोजित करने की सिफारिश की है:

	लाख रुपये
ग्रारक्षित निधि को ग्रतरण	75.15
शेयरो के लिए लाभाश	175.39
	248.54

निदेशकों की ग्रोर से

23 ग्रगस्त 1977

आर० के० हजारी
ग्रध्यक्ष

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. राशियों का निकटतम लाख रुपयों में पूर्णांकन कर दिया गया है।
2. विवरणो में निम्नलिखित चिन्हो/संक्षिप्त नामो का उपयोग किया गया है।

चिन्ह @अद्यतन उपलब्ध आकड़े
--शून्य या नगण्य

संक्षिप्त नाम

प्रयोजन .

लसि	= लघु सिचाई
भूवि	= भूमि विकास/उद्धार/सरक्षण/कमान क्षेत्र विकास
कृम/कृसेकें	= कृषि मशीनीकरण/कृषि सेवा केंद्र
बान/बानी	= बागान/बागवानी
मूपा/भेपा	= मूर्गीपालन/भेड़ पालन
मपा	= मछलीपालन
डेवि	= डेरी विकास
भ/बा	= भडार/बाजार केंद्र
वा	= वानिकी
कृवि	= कृषि विमानन
गोसं	= गोबर संयंत्र
सरूविप	= समेकित रुई विकास परियोजना

एजेंसी .

1. राभूवि बैंक	= राज्य भूमि विकास बैंक
2. अवा बैंक	= अनूसूचित वाणिज्य बैंक
3. रास बैंक	= राज्य सहकारी बैंक

विवरण 1

वायदों की तुलना में पुनर्वित्त प्राप्त करने की प्रवृत्ति

लाख रुपये

वर्ष (जूलाई-जून)	प्रत्येक वर्ष के अंत में स्वीकृत योजनाओं की संख्या	प्रावस्थाक्रम के अनुसार कृषुवि निगम के वायदे		वितरण		वितरित राशियों का वायदे से प्रतिशत	
		वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत तक	वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत तक	वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत तक
1963-64	3	—	—	—	—	—	—
1964-65	13	447	447	45	45	10.1	10.1
1965-66	36	828	873	445	490	53 7	56.1
1966-67	42	940	1430	208	698	22.1	48.8
1967-68	128	1850	2548	567	1265	30.6	49.6
1968-69	233	4594	5859	1784	3049	38 8	52.0
1969-70	371	6166	9215	2860	5909	46.4	64.1
1970-71	458	6658	12567	3062	8971	46.0	71.4
1971-72	711	8633	17604	3498	12469	40.5	70.8
1972-73	923	16671	29140	9414	21883	56.5	75.1
1973-74	1457	18820	43556	9784	31667	52.0	72.7
1974-75	2053	18754	60873	10640	42307	56.8	69.5
1975-76	2905	29652	84778	17115	59420	57.7	70.1
1976-77	4487	38062	109005	22082	81502	58.0	74.8

विवरण 2

1976–77 के दौरान स्वीकृतियाँ-प्रयोजनवार

लाख रुपये

प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषुवि निगम के वायदे	राज्य सरकारों/ बैंकों के वायदे
लघु सिंचाई	657	20315	17752	2563
भूमि विकास/उद्धार/संरक्षण/कमान क्षेत्र विकास	193	3375	2711	664
कृषि मशीनीकरण/कृषि सेवा केंद्र	227	4895	3704	1191
बागान और बागवानी	103	1641	1303	338
मूर्गी पालन और भेड़ पालन	53	400	316	84
मछली पालन	48	421	343	78
डेरी विकास	157	1571	1220	351
भण्डार और बाजार केंद्र	190	3096	2522	574
अन्य :				
कृषि विमानन	1	30	23	7
समेकित रूई विकास	14	745	575	170
वानिकी	9	299	244	55
गोबर संयंत्र	1	2	2	—
जोड़	1653	36790	30715	6075

विवरण 3

1976–77 के दौरान स्वीकृतियां—क्षेत्रवार और राज्यवार

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषि निगम के वायदे	राज्य सरकारों/ बैंको के वायदे
I उत्तरी क्षेत्र				
हरियाणा	93	3861	3057	804
हिमाचल प्रदेश	13	251	219	32
जम्मू और कश्मीर	2	25	18	7
पंजाब	59	2074	1635	439
राजस्थान	69	2629	2139	490
	236	8840	7068	1772
II उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र				
असम	15	115	103	12
मणिपुर	1	4	3	1
मेघालय	3	60	53	7
त्रिपुरा	1	3	2	1
नागालैंड	2	50	40	10
	22	232	201	31
III पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	101	3195	2863	332
उड़ीसा	79	2481	2230	251
पश्चिम बंगाल	52	1546	1389	157
	232	7222	6482	740
IV–मध्य क्षेत्र				
मध्य प्रदेश	118	2305	1940	365
उत्तर प्रदेश	269	2210	1766	444
	387	4515	3706	809
V–पश्चिमी क्षेत्र				
गोवा	7	127	100	27
गुजरात	87	1793	1489	304
महाराष्ट्र	242	4027	3177	850
	336	5947	4766	1181
VI–दक्षिणी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	118	2790	2334	456
कर्नाटक	197	4381	3843	538
केरल	43	1606	1280	326
तमिलनाडु	82	1257	1035	222
	440	10034	8492	1542
कुल जोड़ (I से VI तक)	1653	36790	30715	6075

लाख रुपये

विवरण 4

1976–77 के दौरान स्वीकृतियां–एजेंसीवार

एजेंसी	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषुवि निगम के वायदे	राज्य सरकारो/ बैंको के वायदे
राज्य भूमि विकास बैंक	528	16130 (43 8)	14088 (45.9)	2042
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1105	19419 (52.8)	15611 (50.8)	3808
राज्य सरकारी बैंक	1141	(3.4)	1016 (3.3)	225
जोड़	1653	36790 (100.0)	30715 (100.0)	6075

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल का प्रतिशत है।

विवरण 5

30 जून 1977 तक स्वीकृत योजनाओं का वितरण–प्रयोजनवार

लाख रुपये

प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषुवि निगम के वायदे	राज्य सरकारो/ बैंकों के वायदे	वितरण
लघु सिंचाई	2175	112224	100102	12122	58830
भूमि विकास/उद्धार/संरक्षण/कमान क्षेत्र विकास	309	16180	12775	3405	4063
कृषि मशीनीकरण/कृषि सेवा केंद्र	711	21730	16575	5155	11665
बागान/बागवानी	385	7454	5771	1683	2165
मुर्गी पालन/भेड़ पालन	124	812	666	146	232
मछली पालन	168	2395	1837	558	902
डेरी विकास	325	3678	3003	675	953
भण्डार और बाजार केन्द्र	272	6328	5367	961	2652
अन्य :					
कृषि विमानन	3	53	40	13	17
वानिकी	12	465	360	105	18
समेकित रूई विकास परियोजना	2	5	5	—	5
गोबर संयंत्र	1	2	2	—	—
जोड़	4487	171326	146503	24823	81502

विवरण 6

30 जून 1977 तक स्वीकृत योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरण

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एजेंसी की कूट संख्या	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	कुल वित्तीय सहायता	कृपुवि निगम के वायदे			वितरण	
					जोड	प्रावस्थाकरण		1976-77 के दौरान	30 जून 1977 तक
						1976-77 तक	1976-77 के दौरान		
I उत्तरी क्षेत्र									
दिल्ली	2	कृम	3	115	93	82	15	7	53
		मुपा	1	20	16	16	—	—	—
		डेवि	4	22	20	20	15	3	5
	3	मुपा	1	12	12	12	12	—	6
			9	169	141	130	42	10	64
हरियाणा	1	लसि	39	6304	5673	5259	1188	544	3669
		भूवि	5	383	307	226	66	24	56
		कृम	5	1183	887	736	317	264	707
		बान/बानी	2	54	40	40	—	—	30
		डेवि	1	51	38	38	24	—	--
	2	लसि	54	4153	3380	2181	600	410	1652
		भूवि	14	145	115	59	59	—	—
		कृम	44	1475	1106	1038	518	380	937
		मुपा	3	21	20	15	6	3	5
		भेपा	1	2	1	1	1	—	—
		डेवि	9	88	76	55	19	3	35
		भाबा	22	259	206	206	206	139	139
		कृवि	1	30	23	23	23	—	—
		मरूविय	1	3	3	3	3	3	3
	3	डेवि	1	20	15	15	—	—	15
		भाबा	4	267	262	262	—	—	243
			206	14438	12152	10157	3030	1770	7491
हिमाचल प्रदेश	1	लसि	1	20	18	5	5	—	—
		बान/बानी	2	78	58	29	16	2	13
	2	कृम	1	14	11	11	—	--	11
		बान/बानी	10	178	160	—	—	—	—
		मुपा	1	6	6	6	2	—	--
		डेवि	3	25	23	18	7	—	4
			18	321	276	69	30	2	28

विवरण—6 (जारी)

30 जून 1977 तक स्वीकृत योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरण

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य संघ शासित क्षेत्र	एजेंसी की कूट संख्या	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	कुल वित्तीय सहायता	कृषि निगम के बायदे			वितरण	
					जोड़	प्रावस्थाकरण			
						1976-77 तक	1976-77 के दौरान	1976-77 के दौरान	30 जून 1977 तक
जम्मू और कश्मीर	1	भूवि	1	8	7	7	—	—	—
		कृम	1	34	26	21	9	6	16
		बान/बानी	3	130	97	94	3	—	78
	2	भूवि	1	3	2	1	1	—	—
		कृम	2	37	29	17	10	—	—
		डेवि	1	7	7	4	3	—	—
			9	219	168	144	26	6	94
पंजाब	1	लमि	32	3131	2837	2803	59	131	2590
		भूवि	14	892	733	552	134	90	309
		कृम	3	1310	982	982	544	322	750
		बान/बानी	2	187	141	141	—	—	—
	2	लमि	19	1597	1282	823	269	115	426
		भूवि	3	184	144	35	27	—	—
		कृम	40	3139	2349	2289	1398	992	1867
		मृपा	1	1	1	1	—	—	—
		डेवि	21	225	202	168	82	23	75
		भाबा	26	343	274	265	168	54	101
		सरूविप	1	2	2	2	2	2	2
	3	कृम	1	18	16	16	—	2	16
		डेवि	4	108	88	88	—	—	—
		भाबा	4	747	730	730	—	—	651
			171	11884	9781	8895	2683	1731	6787
राजस्थान	1	लमि	82	3696	3434	2444	790	318	1346
		भूवि	5	480	360	352	21	6	19
		बान/बानी	1	39	29	25	2	3	18
	2	लमि	28	865	702	474	166	79	206
		कक्षेवि	18	3899	3094	715	554	174	189
		कृम	19	637	483	372	165	95	274
		कृसेके	2	39	29	25	13	2	11
		मृपा	2	14	10	7	3	—	—
		डेवि	13	193	156	51	47	18	22
		भाबा	25	659	525	443	288	92	176
			195	10521	8822	4908	2049	787	2341
			608	37552	31340	24303	7860	4306	16805

विवरण—6 (जारी)

30 जून 1977 तक स्वीकृत योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरण

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एजेंसी की कूट संख्या	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	कुल वित्तीय सहायता	कृषि निगम के वायदे			वितरण 1976-77 के दौरान	30 जून 1977 तक
					जोड़	प्रावस्थाकरण			
						1976-77 तक	1976-77 के दौरान		
II उत्तर पूर्वी क्षेत्र									
असम	1	बान/बानी	1	5	4	3	1	—	—
	2	लसि	7	184	168	125	73	12	15
		कुम	1	6	5	2	2	3	3
		बान/बानी	12	240	210	180	45	37	173
		डेवि	4	25	23	12	9	2	3
		भाबा	6	46	41	32	22	16	16
			31	506	451	354	152	70	210
मणिपुर	2	लसि	1	4	3	1	1	—	—
		कुम	1	41	37	17	5	8	13
			2	45	40	18	6	8	13
मेघालय	2	बान/बानी	2	11	10	—	—	—	—
		मुपा	2	5	5	—	—	—	—
		वा	1	49	44	20	20	—	—
			5	65	59	20	20	—	—
नागालैंड	2	भाबा	1	3	2	2	2	1	2
	3	भूवि	1	30	30	30	10	2	11
			2	33	32	32	12	3	13
त्रिपुरा	2	लसि	3	18	16	5	5	2	2
		बान/बानी	1	5	5	3	2	—	1
		वा	2	50	40	—	—	—	—
			6	73	61	8	7	2	3
			46	722	643	432	197	83	239

विवरण 6 (जारी)

30 जून 1977 तक स्वीकृत योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरण

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी की कूट संख्या	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	कुल वित्तीय सहायता	कृषि निगम के वायदे			वितरण 1976-77 के दौरान	30 जून 1977 तक
					जोड़	प्रावस्थाकरण			
						1976-77 तक	1976-77 के दौरान		
III पूर्वी क्षेत्र									
बिहार	1	लसि	19	4997	4498	3194	728	702	2683
		भूवि	1	112	84	84	—	—	84
		कृम	2	142	128	84	44	60	60
		बान/बानी	1	14	11	6	3	2	3
		मपा	1	46	41	—	—	—	—
	2	लसि	108	4684	4188	3262	1203	656	1296
		कृम	17	643	556	366	165	82	324
		डेवि	2	12	11	2	2	—	—
		भांबा	38	1189	1065	751	500	179	463
		वा	3	166	116	65	29	15	15
	3	डेवि	2	70	53	53	—	—	10
			194	12075	10751	7867	2674	1696	4938
उड़ीसा	1	लसि	54	3277	2941	1680	1170	320	436
		भूवि	7	115	91	68	23	7	31
		कृम	1	80	60	60	10	3	15
		बान/बानी	9	263	208	117	30	27	75
	2	लसि	78	2087	1883	1520	1006	127	379
		भूवि	4	97	81	79	19	6	15
		कृम	1	25	20	20	6	1	10
		बान/बानी	6	47	44	10	8	—	1
		मपा	1	39	35	22	15	—	—
		डेवि	1	9	8	5	2	—	—
		भांबा	5	38	32	15	15	2	2
	3	लसि	14	581	523	262	262	72	72
		मपा	1	39	35	22	15	—	—
		डेवि	1	19	18	18	7	—	—
			183	6716	5979	3898	2588	565	1036

विवरण 6 (जारी)

30 जून 1977 तक स्वीकृत योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरण

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी की कूट संख्या	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	कुल वित्तीय सहायता	कृपुवि निगम के वायदे			वितरण	
					जोड़	प्रावस्थाकरण		1976-77 के दौरान	30 जून 1977 तक
						1976-77 तक	1976-77 के दौरान		
पश्चिम बंगाल	1	लसि	39	1543	1394	869	402	279	451
		कृम	1	28	25	11	6	—	—
		बान/बानी	7	108	96	40	20	2	7
	2	लसि	43	1167	1049	444	357	283	321
		कृम	5	86	78	70	25	10	35
		बान/बानी	5	40	36	29	4	6	29
		मुपा	3	41	37	9	7	—	2
		डेवि	3	19	18	15	4	3	7
		भांबा	8	142	120	94	73	7	7
			114	3174	2853	1581	898	590	859
			491	21965	19583	13346	6160	2851	6833
VI केंद्रीय क्षेत्र									
मध्य प्रदेश	1	लसि	103	6940	6257	5702	3741	1521	4315
		भूवि	3	166	125	125	4	14	30
		कृम	3	246	184	103	29	—	72
		बान/बानी	2	31	23	14	14	—	—
	2	लसि	138	4186	3740	3705	3529	882	2221
		कृम	24	980	757	573	234	133	392
		कृसेके	88	76	59	59	13	20	35
		बान/बानी	1	2	2	—	—	—	1
		डेवि	14	182	149	38	28	1	—
		भांबा	30	303	242	210	194	25	25
		वा	6	200	160	60	60	3	3
		गोसं	1	2	2	—	—	—	—
	3	भांबा	1	27	20	11	11	11	11
			414	13341	11720	10600	7875	2610	7105

विवरण 6 (जारी)

30 जून 1977 तक स्वीकृत योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरण

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी की कूट संख्या	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	कुल वित्तीय सहायता	कृषिवि निगम के वायदे			वितरण 1976-77 के दौरान	30 जून 1977 तक
					जोड़	प्रावस्थाकरण			
						1976 77 तक	1976-77 के दौरान		
उत्तर प्रदेश	1	लसि	146	16464	14892	11169	2405	2003	8307
		भूवि	9	68	54	31	22	—	—
		कक्षेवि	91	309	275	99	99	—	—
		बान/बानी	8	182	137	90	23	6	22
	2	लसि	68	1798	1583	1048	270	426	1007
		भूवि	4	951	709	705	537	28	193
		कसेवि	42	58	48	16	16	—	—
		कृम	194	4102	3149	2807	982	958	2047
		भेपा	1	3	2	2	1	—	—
	2	डेवि	27	393	322	182	93	38	86
		भांबा	28	539	411	359	343	261	269
	3	डेवि	2	64	48.	48	—	—	—
		भाबा	1	155	155	155	—	—	150
			621	25086	21785	16711	4791	3720	12081
			1035	38427	33505	27311	12648	6330	19186
V पश्चिमी क्षेत्र									
गोवा	2	लसि	2	20	14	14	11	—	3
		बान/बानी	1	8	6	2	2	—	—
		मुपा	2	6	4	4	2	1	1
		मपा	23	159	128	90	40	8	29
		डेवि	1	2	1	1	1	—	—
	3	मपा	1	40	30	30	4	15	22
			30	234	183	141	60	24	55

विवरण 6 (जारी)

30 जून 1977 तक स्वीकृत योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरण

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी की प्रयोजन कूट संख्या		योजनाओं की संख्या	कुल वित्तीय सहायता	कृषिवि निगम के वायदे			वितरण 1976-77 के दौरान	30 जून 1977 तक
					जोड़	प्रावस्थाकरण			
						1976-77 तक	1976-77 के दौरान		
गुजरात	1	लमि	71	6670	6003	5485	59	112	4525
		कृम	1	351	263	263	—	—	233
		बान/बानी	2	30	22	22	—	—	22
		डेवि	5	141	106	—	—	—	—
	2	लसि	25	702	565	395	377	70	77
		कुम	33	953	738	655	259	137	443
		कृसेकें	3	43	34	34	14	3	13
		मुपा	2	46	37	12	12	—	—
		मपा	1	11	9	9	2	2	8
		डेवि	27	341	285	244	64	58	173
		भाबा	12	161	127	127	110	20	38
	3	मपा	2	198	179	77	65	—	—
		भांबा	1	2	2	2	—	—	2
			185	9649	8370	7325	962	402	5534
महाराष्ट्र	1	लसि	135	9151	8224	4094	515	1283	6116
		भूवि	16	2868	2183	566	—	—	368
		कृम	2	271	203	203	—	—	153
		बान/बानी	7	241	198	87	29	13	13
	2	लमि	374	3473	2778	1996	845	230	1200
		*भूवि	1	1	1	1	1	—	—
		कृमि	106	944	725	353	174	211	326
		बान/बानी	4	17	15	11	6	1	1
		मुपा	20	122	96	58	31	26	54
		भपा	1	5	4	—	—	—	—
		मपा	4	51	35	18	21	5	12
		डेवि	93	874	708	332	119	133	365
		भाबा	12	401	319	155	101	22	73
		कृवि	1	7	5	5	—	—	5
	3	मपा	5	180	84	84	—	4	82
			781	18606	15578	7963	1832	1928	8768
			996	28489	24131	15429	2854	2354	14357

*इसमें 8 योजनाओं के लिए प्रदान किये गये 1843 रुपयो के सामान्य अनुमोदन भी शामिल हैं।

विवरण 6 (जारी)

30 जून 1977 तक स्वीकृत योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरण।

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजना कूट संख्या	योजनाओं की संख्या	कुल वित्तीय सहायता	कृपुवि निगम के वायदे			वितरण 1976-77 के दौरान	30 जून 1977 तक
					जोड	प्रावस्थाकरण			
						1976-77 तक	1976-77 के दौरान		
VI. दक्षिणी क्षेत्र									
आंध्र प्रदेश	1	लसि	123	8939	8111	7131	2340	1326	4725
		भूवि	30	2239	1820	1525	50	39	1348
		कृम	4	1128	846	796	564	359	591
		बान/बानी	18	342	257	110	49	12	50
		भेपा	12	180	140	84	67	3	7
		मपा	1	188	141	71	71	—	—
		डेवि	13	250	189	88	75	3	22
		मुपा	1	20	15	8	8	—	—
	2	लसि	60	985	840	690	254	92	368
		भूवि	7	132	100	55	18	—	38
		कृम	23	455	345	283	213	159	194
		कृसेकें	4	159	122	87	72	8	21
		बान/बानी	6	7	6	6	2	—	4
		मुपा	38	138	108	100	42	17	55
		भेपा	10	59	52	39	20	6	21
		मपा	11	36	28	17	17	14	14
		डेवि	41	323	273	228	101	56	95
		भाबा	5	47	38	31	31	28	28
	3	लसि	1	11	9	9	9	—	—
		मपा	1	60	39	39	—	—	39
			409	15698	13479	11397	4003	2122	7620

विवरण 6 (जारी)

30 जून 1977 तक स्वीकृत योजनाओं का राज्य, एजेन्सी और प्रयोजन के अनुसार वितरण

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य संघशासित क्षेत्र	एजेंसी की कूट संख्या	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	कुल वित्तीय सहायता	कृषि निगम के वायदे			वितरण	
					जोड़	प्रावस्थाकरण		1976-77 के दौरान	30 जून 1977 तक
						1976-77 तक	1976-77 के दौरान		
कर्नाटक	1	लसि	155	7327	6593	3412	1768	1181	4225
		भूवि	14	1143	864	864	—	32	564
		कृम	4	668	501	491	32	145	450
		बान/बानी	32	1161	871	812	35	173	631
	2	लसि	33	587	516	474	107	97	188
		भूवि	5	89	66	66	—	—	3
		कृम	45	1210	910	874	270	396	866
		बान/बानी	112	740	600	350	78	39	191
		मुपा	16	48	41	41	6	6	6
		भेपा	1	4	4	4	—	—	—
		मपा	19	227	183	166	18	37	118
		डेवि	6	29	26	19	9	1	1
		भांबा	27	650	509	477	168	75	138
	3	बान/बानी	2	36	36	36	—	—	25
		मपा	2	206	143	143	—	—	137
		भांब	2	132	113	71	—	8	105
			475	14257	11976	8300	2491	2190	7675
केरल	1	लसि	7	283	255	134	88	—	46
		भूवि	5	110	82	56	—	2	20
		कृम	2	50	37	18	18	—	—
		बान/बानी	39	1219	918	354	93	58	258
	2	लसि	3	83	70	44	13	19	50
		भूवि	3	1019	890	203	25	128	278
		कृम	3	49	39	39	11	5	25
		बान/बानी	19	137	130	126	2	3	113
		मपा	48	173	131	95	48	28	64
		डेवि	9	56	47	30	16	4	7
	3	मुपा	1	22	21	16	5	—	—
		मपा	3	162	162	162	2	—	56
			142	3363	2782	1277	321	247	917

विवरण 6 (जारी)

30 जून 1977 तक स्वीकृत योजनाओं का राज्य, एजेंसी, और प्रयोजन के अनुसार वितरण

लाख रुपए

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी की कूट संख्या	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	कुल वित्तीय सहायता	कृषिवि निगम के वायदे			वितरण	
					जोड़	प्रावस्थाकरण		1976-77 के दौरान	30 जून 1977 तक
						1976-77 तक	1976-77 के दौरान		
पाण्डिचेरी	2	लसि	1	2	1	1	—	—	1
		डेवि	2	22	11	11	—	—	11
	3	मपा	2	46	34	34	8	—	15
			5	70	46	46	8	—	27
तमिलनाडु	1	लसि	105	6183	5572	4541	629	903	5817
		भूवि	3	626	470	470	—	—	470
		कृम	1	780	585	585	300	331	616
		बान/बानी	26	1144	857	424	111	38	171
	2	लसि	4	112	90	78	78	16	16
		भूवि	2	53	40	40	36	35	38
		कृम	14	202	150	150	93	72	77
		कृसेके	7	11	8	8	3	3	7
		बान/बानी	42	758	544	265	76	94	236
		मुपा	5	28	23	14	—	2	10
		भेपा	1	13	10	4	4	2	2
		मपा	37	389	289	286	61	83	258
		डेवि	15	108	82	82	36	8	16
		भाबा	14	218	174	93	93	12	13
		कृवि	1	16	12	12	—	—	12
	3	मपा	1	38	38	38	—	—	38
		भेपा	2	104	74	74	—	—	46
			280	10783	9018	7164	1520	1599	7843
			1311	44171	37301	28184	8343	6158	24082
कुल जोड़ (I से VI)			4487	171326	146503	109005	38062	22082	81502

विवरण 7

30 जून 1977 तक स्वीकृत योजनाओं का वितरण—एजेंसीवार

लाख रुपए

एजेंसी	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषिवि निगम के वायदे	राज्य सरकारों/ बैंकों के वायदे	वितरण
राज्य भूमि विकास बैंक	1541	106819 (62 3)	93521 (63 9)	13298	57633
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2882	61113 (35 7)	50013 (34.1)	11100	22117
राज्य सहकारी बैंक	64	3394 (2 0)	2969 (2 0)	425	1752
जोड़	4487	171326 (100 0)	146503 (100 0)	24823	81502

कोष्ठकों में दिए आंकड़े कुल का प्रतिशत है ।

विवरण 8

कम विकसित क्षेत्रों/कम बैंक सुविधा वाले राज्यों में योजनाओं की स्वीकृतियां और पुनर्वित का वितरण

लाख रुपए

वितरण	स्वीकृत योजनाएं			वितरण	कुल वितरण का प्रतिशत
	योजनाओं की संख्या	कृषिवि निगम के वायदे	कुल वायदों का प्रतिशत		
उत्तर प्रदेश					
1970-71 तक	32	2566	10 3	671	7.5
1971-72	33	2784	20 6	604	17.3
1972-73	26	1573	9 1	1143	12.1
1973-74 के दौरान	85	4012	18 2	1498	15.3
1974-75	75	3714	18 2	1849	17 3
1975-76	108	4172	14.1	2598	15.2
1976-77	269	1766	5 7	3720	16 9
30 जून 77 को	621	21785	13 9	12081	14.8
मध्य प्रदेश					
1970-71 तक	19	1709	6 9	170	1.9
1971-72	14	877	6 5	187	5 3
1972-73	18	1172	6 8	319	3 4
1973-74 के दौरान	122	5484	24.9	645	6 6
1974-75	38	795	3 9	1234	11.6
1975-76	102	1242	4 2	1932	11 3
1976-77	118	1940	6.3	2610	11 8
30 जून 77 को	414	11720	7.7	7105	8 7

विवरण 8 (जारी)

कम विकसित क्षेत्रों/कम बैंक सविधा वाले राज्यो में योजनाओं की स्वीकृतिया और पुनर्वित का विवरण

लाख रुपए

वितरण	स्वीकृत योजनाए			वितरण	कुल वितरण का प्रतिशत
	योजनाओ की सख्या	कृपुवि निगम के वायदे	कुल वायदो का प्रतिशत		
बिहार					
1970–71 तक	8	1360	5 5	193	2.2
1971–72	1	100	0.7	66	1 9
1972–73	4	113	0.7	154	1 6
1973–74 के दौरान	16	2738	12.4	585	5.9
1974–75	28	2069	10.1	932	8.8
1975–76	36	2313	7.8	1317	7.7
उड़ीसा					
1976–77	101	2863	7.7	1696	7.7
30 जून77 को	194	10751	6.9	4938	6.1
1970-71 तक	8	155	0 6	27	0 ६
1971-72	2	80	0 6	8	0.2
1972-73	8	261	1 5	11	0 1
1973-74 के दौरान	5	792	3 6	8	0 1
1974-75	38	1684	8 2	82	0.8
1975-76	53	985	3 3	338	1.9
1976-77	79	2230	6 0	565	2.6
30 जून 77 को	183	5979	3.7	1036	1 3
पश्चिम बगाल					
1970-71 तक	6	160	0 6	13	0 1
1971-72	4	30	0.2	5	0 1
1972-73	4	21	0.1	4	0 1
1973-74	12	247	1 1	22	0.2
1974-75 के दौरान	9	127	0 6	69	0 6
1975-76	31	997	3.4	159	0 9
1976-77	52	1389	3.8	590	2 7
30 जून 77 को	114	2853	1.8	859	1 1
राजस्थान					
1970-71 तक	11	697	2 8	161	1 8
1971-72	16	977	7.2	83	2.4
1972-73	5	507	2.9	136	1 4
1973-74 के दौरान	20	666	3 0	283	2 9
1974-75	16	851	4 2	350	3.3
1975-76	57	3353	11 3	536	3 3
1976-77	69	2139	5 8	787	3.6
30 जून 77 को	195	8822	5 6	2341	2 9
30 जून 1977 को कम विकसित* क्षेत्रो/कम बैंक सुविधावाले राज्यो का जोड़ (उपयुक्त 6 राज्यों को शामिल करके)	1794	62997	43.0	28721	35 2
30 जून 1977 को कुल राज्यो का जोड	4487	146503	100 0	81502	100 0

*उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बगाल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, असम तथा अन्य उत्तर पूर्वी राज्य शामिल है।

विवरण 9

अन्तर्राज्यीय असतुलन में कमी—स्वीकृत योजनाओं की स्थिति

लाख रुपए

राज्य का नाम	30-6-1971 को			30-6-1976 को			30-6-1977 को		
	योजनाओं की सख्या	कृपुवि निगम के वायदे	वितरण	योजनाओं की संख्या	कृपुवि निगम के वायदे	वितरण	योजनाओं की सख्या	कृपुवि निगम के वायदे	वितरण
1. आंध्र प्रदेश									
कम विकसित क्षेत्र*	44	1800	639	178	6127	2514	249	7259	3207
सपूर्ण राज्य	74	3416	1758	294	11385	5500	409	13479	7620
2. उडीसा									
कम विकसित क्षेत्र*	3	43	—	35	1024	146	61	1621	181
संपूर्ण राज्य	8	155	27	110	3853	475	183	5979	1036
3. सत्तर प्रदेश									
कम विकसित क्षेत्र*	10	544	157	112	4878	2587	198	7203	4122
संपूर्ण राज्य	32	2566	671	357	18925	8363	621	21785	12081

*आंध्र प्रदेश : तेलगाना और रायलसीमा क्षेत्र ।

*उडीसा : मयूरगज, केन्जौर, फूलबनी, सुन्दरगढ, कोरापट, कालाहाडी जिले, ।

*उत्तर प्रदेश : फैज़ाबाद, गोरखपुर और वाराणसी के तीन खंडों के जिले ।

विवरण 10

30 जून 1977 तक लघु कृषक विकास/सीमात कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसियों के तत्वाधान मे स्वीकृत योजनाओं का विवरण

लाख रुपए

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	योजनाओं की सख्या	कुल वित्तीय सहायता	कृषिनि निगम के वायदे			वितरण	
					कुल वायदे	प्रावस्थाकरण		1976-77 के दौरान	30 जून 1977 तक
						1976-77 तक	1975-77 के दौरान		
1. उत्तरी क्षेत्र									
दिल्ली	वा० बैंक	डे वि	4	22	20	20	15	3	5
हरियाणा	वा० बैंक	डे वि	3	28	27	27	4	—	2 3
		मु पा	1	11	1	7	5	1	4
हिमाचल प्रदेश	वा० बैंक	डे वि	3	26	23	18	7	—	4
		मु पा	1	6	6	6	2	—	—
जम्मू और कश्मीर	राभू वै बैंक	भू वि	1	6	6	6	—	—	—
	वा० बैंक	डे वि	1	7	7	4	3	—	—
पंजाब	राभूवि बैंक	ल सि	4	179	179	179	—	21	138
	वा० बैंक	ल सि	1	6	6	3	3	6	6
		डे वि	19	180	170	143	79	24	53
		मु पा	1	1	1	1	1	—	—
राजस्थान	राभूवि बैंक	ल सि	13	635	616	550	63	75	390
	बा० बैंक	ल सि	2	42	38	22	15	7	7
			54	1149	1110	986	197	137	630
उत्तर पूर्वी क्षेत्र									
असम	बा० बैंक	ल सि	4	114	106	89	51	6	9
		बान/बानी	1	7	6	2	2	1	1
		डे वि	3	23	21	10	7	2	3
मणिपुर	वा० बैंक	ल सि	1	1	1	1	1	—	—
त्रिपुरा	वा० बैंक	ल सि	2	17	15	5	5	2	2
मेघालय	वा० बैंक	बान/बानी	2	11	10	10	10	—	—
		मु पा	2	5	5	—	—	—	—
			15	178	164	117	76	11	15

विवरण 10 (जारी)

30 जून 1977 तक लघु कृषक विकास/सीमात कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसियों के तत्वावधान मे स्वीकृत योजनाओ का विवरण

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	योजनाओं की सख्या	कुल वित्तीय सहायता	कृपुनि निगम के वायदे			वितरण	
					कुल वायदे	प्रावस्थाकरण		1976-77 के दौरान	30 जून 1977 तक
						1976-77 तक	1976-77 के दौरान		
III पूर्वी क्षेत्र									
बिहार	वा बैंक	ल सि	1	61	56	45	21	2	12
		डे वि	1	2	3	—	—	—	—
उड़ीसा	रा भू वि बैंक	ल मि	3	242	218	177	76	38	43
		भू वि	1	2	2	—	—	—	—
	वा० बैंक	ल सि	2	397	363	239	92	—	12
		भू वि	1	16	16	16	—	—	—
		बान/बानी	4	22	21	5	3	—	—
		डे वि	1	5	5	3	1	—	—
	रा स बैंक	डे वि	1	16	16	16	6	—	—
पश्चिम बंगाल	रा भू वि बैंक	ल सि	7	136	127	90	33	45	80
		वानी/बानी	1	9	9	6	1	—	—
	वा० बैंक	ल सि	6	67	63	45	12	52	66
		डे वि	2	15	15	12	4	3	7
			31	991	914	654	249	140	232
IV मध्य क्षेत्र :									
मध्य प्रदेश	रा भू वि बैंक	ल मि	10	430	410	247	29	81	161
	वा० बैंक	ल मि	2	24	21	21	—	11	11
		डे वि	4	29	24	10	2	—	—
उत्तर प्रदेश	रा भू वि बैंक	ल मि	9	736	736	736	2	—	557
	वा० बैंक	ल मि	3	26	25	19	5	7	9
		डे वि	6	55	52	41	18	10	18
			34	1300	1268	1074	56	109	756

विवरण 10 (जारी)

30 जून 1977 तक लघु कृषक विकास/सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसियों के तत्वावधान में स्वीकृत योजनाओं का विवरण

लाख रुपए

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	कुल वित्तीय सहायता	कृपुवि निगम के वायदे: कुल वायदे	प्रावस्थाकरण: 1976-77 तक	प्रावस्थाकरण: 1976-77 के दौरान	वितरण: 1976-77 के दौरान	वितरण: 30 जून 1977 तक
V पश्चिमी क्षेत्र									
गोवा	वा बैंक	डे वि	1	2	1	1	1	—	—
गुजरात	वा बैंक	ल सिं	1	17	15	5	5	—	—
		डे वि	13	64	62	54	24	14	37
महाराष्ट्र		मृ पा	1	5	5	5	5	—	—
	रा भू वि बैंक	ल सिं	19	492	449	265	169	116	158
	वा० बैंक	ल सिं	10	114	103	46	46	7	7
		डे वि	12	118	104	65	56	21	24
			57	812	739	441	306	158	326
VI दक्षिणी क्षेत्र									
आंध्र प्रदेश	राभू वि बैंक	लसिं	14	922	894	677	266	111	364
		भू वि	4	124	111	—	—	—	—
		भेपा	3	38	34	21	21	—	—
		डेवि	1	9	8	5	5	1	1
	वा० बैंक	लसिं	2	20	20	19	8	4	9
		बान/बानी	1	4	4	4	—	—	4
		मुपा	1	2	2	1	1	—	—
		भेपा	4	29	28	24	15	6	16
		डेवि	10	95	88	69	24	15	23
	रा स बैंक	लसिं	1	11	9	9	9	—	—
कर्नाटक	राभूवि बैंक	लसिं	3	484	484	465	—	85	429
	वा० बैंक	लसिं	2	54	53	37	—	—	—
		भेपा	1	4	4	2	—	—	—
केरल	राभूवि बैंक	लसिं	4	37	33	13	13	—	—
	वा० बैंक	मपा	1	2	1	1	—	1	1
		डेवि	2	15	15	15	3	3	3
	रा स बैंक	मुपा	1	22	21	16	5	—	—
पाण्डिचेरी	वा० बैंक	डेवि	1	9	6	6	—	—	6
तमिलनाडु	राभूवि बैंक	लसिं	6	170	161	119	36	2	48
			62	2051	1976	1503	408	228	904
कुल जोड़ (I से VI)			253	6481	6171	4775	1292	783	2763

विवरण 11

अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ/अतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की परियोजनाए--प्रत्येक परियोजना का सक्षिप्त विवरण

विश्व बैंक द्वारा सहायता की गई कृषि ऋण परियोजनाओ मे लघु सिचाई (अर्थात् खोदे गये कुए व बोरिंग किये गये कुए, उथले, मध्यम और गहरे नलकूपो, उदवाही सिचाई के यूनिट और कुओ मे पपसेट तथा रहटे आदि लगाने, पाइप लाइने बिछाने तथा भूमि को समतल बनाने के अनुषगी कार्य) के भारी निवेशो, भूमि विकास तथा आयात किये गये और देशी ट्रैक्टरो, कटाई की मशीनो (हार्वेस्टर्स) तथा कबाइना की खरीद के वित्तपोषण की परिकल्पना की गई है । अन्य परियोजनाओ के मामले मे उनके नाम ही उनके अधीन हाथ मे ली जानेवाली विकास की मदो के द्योतक है । कृपुवि निगम की ऋण परियोजना I और II सामान्य स्वरूप की है जो निगम की लघु सिचाई और डेरी, मुर्गीपालन, बागन, बागबानी, मछलीपालन जैसे अन्य अनुमोदित विशाखीकृत प्रयोजनो के लिए उधार प्रदान करने के कार्यकलापो मे सहायक है ।

प्रत्येक परियोजना की कुल लागत, अवि सघ/अपुवि बैंक की सहायता, निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली सहायता, परियोजनाओ को कार्यान्वित करने वाली एजेंसियो का सक्षिप्त विवरण तथा परिकल्पित विकास के स्वरूप और प्रगति का सक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया है —

1 क. कृपुवि निगम की ऋण परियोजना (540 आई एन)

ख परियोजना की लागत—1685 लाख डालर-निगम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अतर्राष्ट्रीय विकास सघ की सहायता 750 लाख डालर ।

ग अवि सघ की राज्यवार परियोजना के अधीन न आनेवाले क्षेत्र के राज्यो मे लघु सिचाई और ऋण प्रदान करने के अन्य विशाखी कृत स्वरूपो, परियोजना के कार्यान्वयन से सबध सस्थाओ के कर्मचारियो का प्रशिक्षण और देश की अल्पावधि और दीर्घावधि सहकारी ऋणदात्री सस्थाओ के समामेलन की सम्भावना के अध्ययन से सबधित निगम द्वारा किये जानेवाले निवेश के कार्यकलापो के समर्थन के लिए कृषि उधार देने के हेतु वित्तपोषण कार्यक्रम ।

घ राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, अनुसूचित वाणिज्य बैंक और एक राज्य सहकारी बैंक ।

ङ. दो वर्ष-समाप्ति का दिनाक 31 दिसम्बर 1977 ।

च इस परियोजना के अंतर्गत कृपुवि निगम ने अब तक 123 करोड रुपये वितरित किये हैं जो सपूर्ण ऋण आहरित करने के लिए आवश्यक राशि से भी अधिक है । इस प्रकार कृपुवि निगम यह परियोजना अतिम दिनाक से छ. महीने पूर्व ही समाप्त कर सका । इस परियोजना के एक भाग के रूप में डा० हजारी की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कृपुवि निगम में गठित एक समिति ने देश मे अल्पावधि और दीर्घावधि सहकारी ऋणदात्री सस्थाओ के समामेलन की सभावना पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है । समिति की रिपोर्ट पर भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारो द्वारा विचार किया जा रहा है । इस परियोजना के अधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रमुख रूप से कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे द्वारा किया जा रहा है । जून 1977 के अत तक 29 कार्यक्रम किये गये जिनमे 834 अधिकारियो को प्रशिक्षण दिया गया । कृपुवि निगम की एक समिति द्वारा भूमि विकास बैंक के कनिष्ठ-स्तरीय कर्मचारियो की प्रशिक्षण आवश्यकताओ पर भी अध्ययन किया गया । कृपुवि निगम की सक्रिय सहायता से राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा भूमि विकास बैंक के कनिष्ठ स्तरीय कर्मचारियो के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम किये जा रहे हैं ।

2 क. कृपुवि निगम ऋण परियोजना (715 आई० एन०)*

ख. परियोजना की लागत 5320 लाख डालर-अतर्राष्ट्रीय विकास सघ की सहायता 2000

टिप्पणी :

क. परियोजना का नाम ।

ख परियोजना की लागत---अतर्राष्ट्रीय विकास सघ/अतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की सहायता और कृपि पुनर्वित ओर विकास निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली राशि ।

ग परियोजना का वितरण । घ कार्यान्वयन एजेंसी ।

ङ कार्यान्वयन की अवधि । च परियोजना की प्रगति ।

*1976-77 मे स्वीकृत परियोजनाओ को दर्शाता है ।

लाख डालर जो निगम के माध्यम से प्रदान किये जायेंगे ।

ग. वित्तपोषण कार्यक्रम (1 ग मे उल्लिखित के अनुसार) ।

घ. राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, अनुसूचित वाणिज्य बैंक और राज्य सहकारी बैंक ।

ङ. दो वर्ष समाप्ति का दिनाक 31 दिसम्बर 1979।

च. ऋण लागू करने की औपचारिकताए पूरी कर दी गयी हैं ।

3. क. आंध्र प्रदेश कृषि ऋण परियोजना (226 आई एन)

ख. परियोजना की लागत 450 लाख डालर—अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 244 लाख डालर—निगम के माध्यम से 242 लाख डालर प्रदान किये जायेंगे।

ग. लघु सिंचाई के निवेशों, भूमि विकास और कृषि मशीनीकरण के उपकरण का वित्तपोषण ।

घ. आंध्र प्रदेश सहकारी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक लिमिटेड और चुने हुए वाणिज्य बैंक ।

ङ. तीन वर्ष–इस बीच समाप्ति के दिनाक 30 जून 1974 को बढाकर 30 जून 1977 कर दिया गया है ।

च जून 1977 तक यह परियोजना पूरी तरह से कार्यान्वित की गयी—इस परियोजना के अतर्गत 1277 ट्रैक्टरो का वित्तपोषण किया गया ।

4. क. आध्र प्रदेश सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास की सयुक्त परियोजना (कृपुवि निगम कार्यक्रम) (1251 आई एन)

ख. परियोजना की लागत—2970 लाख डालर—अंपुवि बैंक की सहायता 1450 लाख डालर जिस में से 91 लाख डालर कृपुवि निगम के माध्यम से दिये जायेंगे ।

ग. इस परियोजना मे नहरें और नालिया बनाने का कार्य पूरा करने, नागार्जुन सागर सिंचाई परियोजना मे ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कुल कार्य और नागार्जुन सागर सिंचाई परियोजना, पोचमपाड तथा तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर कमान क्षेत्र में कमान क्षेत्र विकास का कार्य प्रारंभ करना शामिल है ।

घ आंध्र प्रदेश सहकारी केन्द्रीय कृषि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक ।

ङ. समाप्ति का दिनांक 31 दिसम्बर 1982 ।

च. कृपुवि निगम ने 2.3 करोड रुपये सुपुर्दगी करते हुए 30500 एकड क्षेत्र के भूमि विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी है ।

5. क. बिहार कृषि ऋण परियोजना (440 आई० एन०)

ख. परियोजना की लागत 600 लाखडालर—निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली अंवि संघ की सहायता 320 लाख डालर ।

ग. लघु सिंचाई कार्यक्रम जिसमें नलकूप लगाना और सतही जल को थोडा ऊपर उठाकर पंप करने के लिए डीजल पंप सेटो का लगाना शामिल है ।

घ. बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक ।

ङ. तीन वर्ष—समाप्ति का दिनांक दिसम्बर 1976 । इस बीच जून 1978 के अंत तक बढा दिया गया है ।

च. राभूवि बैंको/प्राम बैंको ने 20 करोड रुपयो का वितरण कर दिया है । परियोजना का क्षेत्र सपूर्ण राज्य तक बढा दिया गया है ।

6. क बिहार बाजार केन्द्र (मार्केट यार्ड) परियोजना (294 आई एन)

ख. परियोजना की लागत 233 लाख डालर—अंवि संघ की सहायता 148 लाख डालर—निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली सहायता 138 लाख डालर ।

ग बिहार के करीब 50 शहरों मे बाजार सुविधाओं में निवेश किये जाने के लिए जिसमे प्रवेश मार्गों का निर्माण, भूमि को समतल बनाना, मेड बनाना, गोदाम बनाना, व्यापारियो की दूकाने आदि जैसे सिविल निर्माण शामलि है ।

घ. भारतीय स्टेट बैंक ।

ङ पांच वर्ष—समाप्ति का दिनाक 31 दिसम्बर 1978 ।

च. कृपुवि निगम ने अब तक इस परियोजना के अतर्गत 5 करोड रुपये वितरित कर दिये है ।

7. क. गुजरात कृषि ऋण परियोजना (191 आई एन)

ख परियोजना की लागत 670 लाख डालर—अंवि संघ की सहायता 350 लाख डालर—निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली सहायता 347 लाख डालर ।

ग. लघु सिंचाई निवेशो का वित्तपोषण और ट्रैक्टरो की खरीद ।

घ. गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक ।

ङ. तीन वर्ष—समाप्ति के दिनाक 30 जून 1975 को बढाकर 31 मार्च 1975 कर दिया गया है ।

च. यह योजना पूर्णत. कार्यान्वित की गई है ।

8. क गुजरात मछलीपालन परियोजना (695 आई एन)*

ख परियोजना की लागत 380 लाख डालर-अंवि—संघ/अपुवि बैंक की सहायता 180 लाख डालर जिसमे से निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली सहायता 47 लाख डालर है।

ग. इस परियोजना मे गुजरात के मछलीपालन व्यावसाय के समेकित विकास की परिकल्पना की गयी है जिसमे वेरावल और मगरोल स्थित मछली पकड़ने के बंदरगाहों को विकसित करना, तटीय सुविधाओं मे सुधार करना, मछली अभिसस्करण यूनिटो, बर्फ संयत्रों तथा पारंपरिक मछुओ को सहायता देने के लिए ऋण की व्यवस्था शामिल है।

घ. अभी निश्चित नही किया गया है।

ङ. छः वर्ष—समाप्ति का दिनाक 30 जून 1983।

च. कृपुवि निगम ने सभी औपचारिकताए अर्थात्, क्षेत्र से संबधित दस्तावेज का निष्पादन और वैधानिक अभिमत प्रेषित करना, पूरी कर दी हैं। यह परियोजना 19 जुलाई 1977 से लागू की जाने की घोषणा की गयी है। इस परियोजना के अधीन की गयी बैंकिग योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

9. क. हरियाणा कृषि ऋण परियोजना (249 आई एन)

ख. परियोजना की लागत 622 लाख डालर—निगम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय विकास सघ की सहायता 250 लाख डालर।

ग. 3 लघु सिचाई निवेशों का वित्तपोषण जिनमें उथले नलकूप बैठाने का कार्य और कृषि मशीनीकरण के आयात किये गये और देशी उपकरण अर्थात् ट्रैक्टरों, कटाई संयत्रों और स्वचालित कबाइनो का वित्तपोषण शामिल है।

घ. हरियाणा राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ. तीन वर्ष—इस बीच ट्रैक्टर के घटक के लिए समाप्ति के दिनाक 31 मार्च 1975 को बढ़ाकर 30 जून 1977 कर दिया गया है।

च. वर्ष के दौरान ट्रैक्टरो के वित्तपोषण के साथ साथ, यह योजना पूर्णतः कार्यान्वित कर दी गयी थी। इस परियोजना के अधीन 4275 देशी और 337 आयोजित ट्रैक्टरों का वित्तपोषण किया गया।

10 क. हिमाचल प्रदेश सेब अभिसंस्करण और विपणन परियोजना (कृपुवि निगम का कार्यक्रम) (456 आई एन)

ख परियोजना की कुल लागत 213 लाख डालर—अवि संघ की सहायता 130 लाख डालर कृपुवि निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली अवि सघ की सहायता 54 लाख डालर।

ग. हिमाचल प्रदेश सेब अभिसस्करण तथा विपणन उद्योग के सुधार का वित्तपोषण—इस सहायता के अतर्गत डिबा-बदी करने के कारखाने, संग्रहण केन्द्र, शीत गृह, रस गाढा करने के सयंत्र आते हैं। उपज परिवहन करने के लिए हवाई रज्जु हवाई मार्गों और नई सड़कों के निर्माण की परिकल्पना भी की गई है।

घ. चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ. चार वर्ष—समाप्ति का दिनाक 31 दिसंबर 1978।

च कृपुवि निगम ने 10 स्थानों पर शीत-गृहो के साथ डिब्बा-बदी और क्रम निर्धारण केंद्रो की स्थापना के लिए मजूरी दी है।

11. क. समेकित रुई विकास परियोजना (610 आईएन)

ख. परियोजना की लागत—360 लाख डालर—अंवि संघ की सहायता 180 लाख डालर—जिसम 129 लाख डालर निगम के माध्यम से प्रदान किये जायेंगे।

ग. इसमे रुई की उन्नत किस्मो की पैदावार, रूई की ओटाई तथा रूई बीज के अभिसंस्करण के लिए यूनिटो, अधिक अच्छी किस्म की पैदावार करने हेतु अनुसंधान, प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन ऋण प्रदान करने की व्यवस्था है।

घ. राज्य सहकारी बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ. पांच वर्ष—समाप्ति का दिनाक 31 दिसबर 1981।

च कृपुवि निगम ने महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा के चुने हुए क्षेत्रो मे खरीफ मौसम 1976-77 मे उन्नत किस्म रूई की पैदावार के लिए कुल 4 2 करोड रुपयो की अल्पावधि ऋण सीमा को मजूरी दी है। हरियाणा मे अभिसंस्करण घटक के लिए कृपुवि निगम के पास कतिपय प्रस्ताव आये है। दो अध्ययन दल गठित किये गये है जिनमे रूई की ओटाई और अभिसस्करण यूनिटो के संबध मे संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए तकनीकी परामर्शदाता भी शामिल है।

12. क कर्नाटक कृषि ऋण परियोजना (278 आईएन)

ख. परियोजना की लागत 754 लाख डालर—निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली अंर्वि सघ की सहायता की राशि 400 लाख डालर है।

ग लघु सिंचाई निवेशो और भूमि उद्धार तथा ट्रैक्टरो और भूमि उद्धार के उपकरणो की खरीद का वित्तपोषण।

घ कर्नाटक राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ड तीन वर्ष—इस बीच समाप्ति के दिनाक 31 अक्तूबर 1975 को बढाकर 30 जून 1977 कर दिया गया है।

च लघु सिंचाई घटक के वित्तपोषण का कार्यक्रम इस वर्ष के प्रारभ मे पूर्ण हो चुका था। मशीनीकरण उपकरणो की खरीद का कार्यक्रम जून 1977 तक पूर्ण हो चुका। इस परियोजना के अधीन 2914 ट्रैक्टरो (का वित्तपोषण किया गया) जिनमे 1757 देशी 1157 आयातित ट्रैक्टर है।

13 क कर्नाटक कृषि थोक बाजार परियोजना (378 आई एन)

ख. परियोजना की लागत 130 लाख डालर—अंर्वि संघ की सहायता 80 लाख डालर—जिसमें से निगम के माध्यम से 79 लाख डालर की सहायता प्रदान की जानी है।

ग सिविल कार्यों, संरचनाओ, जनोपयोगी सेवाओ, उपकरणों आदि सहित बाजार की सुविधाए।

घ. चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ड. पाच वर्ष—समाप्ति का दिनाक 31 दिसबर 1979।

च. कृपुवि निगम ने 4 करोड़ रुपये की सहायता के वायदे के साथ 25 बाजारो की स्वीकृति दे दी है। कृपुवि निगम ने अब तक इन परियोजनाओ के अधीन 93 लाख रुपयो का वितरण किया है।

14. क. कर्नाटक डेरी विकास परियोजना (482 आईएन)

ख परियोजना की लागत 435 लाख डालर—अंर्वि संघ की सहायता 300 लाख डालर—निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली सहायता 209 लाख डालर है।

ग. कर्नाटक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो में दूध के उत्पादन को बढाने के लिए समेकित कार्यक्रम हेतु सकरण के द्वारा अच्छी नस्ल के पशु पैदा करने तथा पशु स्वास्थ्य सबंधी तकनीकी सेवाओं और दूध सग्रहण अभिसस्करण और विपणन के लिए विकास सुविधाओ की व्यवस्था की जाएगी।

घ कर्नाटक राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, कर्नाटक राज्य सहकारी शिखर बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ड. आठ वर्ष—समाप्ति का दिनाक 30 सितबर 1982।

च. बंगलूर, मसूर, तुमकूर और हसन मे चार डेरी संघ पजीकृत किये गये। डेरी विकास निगम ने पहले ही स्थापित डेरी सहकारी सस्थाओ से दूध की अधिप्राप्ति का कार्य शुरू कर दिया है।

15 क. केरल कृषि विकास परियोजना (680 आईएन)*

ख परियोजना की लागत—लाख 690 डालर—अंर्वि संघ की सहायता 300 लाख डालर—कृपुवि निगम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सहायता 208 लाख डालर।

ग इस परियोजना मे नारियल, काली मिर्च, और काजू जैसे वृक्ष फसलो के विकास की परिकल्पना की गयी है। इसमे क्रम्ब्ड रबड़ फैक्टरी भी शामिल है। कृपक भी लघु सिंचाई के निवेशो के लिए ऋण लेने के पात्र होगे।

घ केरल केन्द्रीय भूमिबधक बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ड. आठ वर्ष—समाप्ति का दिनाक 31 मार्च 1985।

च सभी औपचारिकताओ को पूर्ण करने के बाद ऋण 29 जून 1977 को लागू कर दिया गया। कृपुवि निगम ने इस परियोजना के अधीन एक बैंकिंग योजना तैयार की है और 6 जिलो मे चुने हुए पैकेज यूनिटो को 35 करोड रुपयो का ऋण प्रदान करने का कार्यक्रम 9 बैंको को सौपा गया है।

16 क. मध्य प्रदेश कृषि ऋण परियोजना (391 आई एन)

ख. परियोजना की लागत 603 लाख डालर—अंर्वि संघ की सहायता 330 लाख डालर जो निगम के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

ग. खेतो पर किये जाने वाले निवेशो का वित्तपोषण इन निवेशों मे खुदाई वाले कुओ का निर्माण, वर्तमान कुओ मे सुधार, बिजली तथा डीजल पपसेट और रहटे लगाना तथा भूमि को समतल करने का अनुषगी कार्य शामिल है।

घ. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ड. तीन वर्ष—समाप्ति का दिनाक 31 दिसबर 1976।

च. सपूर्ण कार्यक्रम दिसबर 1976 के अत तक पूर्णत कार्यान्वित किया गया।

17 क. मध्य प्रदेश डेरी विकास परियोजना (522 आईएन)

ख परियोजना की लागत–312 लाख डॉलर-अंवि संघ की सहायता 146 लाख डॉलर इसमें से कृपुवि निगम के माध्यम से 137 लाख डॉलर प्रदान किये जायेंगे।

ग 3 डेरी संयंत्रों, पशुओं के चारादानों की मिलों पशु प्रजनन फ़ार्म आदि का निर्माण।

घ अनुसूचित वाणिज्य बैंक।

ङ 6 वर्ष–समाप्ति का दिनाक 30 जून 1982

च भोपाल और इंदौर सघ की तकनीकी सेवाओं का वित्तपोषण करने के लिए दो योजनाओं को मजूरी दी गयी। भोपाल सघ के साड प्रजनन प्रस्ताव पर भी निर्णय किया गया। इस परियोजना के अधीन वित्तपोषण कार्यक्रम जल्दी ही शुरू होने की आशा है।

18 क. मध्य प्रदेश के चम्बल कमान क्षेत्र की विकास परियोजना (562 आईएन)

ख परियोजना की लागत 458 लाख डॉलर-अंवि संघ की सहायता 240 लाख डॉलर जिसमें से 31 लाख डॉलर की राशि निगम के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

ग. सिंचाई और नालिया बनाने का कार्य, खेतों के ऊपर का विकास, सडके, घाटी-कटाव नियंत्रण, यांत्रिक उपकरण और तकनीकी सहायता।

घ. मध्य प्रदेश–राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक और अनुसूचित वाणिज्य बैंक।

ङ. तीन वर्ष-समाप्ति का दिनाक 31 दिसबर 1979.

च कृपुवि निगम ने 1560 हेक्टेर क्षेत्र की योजनाओं के लिए तकनीकी समाशोधन दिया है।

19 क. महाराष्ट्र कृषि ऋण परियोजना (293 आईएन)

ख. परियोजना की लागत 524 लाख डॉलर-अंवि संघ की सहायता 300 लाख डॉलर इसमें से निगम के माध्यम से 254 लाख डालर प्रदान किये जायेंगे।

ग नलकूपों, उद्वाही सिंचाई, खुदाई के कुओं, खुदाई के कुओं में सुधार और कुओं में बिजली लगाने सहित लघु सिंचाई कार्यक्रम और भूमि को समतल बनाने के निवेश।

घ महाराष्ट्र राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ. तीन वर्ष–इस बीच समाप्ति के दिनाक 31 दिसबर 1975 को बढ़ाकर दिनाक 30 जून 1976 कर दिया गया है।

च. 1975-76 के दौरान सारा कार्यक्रम पूरा कर लिया गया है।

20 क महाराष्ट्र सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास की सयुक्त परियोजना-जायकवाडी और पूर्णा (कृपुवि निगम कार्यक्रम)+

ख परियोजना की लागत–1400 लाख डॉलर-अंवि संघ की सहायता 790 लाख डॉलर-कृपुवि निगम के माध्यम से दी जानेवाली सहायता 55 लाख डॉलर

ग यह परियोजना जायकवाडी और पूर्णा सिंचाई योजना के क्षेत्रों में सिंचाई विकास के रूप में जारी रहेगी। इसमें सिंचाई, सडके, मूलभूत अवस्थापना और कृषि क्षेत्र विकास की व्यवस्था शामिल है। यह परियोजना सूखा-ग्रस्त केंद्रीय दक्षिणी क्षेत्र में अंवि सघ द्वारा पहला प्रमुख सिंचाई कार्यक्रम है।

घ महाराष्ट्र राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ चार वर्ष—समाप्ति का दिनाक 31 मार्च 1983

च यह परियोजना अंवि सघ द्वारा हाल ही में स्वीकृत की गयी है।

21 क राष्ट्रीय बीज परियोजना (1273 आईएन)

ख. परियोजना की लागत–527 लाख डॉलर-अंपुवि बैंक की सहायता 250 लाख डॉलर जिसमें से 182 लाख डॉलर कृपुवि निगम के माध्यम से प्रदान किये जायेंगे।

ग यह परियोजना 4 राज्यों के अंतर्गत आनेवाले राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के विकास का पहला चरण होगी। यह राष्ट्रीय बीज निगम को भडार और विपणन में सुधार लाने और सब्जियों के बीजों के उत्पादन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के माध्यम से विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करेगी। इसके अंतर्गत प्रमुख अनाजों के प्रमाणित बीजों और रूई के प्रमाणित किस्म के बीजों के उत्पादन की परिकल्पना की गई है।

घ. चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ. समाप्ति का दिनाक–30 जून 1981

+जुलाई 1977 में स्वीकृत

च यह परियोजना अक्तूबर 1976 में लागू की गई है और इस परियोजना के अधीन निवेशों के लिए एक बैंकिंग योजना को अंतिम रूप दिया गया है।

22. क पंजाब कृषि ऋण परियोजना (203 आईएन)

ख. परियोजना की लागत 400 लाख डॉलर—अवि सघ की सहायता 275 लाख डॉलर जो निगम के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

ग आयात किए गए और देशी ट्रैक्टरों, कटाई यंत्रों और स्वचालित कंबाईनों की खरीद का वित्तपोषण।

घ. पंजाब राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ड. दो वर्ष—समाप्ति का दिनांक जो पहले 31 दिसंबर 1972 निर्धारित किया गया था उसे समय समय पर बढ़ाकर अब दिनांक 30 जून 1977 तक किया गया।

च यह परियोजना जून 1977 के अंत तक पूर्णत. कार्यान्वित कर दी गई। इस परियोजना के अधीन 7827 ट्रैक्टरों का वित्तपोषण किया गया जिसमें 4051 देशी और 3776 आयात किए गए ट्रैक्टर थे।

23. क. चम्बल कमान क्षेत्र विकास परियोजना (राजस्थान) (कृपुवि निगम कार्यक्रम)—(1011 आईएन)

ख. परियोजना की लागत—120 लाख डॉलर-अपुवि बैंक की सहायता 35 लाख डॉलर जो निगम के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

ग. इस परियोजना में नालियां, नहरों की मेड़ें, बनाना, नहरों की क्षमता में वृद्धि, नियंत्रण संरचनाओं का निर्माण अथवा सुधार, खेतों के ऊपर का विकास शामिल है जिसके अंतर्गत नालियों के लिए गड्ढे खोदना, जमीन की आकार-प्रकार देना, सड़कों का निर्माण, वनरोपण, भूमि कटाव का नियंत्रण और उर्वरकों की पूर्ति भी आते हैं।

घ. चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ड. छ. वर्ष-समाप्ति का दिनांक 30 जून 1981।

च. 13 अपवाह क्षेत्र निर्माण के संबंध में लागत अनुमानों की कृपुवि निगम ने मंजूरी दी है। दो अपवाह क्षेत्रों में कार्य पूरा हो चुका है। इस परियोजना के अधीन कृपुवि निगम ने 1 लाख रुपयों का वितरण किया गया है।

24 क. राजस्थान नहर कमान क्षेत्र की विकास परियोजना (कृपुवि निगम का कार्यक्रम) (502 आईएन)

ख. परियोजना की लागत 398 लाख डॉलर—अवि सघ की सहायता 225 लाख डॉलर जो कि निगम के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

ग. इस परियोजना में वितरक नहरों की मेंड़ें बनाना, सड़क निर्माण, चारागाहों के विकास, वनरोपण, उर्वरकों की व्यवस्था तथा खेतों का ऊपरी विकास जिसमें भूमि को आकार-प्रकार देना, भूमि उद्धार तथा जलमार्ग के लिये मेंड़ें बनाना शामिल है।

घ चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ड. पांच वर्ष-समाप्ति का दिनांक 30 जून, 1981।

च. कृपुवि निगम ने 621 चकों में कार्यान्वियन के लिए तकनीकी मंजूरी दे दी है। 379 चकों में निर्माण कार्य शुरू हुआ है। बैंकों ने पुनर्वित्त सहायता के रूप में 186 लाख रुपए प्राप्त कर लिए हैं।

25 क. राजस्थान डेरी विकास परियोजना (521 आई—एन)

ख. परियोजना की लागत-518 लाख डॉलर—अवि सघ की सहायता 277 लाख डॉलर इनमें से निगम के माध्यम से 223 लाख डॉलर प्रदान किये जायेंगे।

ग. लगभग 1800 डेरी सहकारी समितियों का निर्माण जिनमें डेरी द्वारा संयंत्रों से सुसज्जित 5 दुग्ध उत्पादक संघों के समूह होंगे।

घ. राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ड. सात वर्ष-समाप्ति का दिनांक 31 दिसंबर 1982।

च. चार दुग्ध संघ अर्थात् अलवर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर गठित कर दिये गये हैं। सवाई माधोपुर और टोंक जिलों में दुग्ध संग्रह और समितियों के निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। जर्सी सांडों के प्रजनन के लिये बस्सी में एक केन्द्र गठित किया गया।

26. क. तमिलनाडु कृषि ऋण परियोजना (250 आईएन)

ख परियोजना की लागत 623 लाख डॉलर-अवि-सघ की सहायता 350 लाख डॉलर जिसमें से 310 लाख डॉलर निगम के माध्यम से प्रदान किये जाएंगे।

ग. लघु सिंचाई निवेशों का वित्तपोषण जिसमें फिल्टर बिंदुवाले नलकूप, उथले तथा मध्यम नलकूप, भूमि को समतल बनाना, भूमि में नालियां बनाना और ट्रैक्टर शामिल हैं।

घ तामिलनाडु राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक

ङ. तीन वर्ष-समाप्ति का दिनाक जो पहले 31 दिसबर 1974 निर्धारित किया गया था उसे समय समय पर बढाया गया और अब 31 दिसबर 1977 किया गया है।

च पिछले वर्ष के दौरान लघु सिचाई घटक का पूरा कर दिया गया। वर्ष 1976–77 मे ट्रैक्टरो के वित्तपोषण का कार्यक्रम पूर्णत कार्यान्वित किया गया। इस परियोजना के अधीन वित्त-पोषण किये गये 1627 ट्रैक्टरो मे 1112 देशी और शेष 515 आयात किये गये ट्रैक्टर थे।

27. क तराई बीज परियोजना उत्तर प्रदेश (614 आई एन)

ख परियोजना की लागत 224 लाख डॉलर—अपुवि बैंक की सहायता 130 लाख डॉलर जिसमे से 90 लाख डॉलर की सहायता निगम के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

ग. उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र का भूमि विकास ताकि अधिक उपजाऊ किस्म के खाद्यान्नो की उपलब्धि मे वृद्धि हो सके।

च भारतीय स्टेट बैंक।

ङ. समाप्ति के दिनाक 30 जून 1974 को बढाकर 31 दिसम्बर 1977 कर दिया गया है।

च तराई विकास निगम के बीज अभिसस्करण सयत्र के विस्तार के लिए वितरण किये जा रहे है।

28 क. उत्तर प्रदेश कृषि ऋण परियोजना (392 आईएन)

ख. परियोजना की लागत 725 लाख डॉलर-अवि-सघ की सहायता 388 लाख डॉलर जो कि निगम के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

ग नलकूपो, मामूली गहराई वालो नलकूपो, पशियन रहटो और डीजल तथा बिजली पपसेट लगाने जैसे खेतो के ऊपर के निवेशो का वित्तपोषण।

घ उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ तीन वर्ष-समाप्ति का दिनाक 31 दिसबर 1976 जो इस बीच 31 दिसबर 1977 तक बढा दिया गया है।

च इस परियोजना का क्षेत्र पूरे राज्य तक बढा दिया गया है। इस परियोजना के अधीन वित्तपोषण करनेवाली सस्थाओ ने 40 करोड रुपयो का वितरण किया है।

29 क पश्चिम बगाल कृषि विकास परियोजना (541 आईएन)

ख परियोजना की लागत 590 लाख डॉलर-अवि-सघ की सहायता 340 लाख डॉलर जिसमे से 150 लाख डॉलर निगम के माध्यम से प्रदान किये जायेंगे।

ग उथल और गहर कुओ का निर्माण, कृषि सेवा केन्द्रो की स्थापना, बाजारो का विकास और नदी की उद्वाही सिचाई का पूरा किया जाना।

घ पश्चिम बगाल राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, चुने हुए वाणिज्य बैंक और पश्चिम बगाल राज्य लघु सिचाई निगम।

ङ चार वर्ष–समाप्ति का दिनाक 31 मार्च 1980।

च इस परियोजना के अधीन जून 1977 तक कृपुवि निगम ने 4 2 करोड रुपयो का वितरण किया है। परियोजना का कार्यान्वयन सतोषजनक है।

विवरण 12

30 जून 1977 को अंपुवि बैंक/अंवि संघ की परियोजनाओं की स्थिति

लाख रुपए

परियोजना	प्रभावी होने/ समाप्ति का दिनाक	प्रयोजन	कुल आधार कार्यक्रम	कृपुवि निगम को अपुविबक/ अवि-संघ से सहायता के रूप में प्राप्त धन	एजेंसी	प्राभूवि बैंको/ प्राप्त बैंको द्वारा किये गये वितरण	कृपुवि निगम द्वारा किये गये वितरण	भारत सरकार से प्राप्त राशि
क. अंपुवि बैंक की परियोजनाएं								
(1) तराई बीज परियोजना (उत्तर प्रदेश) .	(क) 12-9-69 (ख) 30-6-74 (ग) 31-12-76	भूवि	927	690	वाणिज्य बैंक	263	193	164
(2) चम्बल कमान क्षेत्र विकास परियोजना (राजस्थान) .	(क) 12-12-74 (ख) 30-6-81	भूवि	619	520	वाणिज्य बैंक	3	2	—
(3) राष्ट्रीय बीज परियोजना (आंध्रप्रदेश, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र)	(क) — (ख) 31-12-80		2169	1634		—	—	—
(4) आन्ध्र प्रदेश सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास की संयुक्त परियोजना	(क) 8-9-76 (ख) 31-12-82		1241	819				
			4956	3663		266	195	164
ख. अंवि संघ की परियोजनाएं								
(I) कृपु निगम ऋण परियोजना II . .	(क) 5-8-75 (ख) 31-12-77	लर्सि अन्य प्रयोजन	11100 900	5520 400	राभूवि बैंक वाणिज्य बैंक रास बैंक	— —	9490 2787 18	3637
			12000	5920			12295	
(II) कृ पु वि निगम परियोजना II . . .	(ख) 3 -12-79	लर्सि अन्य प्रयोजन	28636 3927	15750 2160			—	—
			32563	17910			12295	36

(III) समेकित रुई विकास परियोजना . . .	(क) 24-9-76	रुई के लिए	889	600	राभूवि बैंक	—	—	—
	(ख) 31-12-76	अल्पावधि फसल ऋण						
		रुई जिनिंग और बीज अभिसंस्करण	720	432	वा० बैंक	5	5	—
			1609	1032		5	5	—
(V) कृषि ऋण परियोजनाएं								
1. आंध्र प्रदेश	(क) 10-5-71	लसिं	2111	1393	राभूवि बैंक	2014	1776	
	(ख) 30-6-74				वाणिज्य बैंक	97	88	
	(ग) 30-6-77	भूवि	230	154	राभूवि बैंक	230	151	1677
		कृम	806	431	राभूवि बैंक	600	260	
					वाणिज्य बैंक	183	136	
			3147	1978	वाणिज्य बैंक	3124	2411	1677
2. बिहार	(क) 29-3-74	लसिं	4473	2728	राभूवि बैंक	1676	1540	
	(ख) 31-12-76				वाणिज्य बैंक	356	321	1147
	(ग) 30-6-70							
			4473	2728		2032	1861	1147
3. गुजरात	(क) 14-9-70	लसिं	4027	2344	राभू वि बैंक	4027	3635	
	(ख) 30-6-74		351	182	राभू वि बैंक	319	233	2608
	(ग) 31-5-75	कृम						
			4378	2526		4346	3868	2608

विवरण 12 (जारी)

30 जून 1977 को अपुविबैंक/अवि सघ की परियोजनाओं की स्थिति

लाख रुपये

परियोजना	प्रभावी होने/ समाप्ति का दिनाक	प्रयोजन	कुल उधार कार्यक्रम	कृपुवि निगम को अपुविबैंक और अविसघ से सहायता के रूप में प्राप्त धन	एजेंसी	प्राभूवि बैंक/ प्राप्त बैंको द्वारा किये गये वितरण	कृपुवि निगम द्वारा किये गये वितरण	भारत सरकार से प्राप्त राशि
4 हरियाणा	(क) 2-11-71	ल सि	1962	903	राभूवि बैंक	2841	1894	1950
	(ख) 30-3-75				वाणिज्य बैंक	76	64	
	(ग) 30-6-77	कृम	1433	1002	राभूवि बैंक	660	468	
					वाणिज्य बैंक	1060	792	
			3395	1905		4637	3218	1950
5. कर्नाटक	(क) 25-9-72	लसि और	3070	2057	राभूवि बैंक	3122	2795	3202
	(ख) 31-12-75	कुओ की सुदायी						
	(ग) 30-6-77	भूवि	525	315	वाणिज्य बैंक	187	128	
					राभू वि बैंक	256	185	
		भूमि उद्धार उपकरण	105	105				
					वाणिज्य बैंक	4	3	
		कृम	1575	1008	राभूवि बैंक	680	450	
					वाणिज्य बैंक	960	777	
			5275	3485		5209	4338	3202
6. केरल	(क) 1-4-77	वृक्ष फसलें			राभूवि बैंक	—	—	
	(ख) 31-3-85	और लसि	2700	1872	वाणिज्य बैंक			
			2700	1872				
7. मध्य प्रदेश	(क) 10-10-73	लसि (भूमि सहित)	4003	2619	राभूवि बैंक	2930	2532	2649
	(ख) 31-12-76				वाणिज्य बैंक	2112	1866	
			4003	2619		5042	4398	2649

विवरण 12 (जारी)

30 जून 1977 को अंपुवि बैंक/अवि संघ की परियोजनाओं की स्थिति

लाख रुपए

परियोजना	प्रभावी होने/ समाप्ति का दिनाक	प्रयोजन	कुल उधार कार्यक्रम	कृपुवि निगम को अपुवि बैंक और अवि-संघ से सहायता के रूप में प्राप्त धन	एजेंसी	प्राभूवि बैंकों/ प्रास बैंकों द्वारा किये गये वितरण	कृपुवि निगम द्वारा किये गये वितरण	भारत सरकार से प्राप्त राशि
8. महाराष्ट्र	(क) 31-1-73	लसि	3690	3664	राभूवि बैंक	3475	3140	2558
	(ख) 31-12-75				वाणिज्य बैंक	187	178	
	(ग) 30-6-76							
	-	भूवि	226	226	राभूवि बैंक	226	170	
		कृम	211	148	राभूवि बैंक	190	143	
			4127	4938		4078	3631	2558
9. पंजाब	(क) 4-9-70	कृम	4000	2380	राभूवि बैंक	1000	750	1438
	(ख) 31-12-73				वाणिज्य बैंक	2228	1664	
			4000	2380		3228	2414	1438
10 तमिलनाडु	(क) 2-11-71	लसि	3001	1861	राभूवि बैंक	3001	2781	2408
	(ख) 31-12-74		88	61	राभू वि बैंक	88	66	
	(ग) 31-12-77	भूवि						
		कृम	780	492	राभू वि बैंक	821	616	
		मिट्टी ढोने की मशीनें	243	243	वाणिज्य बैंक	29	22	
					वाणिज्य बैंक	46	35	
			4112	2657		3985	3520	2408

विवरण 12 (जारी)

30 जून 1977 को अपुवि बैंक अवि संघ की परियोनाओं की स्थिति

लाख रुपए

परियोजना	प्रभावी होने/ समाप्ति का दिनांक	प्रयोजन	कुल उधार कार्यक्रम	कृपुवि निगम को अपुवि बैंक और अविसंघ से सहायता के रूप मे धन	एजेंसी	प्राभवि बैंको प्रास बैंकों द्वारा किये गये विवरण	कृपुवि निगम द्वारा किये गये विवरण	भारत सरकार से प्राप्त राशि
11. उत्तर प्रदेश	(क) 31-10-73	लसि	5891	3565	राभूवि बैंक	3826	3443	2089
	(ख) 31-12-76				वाणिज्य बैंक	1181	945	
	(ग) 31-12-77							
			5891	3565		5007	4388	2089
12. पश्चिम बंगाल	(क) 28-8-75	लसि	2197	1206	राभू वि बैंक	205	184	—
	(ख) 31-3-80				वाणिज्य बैंक	246	221	191
		कृम	171	90	वाणिज्य बैंक	9	8	
		भवा	96	54		3	3	—
			2464	1350		463	416	191
जोड (1 से 12)	—		47965	31103		41151	34463	21917

विवरण 12 (समाप्त)

30 जून 1977 की अंपुवि बैंक/अवि संघ की परियोजनाओं की स्थिति

लाख रुपए

परियोजना	प्रभावी होने/ समाप्त का दिनांक	प्रयोजना	कुल उधार कार्यक्रम	कृपुवि निगम को मपुवि बैंक और अविसंघ से सहायता के रूप में प्राप्त	एजेंसी	प्रभावि बैंक/ प्रास बैंकों द्वारा किये गये वितरण@	कृपुवि निगम द्वारा किये गये वितरण	भारत सरकार से प्राप्त राशि
V. अन्य परियोजनाएं								
1 बिहार बाजार केन्द्र परियोजना .	(क) 31-7-72 (ख) 30-6-78 (ग) 31-12-78		1680	1133	वाणिज्य बैंक	515	463	261
2 चम्बल कमान क्षेत्र विकास की परियोजना (मध्य प्रदेश)	(क) 18-9-75 (ख) 31-12-79		277	177		—		—
3. हिमाचल प्रदेश सेब अभिसंस्करण और विपणन परियोजना	(क) 26-9-74 (ख) 31-12-78		608	488		—	—	—
4 कर्नाटक कृषि थोक बाजार परियोजना . .	(क) 7-9-73 (ख) 31-12-79		891	713	वाणिज्य बैंक	126	93	66
5. कर्नाटक डेरी विकास परियोजना . .	(क) 23-12-74 (ख) 30-9-82		2497	1881		—	—	—
6 मध्य प्रदेश डेरी विकास परियोजना . .	(क) 23-7-75 (ख) 30-6-82		1563	1227	वाणिज्य बैंक	—	—	—
7. राजस्थान नहर कमान क्षेत्र की विकास परियोजना	(क) 12-12-74 (ख) 30-6-81		2395	1800		232	186	—
8. राजस्थान डेरी परियोजना . . .	(क) 8-8-75 (ख) 31-12-82		2175	1784		—	—	—
9 गुजरात मछली पालन . .	(क) 19-9-77 (ख) 30-6-83		1620	423		—	—	—
10. महाराष्ट्र सिंचाई कमान क्षेत्र विकास .	(ख) 31-3-83		825	495	राभूवि बैंक वाणिज्य बैंक	—	—	—
			14531	10121		873	742	327
जोड़ (क + ख)			113624	69749	राभूतिनंक और वाणिज्य बैंक	42295	47700	26045

@उपलब्ध अद्यतन आंकड़े

टिप्पणी . प्रभावी/समाप्ति का दिनांक (क) प्रभावी दिनांक (ख) समाप्ति का दिनाक (ग) समाप्ति का परिशोधित दिनांक.

विवरण 13

राज्य एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार 1976-77 के दौरान किये गये वितरण

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	जारी किए गये डिबेचरों/ ऋणों की कुल राशि	कृपुवि निगम द्वारा अभिदत्त डिबेचर वितरित ऋण	राज्य सरकारों/ बैंकों का अंशदान
I. उत्तरी क्षेत्र					
दिल्ली	वाणिज्य बैंक	कृषि मशीनीकरण	9	7	2
		डेरी विकास	4	3	1
			13	10	3
हरियाणा	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	604	544	60
		भूमि विकास	32	24	8
		कृषि मशीनीकरण	352	264	88
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	513	410	103
		कृषि मशीनीकरण	508	380	128
		मुर्गी पालन	3	3	—
		डेरी विकास	4	3	1
		भंडारण और बाजार केन्द्र	174	139	35
		सरु वि योजना	3	3	—
			2193	1770	423
हिमाचल प्रदेश	रा भू वि बैंक	बागान/बागवानी	3	2	1
जम्मू और कश्मीर	रा भू वि बैंक	कृषि मशीनीकरण	9	6	3
पंजाब	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	146	131	15
		भूमि विकास	109	90	19
		कृषि मशीनीकरण	430	322	108
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	142	115	27
		कृषि मशीनीकरण	1321	992	329
		डेरी विकास	32	23	9
		भंडारण और बाजार केन्द्र	2	2	—
		म रु वि० योजना	68	54	14
	रा स बैंक	कृषि मशीनीकरण	2	2	—
			2252	1731	521
राजस्थान	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	354	318	36
		भूमि विकास	8	6	2
		बागान/बागवानी	4	3	1
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	96	79	17
		भूमि विकास	217	174	43
		कृषि मशीनीकरण	130	97	33
		डेरी विकास	26	18	8
		भंडारण और बाजार केन्द्र	116	92	24
			951	787	164

विवरण 13 (जारी)

राज्य एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार 1976-77 के दौरान किये गये वितरण

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	जारी किये गये डिबेंचरों/ऋणों की कुल राशि	कृपु विनिगम द्वारा अभिदत्त डिबेंचर/वितरित ऋण	राज्य सरकारों/बैंकों का अंशदान
II. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र					
असम . .	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	15	12	3
		कृषि मशीनीकरण	3	3	–
		बागान/बागवानी	42	37	5
		डेरी विकास	2	2	–
		भंडारण और बाजार केन्द्र	19	16	3
			81	70	11
मणिपुर . .	वाणिज्य बैंक	कृषि मशीनीकरण	9	8	1
नागालैण्ड . .	वाणिज्य बैंक	भंडारण और बाजार केन्द्र .	2	1	1
	राम बैंक	भूमि विकास	2	2	–
			4	3	1
त्रिपुरा . .	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	2	2	–
III. पूर्वी क्षेत्र					
बिहार . .	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	780	702	78
		कृषि मशीनीकरण	66	60	6
		बागान/बागवानी	2	2	–
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	731	656	75
		कृषि मशीनीकरण	91	82	9
		भंडारण और बाजार केन्द्र	200	179	21
		वानिकी	22	15	7
			1892	1696	196
उड़ीसा . .	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	356	320	26
		भूमि विकास	8	7	1
		कृषि मशीनीकरण	3	3	–
		बागान/बागवानी	33	27	6
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	141	127	14
		भूमि विकास	8	6	2
		कृषि मशीनीकरण	1	1	–
		भंडारण और बाजार केन्द्र	2	2	–
	रा० सा० बैंक	लघु सिंचाई	72	72	–
			624	565	59

विवरण 13 (जारी)

राज्य एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार 1976-77 के दौरान किये गये वितरण

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	जारी किये गये डिबेचरो/ ऋणो की कुल राशि	कृषु वि निगम द्वारा अभिदत्त डिबेंचर/वित-रित ऋण	राज्य सर-कारो/बैंको का अंशदान
पश्चिम बंगाल	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	311	279	32
		बागान/बागवानी	2	2	—
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	312	283	29
		कृषि मशीनीकरण	11	10	1
		बागान/बागवानी	7	6	1
		डेरी विकास	3	3	—
		भंडारण और बाजार केन्द्र	8	7	1
			654	590	64
IV. मध्य क्षेत्र					
मध्य प्रदेश	रा भू वि बैंक	लघु सिंचाई	1690	1521	169
		भूमि विकास	19	14	5
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	983	882	101
		कृषि मशीनीकरण	205	153	52
		डेरी विकास	1	1	—
		भंडारण और बाजार केन्द्र	30	25	5
		वानिकी	4	3	1
	रा स बैंक	भंडारण और बाजार केन्द्र	11	11	—
			2943	2610	333
उत्तर प्रदेश	रा भू वि बैंक	लघु सिंचाई	2224	2003	221
		बागान/बागबानी	7	6	1
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	488	426	62
		भूमि विकास	40	28	12
		कृषि मशीनीकरण	1198	958	240
		डेरी विकास	48	38	10
		भंडारण और बाजार केन्द्र	326	261	65
			4331	3720	611
III. पश्चिमी क्षेत्र					—
गोवा	वाणिज्य बैंक	मुर्गी पालन	2	1	1
		मछली पालन	11	8	3
	रा स बैंक	मछली पालन	20	15	5
			33	24	9

विवरण 13 (जारी)

राज्य एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार 1976–77 के दौरान किये गये वितरण

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	जारी किये गये डिबेंचरों/ ऋणों की कुल राशि	कृपुवि निगम द्वारा अभिदत्त डिबेंचर/ वितरित ऋण	राज्य सरकारों/बैंकों का अंशदान
गुजरात	रा भू वि बैंक	लघु सिंचाई	124	112	12
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	90	70	20
		कृषि मशीनीकरण	184	140	44
		मछली पालन	2	2	—
		डेरी विकास	75	58	17
		भंडारणऔर बाजार केन्द्र	26	20	6
			501	402	99
महाराष्ट्र	राभूबि बैंक	लघु सिंचाई	1425	1283	142
		बागान/बागबानी	17	13	4
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	275	230	45
		कृषि मशीनीकरण	283	211	72
		बागान/बागबानी	1	1	—
		मुर्गी पालन	35	26	9
		मछलीपालन	8	5	3
		डेरी विकास	207	133	74
		भंडारण और बाजार केन्द्र	27	22	5
	रा स बैंक	मछली पालन	4	4	—
			2282	1928	354
IV. दक्षिणी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	1469	1326	143
		भूमि विकास	52	39	13
		कृषि मशीनीकरण	478	359	119
		बागान/बागवानी	16	12	4
		मुर्गीपालन/भेड़पालन	5	3	2
		डेरी विकास	4	3	1
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	112	92	20
		कृषि मशीनीकरण	224	167	57
		मुर्गीपालन/भेड़पालन	30	23	7
		मछलीपालन	18	14	14
		डेरी विकास	70	56	4
		भंडारण और बाजार केन्द्र	36	28	8
			2514	2122	392

विवरण 13--जारी

राज्य एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार 1976-77 के दौरान किये गये वितरण

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	जारी किये गये डिबेंचरों/ऋणों की कुल राशि	कृपुवि निगम द्वारा अभिदत्त डिबेंचर/वितरित ऋण	राज्य सरकारों/बैंकों का अंशदान
कर्नाटक	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	1303	1181	122
		भूमि विकास	42	32	10
		कृषि मशीनीकरण	193	145	48
		बागान/बागवानी	232	173	59
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	123	97	26
		कृषि मशीनीकरण	538	396	142
		बागान/बागवानी	50	39	11
		मुर्गी पालन	8	6	2
		मछली पालन	47	37	10
		डेरी विकास	1	1	—
		भंडारण और बाजार केन्द्र	98	75	23
	रास बैंक	भंडारण और बाजार केन्द्र	8	8	—
			2643	2190	453
केरल	राभूवि बैंक	भूमि विकास	3	2	1
		बागान/बागवानी	78	58	20
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	22	19	3
		भूमि विकास	128	128	—
		कृषि मशीनीकरण	6	5	1
		बागान/बागवानी	3	3	—
		मछली पालन	35	28	7
		डेरी विकास	5	4	1
			280	247	33
तमिलनाडु	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	1004	903	101
		कृषि मशीनीकरण	441	331	110
		बागान/बागवानी	51	38	13
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	20	16	4
		भूमि विकास	47	35	12
		कृषि मशीनीकरण	108	75	33
		बागान/बागवानी	134	94	40
		मछली पालन	104	83	21
		मुर्गी पालन	3	2	1
		भेड़ पालन	3	2	1
		डेरी विकास	11	8	3
		भंडारण और बाजार केन्द्र	17	12	5
			1943	1599	344
कुल जोड़ (I से VI)			26157	22082	4075

विवरण 14

30 जून 1977 को विचाराधीन योजनाएं

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	विचाराधीन योजनाओं की संख्या		
	जोड़	अधिकांश रूप में पूर्ण	अतिरिक्त आंकड़े अपेक्षित है
I उत्तरी क्षेत्र			
चंडीगढ़	1	1	—
दिल्ली	1	1	—
हरियाणा	22	2	20
हिमाचल प्रदेश	5	2	3
पंजाब	29	1	28
राजस्थान	24	7	17
	82	14	68
II उत्तर-पूर्वी क्षेत्र			
असम	7	2	5
मेघालय	1	1	—
त्रिपुरा	1	1	—
	9	4	5
III पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	21	6	15
उड़ीसा	17	1	16
पश्चिम बंगाल	38	11	27
	76	18	58
IV मध्य क्षेत्र			
मध्य प्रदेश	63	4	59
उत्तर प्रदेश	7	7	—
	70	11	59
V पश्चिमी क्षेत्र			
गोवा	4	1	3
गुजरात	52	14	38
महाराष्ट्र	156	31	125
	212	46	166
VI दक्षिणी क्षेत्र			
आंध्र प्रदेश	82	9	73
कर्नाटक	138	9	129
केरल	30	6	24
तमिलनाडु	42	10	32
	292	34	258
(कुल जोड़ (I से VI)	741	127	614

विवरण 15

30 जून 1977 को शेयरधारियों की सूची

I भारतीय रिजर्व बैंक

II राज्य भूमि विकास बैंक (19)

1. आंध्र प्रदेश सहकारी केन्द्रीय कृषि विकास बैंक लिमिटेड
2. असम सहकारी केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
3. बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक सीमित
4 गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
5. हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
6 हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
7. जम्मू और कश्मीर सहकारी केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड
8. कर्नाटक राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
9. केरल सहकारी केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
10. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
11. महाराष्ट्र राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
12 उड़ीसा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
13. पांडिचेरी सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
14 पंजाब राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
15. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
16 तमिलनाडु सहकारी राज्य भूमि विकास बैंक लिमिटेड
17 त्रिपुरा सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
18. उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
19. पश्चिम बंगाल केन्द्रीय भूमि विकास बैंक लिमिटेड

III राज्य सहकारी बैंक (24)

1. आन्ध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
2. असम सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड
3. बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
4 दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
5. गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
6 गुजरात राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
7. हरियाणा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
8. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
9. जम्मू और कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
10 कर्नाटक राज्य सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड
11. केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
12 मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित
13 महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
14. मणिपुर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
15 मेघालय सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड
16. नागालैंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
17. उड़ीसा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
18. पांडिचेरी राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
19 पंजाब राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
20. राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
21. तमिलनाडु राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
22 त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
23 उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड
24. पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड

IV अनुसूचित वाणिज्य बैंक (62)

1. भारतीय स्टेट बैंक
2 स्टेट बैंक आफ हैदराबाद
3. स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर
4 स्टेट बैंक आफ इंदौर
5. स्टेट बैंक आफ मैसूर
6. स्टेट बैंक आफ पटियाला
7 स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र
8. स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर
9 इलाहाबाद बैंक
10 बैंक आफ बड़ौदा
11 बैंक आफ इंडिया
12. बैंक आफ महाराष्ट्र
13 कनारा बैंक
14 सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
15 देना बैंक
16. इंडियन बैंक
17 इंडियन ओवरसीज बैंक
18. पंजाब नेशनल बैंक
19. सिंडीकेट बैंक
20. यूनियन बैंक आफ इंडिया
21. युनाइटेड बैंक आफ़ इंडिया
22. युनाइटेड कमर्शियल बैंक
23. आन्ध्र बैंक लिमिटेड
24 बैंक आफ़ कराड लिमिटेड
25. बैंक आफ मदुरा लिमिटेड
26. बैंक आफ राजस्थान लिमिटेड
27. बरेली कारपोरेशन (बैंक) लिमिटेड
28. बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड
29 केथालिक सीरियन बैंक लिमिटेड
30. कारपोरेशन बैंक लिमिटेड
31. फेडरल बैंक लिमिटेड
32 हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड
33. जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड
34. कर्नाटक बैंक लिमिटेड
35. करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
36. कुम्भकोणम् मिटी यूनियन बैंक लिमिटेड
37. लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड
38. लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड
39. लार्ड कृष्ण बैंक लिमिटेड
40. नेडुंगाडी बैंक लिमिटेड
41. न्यू बैंक आफ इंडिया लिमिटेड
42 ओरियंटल बैंक आफ़ कामर्स लिमिटेड
43. पंजाब एण्ड सिंध बैंक लिमिटेड
44. पूर्वांचल बैंक लिमिटेड
45. रत्नाकर बैंक लिमिटेड

46. सागली बैंक लिमिटेड
47. साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड
48. तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड
49 युनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड
50. युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड
51. दि बैंक आफ तंजौर लिमिटेड
52 विजया बैंक लिमिटेड
53. वैश्य बैंक लिमिटेड
54. एल्गमेने बैंक नीदरलैंड्स एन० वी०
55. अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कारपोरेशन
56. बैंक आफ़ अमेरिकन नेशनल ट्रस्ट एण्ड सेविंग्स एसोसिएशन
57. बैंक आफ टोकियो लिमिटेड
58. बैंके नेशनल दि पेरिस
59. चार्टर्ड बैंक
60. ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड
61. मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड
62. मित्सुई बैंक लिमिटेड

V ग्रामीण बैंक (17)

1 भोजपुर रोहटास ग्रामीण बैंक
2. बोलगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक
3. चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
4. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
5 गौर ग्रामीण बैंक मालदा
6. हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
7. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक
8. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (होशंगाबाद)
9. मल्लभुम ग्रामीण बैंक
10 मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक
11 नागार्जुन ग्रामीण बैंक
12. पुरी ग्राम्य बैंक
13. रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
14. समयुत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
15. तुगभद्रा ग्रामीण बैंक
16. गिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अ० 1977 से)
17. कोरापुर पंचवटी ग्राम्य बैंक

VI जीवन बीमा नीगम बीमा और निवेश कंपनियाँ आदि (6)

1. जनरल इन्शूरेन्स कारपोरेशन आफ इंडिया
2. जीवन बीमा निगम
3. नेशनल इन्शूरन्स कंपनी लिमिटेड
4. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
5 ओरियण्टल फायर अॅण्ड जनरल इन्शूरन्स कंपनी लिमिटेड
6 यूनाटेड इंडिया फायर एण्ड जनरल इन्शूरन्स कंपनी लिमिटेड

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने कृषि पुनर्वित और विकास निगम के 30 जून 1977 तक के संलग्न तुलन पत्र और निगम के उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के संलग्न लाभ-हानि लेखों की जांच की है और हम यह रिपोर्ट देते हैं कि—

1. हमें जिस जानकारी और जिन स्पष्टीकरणों की जरूरत थी, वे सब हमने प्राप्त कर लिये हैं और वे संतोषजनक पाये गये हैं।

2. हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है तथा हमें जो स्पष्टीकरण दिये गये हैं, उनके अनुसार और निगम की बहियों में दर्शाये गये अनुसार यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही है और इसमें सभी आवश्यक विवरण दिये गये हैं तथा यह तुलन पत्र निगम के अधिनियम और सामान्य विनियमों के अनुसार उचित ढंग से इस तरह तैयार किया गया है कि इससे निगम के कार्यों की सच्ची और सही हालत का पता लग सके।

बम्बई
दिनांक 24 अगस्त 1977
नेशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग
दादाभाई नौरोजी रोड;
बंबई 400001.

बाटलीवाय एण्ड पुरोहित
सनदी लेखाकार

कृषि पुनर्वित्त और

30 जून 1977

देयताएं

					30-6-1976 को	
	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
1. पूंजी						
प्राधिकृत पूंजी						
प्रत्येक 10,000 रुपयोंवाले 50,000 शेयर			50,00,00,000.00		25,00,00,000.00	
जारी की गई, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी						
प्रत्येक 10,000 रुपयों वाले 35,000 प्रदत्त शेयर			35,00,00,000.00		25,00,00,000.00	
2. आरक्षित निधि और अधिशेष						
आरक्षित निधि						
पिछले तुलनपत्र के अनुसार बकाया (नोट 1)	4,39,51,000.00				2,72,36,000.00	
जोड़िये						
(i) वर्तमान लाभ की 25% अंतरित राशि (आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अनुसार	1,96,50,000 00				59,47,000.00	
(ii) लाभ हानि लेखे से अंतरित राशि	75,15,000.00				1,07,68,000.00	
			7,11,16,000.00		4,39,51,000.00	
लाभ हानि लेखा :						
आगे लाया गया लाभ	830.18				332.71	
इस वर्ष का लाभ	2,48,53,401.83				2,16,82,773.43	
	2,48,54,232.01				2,16,83,106.14	
घटाइये : आरक्षित निधि को अंतरित राशि	75,15,000 00				1,07,68,000.00	
	1,73,39,232.01				1,09,15,106.14	
लाभांश की व्यवस्था के लिए अंतरित राशि	1,73,39,041.10				1,09,14,275.96	
			190.91		830.18	
3. विशेष जमा			2,92,09,060.85		2,29,98,510.92	
आगे ले जाया गया जोड़			45,03,25,251.76		31,69,50,341.10	

विकास निगम

को तुलनपत्र

आस्तियां

	रु०	पै०	रु०	पै०	30-6-1976 को रु०	पै०
1. नकदी						
(क) हाथ में	4,186	64			3,939.82	
(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास	23,28,026	56			36,57,208.97	
(ग) दूसरों के पास :						
(i) भारत में	1,04,202	82			68,308.46	
(ii) विदेश मे	—				—	
			24,36,416.02		37,29,457.25	
2. ऋण						
(क) पुनर्वित्त के रूप मे	1,96,76,07,839.00				1,23,56,90,206.00	
(ख) अन्य	—				—	
घटाइये : अयोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था	—				—	
			1,96,76,07,839.00		1,23,56,90,206.00	
3. डिबेंचर			5,25,44,47,248	93	4,25,81,86,776.13	
4. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियो में निवेश (लागत पर)			2,43,82,362.00		—	
5. निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज			6,16,797.50		—	
6. अन्य आस्तियां						
(क) फर्नीचर, प्रिंटिंग और जुड़नार कार्यालयीन उपस्कर आदि (30-6-1976 तक की लागत)	16,58,243	00			13,95,999.08	
जोड़िये . इस वर्ष की वृद्धि	5,29,441.44				2,62,243.92	
	21,87,684.44				16,58,243.00	
घटाइये : बेची गई/समंजित मदें	8,340.53				—	
	21,79,343.91				16,58,243.00	
घटाइये : आज की तारीख तक का मूल्यह्रास	7,44,320.63				5,71,726.51	
	14,35,023	28			10,86,516.49	
(ख) सरकारी विभागो और अन्य संस्थाओ के पास जमाराशिया	1,92,971	16			1,59,216	66
आगे ले जाया गया जोड़	16,27,994	44	724,94,90,663.45		5,49,88,52,172.53	

कृषि पुनर्वित्त और
30 जून 1977

	देयताएं रु० पै०	रु० पै०	30-6-76 को रु० पै०
आगे लाया गया जोड़		45,03,25,251.76	31,69,50,341.10
गारंटीकृत लाभांशों के लिए केन्द्रीय सरकार को किये गये भुगतान			
5. बांड और डिबेंचर			
5½% कृषि पुनर्वित और विकास निगम बॉंड 1982 पहली सीरीज	10,93,77,000.00		
5½% कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1982 दूसरी सीरीज	8,52,50,000.00		
5¼% कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1984 तीसरी सीरीज	8,25,00,000.00		
5¾% कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1985 चौथी सीरीज	11,00,00,000.00		
5¾% कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1985 पाचवी सीरीज	16,50,00,000.00		
5¾% कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बाड 1986 छठी सीरीज	11,00,00,000.00		
6% कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1984 सातवी सीरीज	16,50,00,000.00		
6% कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1985 आठवी सीरीज	16,50,00,000.00		
6% कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बाड 1985 नौवी सीरीज	11,00,00,000.00		
6% कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1986 दसवीं सीरीज	27,50,00,000.00		
6% कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बाड 1987 ग्यारवी सीरीज	16,50,00,000.00		
6% कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बाड 1987 बारहवी सीरीज	27,50,00,000 00		
		181,71,27,000.00	137,71,27,000.00
6. केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण			
(क) अधिनियम की धारा 19 के अधीन	5,00,00,000.00		5,00,00,000 00
(ख) अन्य ऋण	335,00,68,445 00		245,09,30,955.00
		340,00,68,445.00	250,09,30,955.00
7. अन्य उधार			
(क) भारतीय रिज़र्व बैंक से लिये गये उधार·			
(i) दीर्घकालीन उधार	172,60,00,000 00		138,40,00,000 00
(ii) अल्पकालीन उधार	—		1,70,00,000.00
		172,60,00,000.00	140,10,00,000 00
(ख) दूसरो से लिये गये उधार.			
(i) भारत मे	—	—	—
(ii) विदेश मे	—	—	—
आगे ले जाया गया जोड़		739,35,20,696.76	559,60,08,296.10

विकास निगम
को तुलन पत्र (जारी)

आस्तियां

			30-6-76 को
	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
आगे लाया गया जोड़	16,27,994.44	724,94,90,663.45	5,49,85,52,172 53
6. (जारी)			
(ग) फुटकर अग्रिम	1,71,48,632 45		24,35,703.76
(घ) पुनर्वित्त के रूप में दिये गये ऋणों पर प्रोद्भूत ब्याज	6,97,23,790.52		3,29,68,214 49
(ङ) डिबेंचरों पर प्रोद्भूत ब्याज	20,57,18,034 22		15,84,58,701.37
(च) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के बाडों पर छूट	98,07,111.11		65,62,111.11
		30,40,25,562.75	20,16,70,463 88
आगे ले जाया गया जोड़		775,35,16,226 20	569,92,76,903.26

	कृषि पुनर्वित और 30 जून 1977			
	देयताएँ			
				30-6-76 को
	रु०	पै०	रु० पै०	रु० पै०
आगे लाया गया जोड़			739,35,20,696.76	559,60,08,296.10
8 मियादी जमाराशियाँ				
(क) विशेष ऋण लेखो के लिए				
(i) केन्द्रीय सरकार की	1,00,00,000.00		—	—
(ii) राज्य सरकार	52,18,000.00		1,52,18,000.00	-
(ख) दूसरो की	—		—	
9. लाभाशो की व्यवस्था (लाभहानि लेखे से अतरित की गई राशि)			1,73,39,041.10	1,09,14,275.96
10. कराधान की व्यवस्था (नोट 2)			3,03,80,887 00	2,20,10,240.00
11 अन्य देयताएँ				
फुटकर लेनदार	1,07,26,319 33			93,53,711.42
निम्नलिखित पर प्रोदभूत ब्याज जो देय नही है :				
(क) केंन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण	6,47,87,347.25			4,28,27,814.88
(ख) बॉड और डिबेचर	2,15,43,934.76			1,81,62,564.90
			9,70,57,601 34	7,03,44,091.20
आकस्मिक देयताएं				
(क) भारत के बाहर से पूजीगत माल खरीदने के लिए आस्थगित अदायगी पर दी गई गारटी के बाबत	—		—	—
(ख) अन्य मदे	—		—	—
जोड़ रुपये			755,35,16,226.20	5,69,92,76,903.26

नोट . 1. इसमे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अनुसार विशेष 2,29,44,000/- रुपयों की आरक्षित निधि शामिल है । (पिछले वर्ष यह राशि 1,70,97,000/- थी)

2 कराधान के लिए व्यवस्था करो की अग्रिम अदायगी के लिए समजन करने और स्त्रोत पर काटे गये कर के बाद की गई है ।

एस० जी० वी० रमणन
निदेशक,
निधि और लेखा

हमारी उक्त दिनांक की सलग्न रिपोर्ट के अनुसार
बाटलीबाय एण्ड पुरोहित
सनदी लेखाकार
बबई

बंबई 16 अगस्त 1977

विकास निगम
को तुलन पत्र (समाप्त)

आस्तियाँ

			30-6-76	
	रु०	पै०	रु०	पै०
आगे लाया गया जोड़	755,35,16,226	20	569,92,76,903	26
	755,35,16,226	20	569,92,76,903	26

आई० जे० नायडु
बो० एस० विश्वनाथन
वीर शेट्टी कुसनूर
के० माधवदास — निदेशक

एम० ए० चिदम्बरम्, — प्रबंधक निदेशक

कृषि पुनर्वित्त और
30 जून 1977 को समाप्त हुए

		पिछले वर्ष
	रु० पै०	रु० पै०
1. अदा किया गया ब्याज	30,62,81,124.19	22,05,88,274.32
2. वेतन और भत्ते	1,35,50,800.68	1,16,51,817.58
3. कर्मचारी भविष्य निधि, पेशन और अन्य निधियो मे अंशदान	11,36,786.43	9,59,648.47
4. निदेशको और समिति के सदस्यों की फीस	1,100 00	1,200.00
5 निदेशको और समिति के सदस्यो की बैठको के संबध मे यात्रा और अन्य भत्ते	55 573.65	29 788.50
6. किराया, उपकर, बीमा, बिजली आदि	12,94,640.42	9,22,594.46
7. यात्रा व्यय	8,40,760.75	6,66,010.75
8. मुद्रण और लेखन सामग्री	5,06,819.17	2,25,239.52
9. डाक तार और टेलीफोन	3,25,918.04	2,70,494.08
10. सपत्ति की मरम्मत	39,716.07	34,293.76
11. लेखा परीक्षको की फीस	12,500.00	10,000.00
12. कानूनी व्यय	15,020.30	16,357.49
13. विविध व्यय (नोट 1)	66,13,426.63	50,92,149.72
14. मूल्यह्रास	1,77,817.75	1,35,107.51
15. निवेशो की बिक्री पर हानि	1,67,826.50	—
16. विशेष आरक्षित निधियों को अंतरण जो (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अनुसार) वर्तमान लाभ का 25% है	1,96,50,000.00	59,47,000.00
17. कराधान की व्यवस्था	3,40,03,150.00	3,09,07,550.00
18. तुलनपत्र को ले जाया गया शुद्ध लाभ	2,48,53,401.83	2,16,82,773.43
जोड़	40,95,26,382.41	29,91,40,299.59

नोट 1 इनमे ये राशियाँ शामिल हैं :

(i) बाडो और शेयरों पर मुद्राक शुल्क और 44,00,000.00 (पिछले वर्ष 38,50,182.00 रु०)

(ii) VII से XII तक के सीरीजो के बाडो में दी गयी छूट 11,55,000.00 (पिछले वर्ष 4,39,388.89 रु०)

नोट 2 : इस राशि मे अभिदत्त डिबेचर पर प्राप्त भाजन शामिल है— 33,604.20 (पिछले वर्ष 30,822.35 रु०)

एस० जी० वी० रमणन
निदेशक,
निधि और लेखा
बम्बई, 16 अगस्त 1977

हमारी इसी दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
बाटलीबाय एण्ड पुरोहित

सनदी लेखाकार
बम्बई, 24 अगस्त 1977

विकास निगम
वर्ष का लाभ-हानि लेखा

	रु०	पै०	रु०	पै०	पिछले वर्ष रु०	पै०
1. प्राप्य ब्याज						
(क) ऋणों और डिबेंचरों पर	39,98,89,797.08				28,72,57,524.74	
(ख) निवेशों पर (शुद्ध) (स्रोत पर काटा गया कर 29,68,436 रुपये है)	95,06,583 79				89,04,145.17	
(ग) भा औ वि बैंक पास जमा राशि पर	47,551.89				—	
(घ) अन्य जमा राशि पर	45,535 50				—	
			40,94,89,468 26		29,61,61,669.91	
2. भाजन, कमीशन आदि	—				—	
3. अन्य मदे						
(क) शेयर अंतरण शुल्क	8.80				2 00	
(ख) विविध प्राप्तियां (नोट 2)	36,906.15				31,565 68	
(ग) वायदा प्रभार	—				5,052.00	
(घ) निवेशों की बिक्री पर लाभ	—				29,42,010.00	
			36,914.15		29,78,629.68	
	जोड़		40,95,26,382.41		29,91,40,299.59	

बम्बई, 23 अगस्त 1977

आई० जे० नायडू
बी० एस० विश्वनाथन
वीर शेट्टी कुसनूर
के० माधवदास — निवेशक

एम० ए० चिदम्बरम् — प्रबंध निवेशक

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 19th September 1977

The following appointment on the Bank's staff is hereby notified :—

Shri R P. Srivastava has been appointed as Deputy Branch Inspector on the Central Office Staff as from the 3rd September 1977.

Shri R. Chandra has been appointed as Deputy Branch Inspector on the Central Office Staff as from the 7th September 1977

The 4th October 1977

NOTICE

In pursuance of Regulation 76(1) of the State Bank of India General Regulations 1955, framed under Section 50 of the State Bank of India Act 1955, the Executive Committee of the Central Board hereby authorises the undernoted officials to exercise the following signing powers .

To sign cash receipts for any amount.

Additional Head Cashiers at Branches.

The notification is in modification of the Notice dated the 18th May 1966.

The 5th October 1977

The following appointment on the Bank's staff is hereby notified :—

Shri M. R Jhulka has been appointed as Deputy Branch Inspector on the Central Office Staff as from the 26th September 1977.

Shri H. K Tandon has been appointed as Branch Inspector on the Central Office Staff as from the 28th September 1977

Shri T S. Kapur has been appointed as Deputy Branch Inspector on the Central Office Staff as from the 29th September 1977.

Shri S K. Mukerji (2) has been appointed as Branch Inspector on the Central Office Staff as from the 30th September 1977.

By Order of the Executive
Committee of the Central Board
H C. SARKAR
Managing Director

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 18th October 1977

(Chartered Accountants)

No 1-CA(99)/77.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949, (XXXVIII of 1949), the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has made the following amendments to the Chartered Accountants Regulations, 1964, the same having been previously published and approved by the Central Government as required under sub-section (3) of the said section.

In the said Regulations, in Schedule 'BB', add the following paragraphs at the end '—

12 *Recognition of service with Armed Forces*

For the purposes of paragraphs 10 and 11, service with Armed Forces rendered by an articled clerk for a period not exceeding one year or by an audit clerk for a period not exceeding two years, shall be deemed to be service as an articled clerk or audit clerk, as the case may be.

13 *Proof of training in the absence of a certificate*

In the case of a person who is unable to produce for a valid reason, a certificate in the appropriate Form from an appropriate person, the Council may require such proof as it may determine that the former person has served either as an articled clerk or as an audit clerk, for the period required by paragraphs 10 and 11.

14. *Exemption to persons of Indian origin migrating permanently to India*

(1) A person of Indian origin, who has been a citizen of or a permanent resident in a foreign country for a minimum period of five years and who migrates to India and provides satisfactory proof that merely by reason of migration he has not been able to pass the examinations or complete the training prescribed by any of the recognised accountancy institutions mentioned in clause (c) of this sub-paragraph with which he had been registered as a student and also proves to the satisfaction of the Council that he intends to settle down permanently in India and obain Indian citizenship, shall be given the following concessions in the matter of practical training and examinations .—

(a) If he has passed the Entrance or Intermediate or a part of the Final Examination of any of the recognised accountancy institutions, mentioned in clause (c) of this sub-paragraph, he shall be deemed to have passed the Entrance or the Intermediate or a part of the Final Examination of the Institute as the Council may decide and shall be required to pass only the remaining examination or part of examination or examinations prescribed under this Schedule as the Council may direct.

(b) If he has either completed the practical training or a part thereof prescribed by any of the recognised accountancy institutions mentioned in clause (c) of this sub-paragraph, he shall be deemed to have completed such practical training or a part thereof as the Council may direct and then he shall either be exempt from undergoing any practical training or shall be required to complete only the balance of such period of practical training as the Council may direct

(c) The recognised accountancy institutions referred to in this paragraph shall mean—

(1) The Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

(2) The Institute of Chartered Accountants of Scotland.

(3) The Institute of Chartered Accountants in Ireland.

(4) The Institute of Chartered Accountants of Ceylon.

(5) The Public Accountants' and Auditors' Board of South Africa.

(6) The Institute of Chartered Accountants of Pakistan.

(7) Board set up under the Burma Auditors' Certificates Rules.

(8) The Institute of Chartered Accounants in Australia.

(2) A person eligible for exemption uner sub-paragraph (1) above, shall apply for such exemption in writing and shall furnish together with the exemption fee the following documents, namely '—

(i) a copy of the Rules and Regulations of the concerned recognised Accountancy Institution regarding practical training and examinations

(ii) a certificate from the concerned institution regarding the examination passed and training completed clearly indicating the period of such completed training

(iii) a certificate from the employer under whom the applicant completed any period of training giving the dates of such period of training.

(iv) a declaration to the effect that the applicant is a permanent resident of India and intends to acquire Indian citizenship.

(v) a declaration to the effect that except for the fact of his having migrated permanently to India the applicant would have continued to be eligible to become a member of the institution with which he was registered as a student upon his passing any of the remaining examinations or completing the full period of training in accordance with the rules of such institution.

(3) A person eligible for exemption under sub-paragraph (1) above shall pay such fee for grant of exemption, as may be fixed by the Council from time to time. ?

P. S. GOPALAKRISHNAN, Secy.

INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF POSTS & TELEGRAPHS

New Delhi-110001, the 10th October 1977

NOTICES

No. 25/140/77-LI —Postal Life Insurance policy No LC-3980 dated 9-4-75 for Rs 25,000/- held by Capt Ambrish Lal Anand having been lost from the Departmental custody, Notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Dy Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue a duplicate policy in favour of the insurant The Public are hereby cautioned against dealing with the original policy.

No. 25/116/77-LI —Postal Life Insurance policy No L-20487 dated 23-4-77 for Rs 10,000/- held by Sep/Clk Sher Bahadur Singh having been lost from the Departmental custody, Notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Dy Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue a duplicate policy in favour of the insurant The Public are hereby cautioned against dealing with the original policy.

S. SRINIVASAN
Director (PLI)

CANTONMENT BOARD KHAS YOL CANTONMENT

Khas Yol Cantonment, the 1977

No. KY/B/6-G —WHEREAS a notice of certain draft proposals to impose a toll tax on animals and vehicles entering the Cantonment of Khas Yol was published on the 25th April, 1977 by affixing the same in conspicuous parts of the Cantonment by Cantonment Board Khas Yol as required by section 61, read with section 255, of the Cantonments Act 1924 (2 of 1924), inviting objections and suggestions from all persons likely to be effected thereby till the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said notice,

AND WHEREAS no objections or suggestions were received from the public on the said draft by the aforesaid Cantonment Board during the period specified in the notice;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 60 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Defence, No SRO 44 dated the 13th January, 1965, the Cantonment Board Khas Yol, with the previous sanction of the Central Government, hereby imposes a tax of the nature of a toll on animals and vehicles entering the Cantonment of Khas Yol, at the rates specified in the Schedule set out below payable by the owner or by the person incharge of such animals or vehicles

Provided that the said toll tax shall not be levied on —

(1) animals and vehicles belonging to the State Government, Central Government, Cantonment Board Khas Yol, Municipal Committee Dharmsala, Zila Parishad and Himachal Pradesh State Electricity Board (except when used by or hired out to private persons),

(2) vehicles which happen to have gone out of order en-route and enter the Cantonment limits without passengers or goods,

(3) animals and vehicles carrying exclusively fodder or manure for purposes other than for sale, and

(4) animals carrying agricultural produce for resident farmers of Khas Yol Cantonment having land outside Cantonment limits for purposes other than for sale

THE SCHEDULE

Sl No	Description of animals and vehicles	Rate of tax per animal or vehicle Rs P.
1.	Loaded carts, tongas and bullock coaches (Bail garis)	0 - 15
2	Loaded horses, mules, camels, ponies bullock and donkeys	0 - 10
3	Motor bus and taxi	3 - 00
4	Advertisement van	2 - 00
5.	Motor truck (loaded)	2 - 00
6	Motor truck (unloaded)	0 - 50
7	Any other vehicle kept for commercial purposes	2 - 00

(File No 53/12/C/L&C/76/ -C/D(Q&C)

R K DAS
Cantonment Executive Officer
Khas Yol Cantonment

AGRICULTURAL REFINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Bombay, the 6th October 1977

No G S R —In pursuance of Section 32(2) of the Agricultural Refinance and Development Corporation Act, 1963 (10 of 1963), the report of the Board on the working of the Corporation for the year ended 30 June 1977 and the balance sheet and profit and loss account of the Corporation for the year ended 30 June 1977 are published hereunder

ARDC AT A GLANCE

Rs. lakhs

Sources	Year ended 30 June 1975	1976	1977	Uses	Year ended 30 June 1975	1976	1977
Paid-up share capital and reserves	2272	2940	4211	Refinance provided to : (outstanding)			
Borrowings from GOI	19662	25009	34001	State Land Development Banks	34382	42582	52544
(Of which IDA/IBRD assistance)	11698	17045	26045	(Of which under IDA projects)	(16756)	(24829)	(33208)
R B I				Scheduled Commercial Banks	5150	11200	18568
L T O Fund	8820	13840	17260	(Of which under IDA/IBRD projects)	(1388)	(5353)	(10217)
Short Term	450	170	—	State Co-operative Banks	1154	1157	1108
Open Market	9921	13771	18171	(Of which under IDA project)	—	(7)	(18)

RECORD OF GROWTH

Rs. lakhs

Particulars	As at the end of June								
	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
Paid-up share capital and reserves	500	509	523	1044	1082	1650	2272	2940	4211
Special Deposit	61	74	87	99	117	141	179	230	292
Subvention loans	14	14	14	14	14	—	—	—	—
Borrowings from :									
GOI	2575	4475	6675	7713	12485	16350	19662	25009	34001
RBI	—	—	752	839	3820	6560	9270	14010	17260
Short term	—	—	752	339	370	1160	450	170	—
Long term	—	—	—	500	3450	5400	8820	13840	17260
Open market	—	1094	1946	2271	3871	6621	9921	13771	18171
Refinance granted (net)	3040	5889	8893	12341	21614	30974	40686	54939	72220
Debentures	2785	5460	8124	10964	19560	27151	34382	42582	52544
Loans	255	429	769	1377	2054	3823	6304	12357	19676
Other assets	122	159	258	360	632	929	1417	2017	3040
Investment and cash reserves	52	250	1003	2	4	8	26	37	24
Gross income	110	273	427	606	924	1553	2214	2991	4095
Profits before tax	48	67	69	109	171	309	442	585	785
Tax payable	26	37	34	58	89	160	231	309	340
Profits after tax	22	30	35	51	81	149	211	276	445
Dividend paid	21	21	21	31	44	66	89	109	173

TABLE 1

DISBURSEMENT OF REFINANCE-PURPOSEWISE

Rs lakhs

Purpose	Upto 30 June 1969	During								Upto 30 June 1977
		1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	
Minor irrigation	1281 (42·1)	2233 (78·1)	2306 (75·3)	2674 (76·4)	8418 (89·4)	8530 (87·1)	8378 (78·7)	10818 (63·2)	14210 (64·4)	58830 (72·2)
Land development/Reclamation/Soil conservation/ Command area development	1388 (45·5)	332 (11·6)	437 (14·3)	237 (6·8)	230 (2·4)	178 (1·8)	201 (1 9)	492 (2·8)	587 (2 6)	4063 (4·9)
Farm mechanization/Agro-service centres	14 (0·5)	16 (0·6)	11 (0·4)	36 (1·0)	218 (2·3)	375 (3·9)	1223 (11 5)	4575 (26·7)	5177 (23·4)	11665 (14·3)
Plantation/Horticulture	207 (6·7)	150 (5·2)	199 (6·5)	205 (5·9)	149 (1·6)	219 (2·3)	200 (1 9)	307 (1·8)	516 (2·3)	2165 (2·6)
Poultry/Sheep breeding	1 (0·1)	6 (0·2)	—	—	15 (0 2)	9 (0·1)	65 (0 6)	68 (0·4)	66 (0·3)	232 (0 3)
Fisheries	56 (1·8)	36 (1·3)	37 (1·2)	59 (1·7)	12 (0·1)	86 (0·9)	178 (1·7)	243 (1·4)	196 (0 9)	902 (1·1)
Dairy development	—	—	—	39 (1·1)	26 (0 3)	82 (0 8)	158 (1 5)	288 (1 7)	354 (1·6)	953 (1·1)
Storage & Market yards	100 (3·3)	87 (3·0)	72 (2·3)	248 (7·1)	346 (3·7)	293 (3·0)	237 (2 2)	319 (1·9)	953 (4·3)	2652 (3·2)
Others :										
Forestry	—	—	—	—	—	—	—	—	18 (0·1)	18 (0·1)
Agriculture aviation	—	—	—	—	—	12 (0 1)	—	5 (0 1)	—	17 (0·1)
Integrated cotton development	—	—	—	—	—	—	—	—	5 (0·1)	5 (0·1)
Total	3047 (100·0)	2860 (100·0)	3062 (100·0)	3498 (100·0)	9414 (100 0)	9784 (100 0)	10640 (100·0)	17115 (100 0)	22082 (100·0)	81502 (100 0)

Figures in parenthesised italics are percentages of the total

TABLE 2

DISBURSEMENT OF REFINANCE—AGENCYWISE

(Rs. lakhs)

Agency	Upto 30 June 1969	During 1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	Upto 30 June 1977
State Land Development Banks	2785 (91.4)	2675 (93 5)	2665 (87 0)	2839 (81·2)	8614 (91·5)	7776 (79 5)	7706 (72·4)	9909 (57·9)	12670 (57 4)	57633 (70·7)
Of which under IDA projects	—	-		537	6358	5292	5198	9069	10053	36507
Scheduled Commercial Banks	106 (3 5)	56 (2 0)	278 (9 1)	326 (9·3)	449 (4 8)	1736 (17 7)	2787 (26 2)	7075 (41·3)	9298 (42·1)	22117 (27·1)
Of which under IBRD projects	—	—	111	8	4	1	10	31	30	195
IDA projects	—	—	—	—	—	342	979	4133	5526	10980
State Co-operative Banks	156 (5·1)	129 (4·5)	119 (3·9)	333 (9·5)	351 (3 7)	272 (2 8)	147 (1·4)	131 (0 8)	114 (0·5)	1752 (2 2)
Of which under IDA project	—	—	—	—	—	—	—	7	11	18
TOTAL :	3047 (100 0)	2860 (100 0)	3062 (100 0)	3498 (100 0)	9414 (100 0)	9784 (100·0)	10640 (100·0)	17115 (100 0)	22082 (100·0)	81502 (100 0)

Figures in parentheslsed are percentages of the total.

AGRICULTURAL REFINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

FOURTEENTH ANNUAL REPORT 1976-77

Operations

A new high level of disbursement, further diversification and promotional activity for reducing regional imbalances, completion of the First ARDC Credit Project six months ahead of schedule, completion of six other agricultural credit projects and sanction of a Second IDA Line of Credit of $ 200 million to the Corporation, were the main features of the operations of the Corporation during the year under review.

1 2 Aggregate disbursement of refinance by the Corporation during the year totalled Rs 221 crores, thus fulfilling the perspective lending programme of Rs. 220 crores projected for the year This reflects the growing demand for institutional credit for undertaking agricultural investments and the general confidence in the Corporation for providing the necessary assistance and resources to finance productive schemes in agriculture

1 3 A substantial part of the disbursement, *viz*, Rs 156 crores or 71 per cent related to projects assisted by the World Bank Group Aggregate disbursement of refinance by the Corporation since inception has now reached Rs 815 crores, inclusive of Rs 477 crores under various World Bank assisted projects, qualifying for a drawal of $ 350 million.

TABLE 3

RANKING OF STATES ACCORDING TO REFINANCE DRAWN FROM THE CORPORATION

State	1974-75	1975-76	1976-77
Uttar Pradesh	1	1	1
Madhya Pradesh	3	4	2
Karnataka	5	3	3
Andhra Pradesh	7	8	4
Maharashtra	2	2	5
Haryana	4	5	6
Punjab	10	7	7
Bihar	6	6	8
Tamil Nadu	8	9	9
Rajasthan	11	10	10
West Bengal	14	14	11
Orissa	13	11	12
Gujarat	9	12	13
Kerala	12	13	14

1 4 Nearly all states (the only exceptions being Maharashtra, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Meghalaya, Delhi, Pondicherry and Goa) improved their availment of refinance (Table 4). The decline in Maharashtra was mainly due to the high level of overdues of the SLDB during 1975-76 which restricted the eligible lending programme of its branches and consequently, the quantum of refinance available both under the ordinary and special development debenture programmes

1 5 For the fourth year in succession, Uttar Pradesh led the other States in regard to availment of refinance with a total of Rs 37 crores, followed by Madhya Pradesh (Rs 26 crores) Karnataka (Rs 22 crores) and Andhra Pradesh (Rs 21 crores) The increase in Uttar Pradesh was as high as 42 per cent over the previous year.

1 6 Since inception, the largest beneficiaries of ARDC refinance receiving more than 10 per cent of total disbursement are Uttar Pradesh (Rs 121 crores) and Maharashtra (Rs. 88 crores) The other States which absorbed between 8 and 10 per cent of the refinance were Tamil Nadu (Rs 78 crores), Karnataka (Rs 77 crores), Andhra Pradesh (Rs. 76 crores), Haryana (Rs 75 crores), Madhya Pradesh (Rs. 71 crores) and Punjab (Rs 68 crores).

1 7 The ranking of States according to the quantum of refinance availed of from the Corporation is shown in Table 3 States which improved their position during the year were Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and West Bengal while the ranking of several other States notably Maharashtra Haryana Bihar and Orissa came down notwithstanding that the total quantum of refinance availed of by these States except Maharashtra was larger than in the previous year.

1 8 Purpose-wise minor irrigation continued to take the major share of ARDC disbursement (Table 1) During the year, it absorbed Rs 142 crores or 64 per cent of the total amount of refinance as against 63 per cent during the previous year However with increasing diversification of activities, the share of this category (with an aggregate disbursement of Rs. 588 crores) in the overall position as at the end of June 1977 declined to 72 per cent from 75 per cent as at the end of the previous year The disbursement under minor irrigation included assistance of Rs 11 crores for energisation of pumpsets, compared with Rs 6 crores availed of in the previous year, Tamil Nadu Karnataka Madhya Pradesh Haryana, Maharashtra and Orissa availed themselves of refinance under the scheme while proposals from Gujarat, Kerala and Rajasthan are under consideration

1 9 The disbursement for farm mechanisation equipment was higher at Rs 52 crores compared with Rs 46 crores last year The larger disbursement under this category during the last two years was on account of clearing of the backlog in the procurement of imported and indigenous tractors under the Punjab Haryana, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu agricultural credit projects Another category under

which considerable disbursement took place during the year was storage and market yards, the amount disbursed being Rs. 9.5 crores compared with Rs 3 2 crores during the previous year. A major part of the disbursement was attributable to the scheme of the Food Corporation of India (FCI) for priority construction of godowns by private parties for lease to FCI, for storage of foodgrains There has also been a revival of financing tea estates in the Eastern and North-Eastern regions by commercial banks; five new schemes with commitment of Rs. 73 lakhs were sanctioned during the year and disbursement amounted to Rs 38 lakhs. The disbursement under land development, plantations and horticulture and dairy development continued to show an upward trend, which is likely to be further intensified during the next two years

TABLE 4

DISBURSEMENT OF REFINANCE—STATEWISE

(Rs. lakhs)

Region/State/Union Territory	Upto 30 June 1969	During								Upto 30 June 1977
		1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	
I. *NORTHERN REGION*										
Delhi	—	6	—	—	—	7	12	28	10	64
		(0 2)				(0 1)	(0 1)	(0 2)	(0 1)	(0 1)
Haryana	303	263	362	326	1020	803	1075	1569	1770	7491
	(9 9)	(9 2)	(11 8)	(9 3)	(10 8)	(8 2)	(10 1)	(9 2)	(8 0)	(9 1)
Himachal Pradesh	—	—	—	—	—	4	4	16	2	28
						(0 1)	(0 1)	(0 1)	(–)	(–)
Jammu & Kashmir	32	20	11	7	—	—	—	17	6	94
	(1 0)	(0 7)	(0 4)	(0 2)				(0 1)	(—)	(0 1)
Punjab	653	654	556	386	607	489	407	1306	1731	6787
	(21 4)	(22 9)	(18 2)	(11 0)	(6 5)	(5 0)	(3 8)	(7 6)	(7 8)	(8 3)
Rajasthan	6	77	77	83	136	283	350	536	787	2341
	(0 2)	(2 7)	(2 5)	(2 4)	(1 4)	(2 9)	(3 3)	(3 1)	(3 6)	(2 9)
	994	1020	1006	802	1763	1586	1848	3472	4306	16805
	(32 5)	(35 7)	(32 9)	(22 9)	(18 7)	(16 3)	(17 4)	(20 3)	(19 5)	(20 5)
II *NORTH-EASTERN REGION*										
Assam	70	4	—	32	—	29	—	5	70	210
	(2 4)	(0 1)		(0 9)		(0 3)		(—)	(0 3)	(0 2)
Meghalaya	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nagaland	—	—	—	—	—	4	4	2	3	13
						(0 1)	(0 1)	(—)	(—)	(0 1)
Manipur	—	—	—	—	—	—	—	5	8	13
								(—)	(0 1)	(0 1)
Tripura	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
								(—)	(—)	(—)
	70	4	—	32	—	33	4	13	83	239
	(2 4)	(0 1)		(0 9)		(0 4)	(0 1)	(0 1)	(0 4)	(0 4)
III. *EASTERN REGION*										
Bihar	18	61	113	67	154	585	932	1318	1696	4938
	(0 6)	(2 1)	(3 7)	(1 9)	(1 6)	(5 9)	(8 8)	(7 6)	(7 7)	(6 1)
Orissa	4	18	6	8	11	8	82	338	565	1036
	(0 1)	(0 6)	(0 2)	(0 2)	(0 1)	(0 1)	(0 8)	(2 0)	(2 6)	(1 3)
West Bengal	2	1	10	5	4	22	69	159	590	859
	(0 1)	(0 1)	(0 3)	(0 2)	(0 1)	(0 2)	(0 6)	(1 0)	(2 7)	(1 1)
	24	80	129	80	169	615	1083	1815	2851	6833
	(0 8)	(2 8)	(4 2)	(2 3)	(1 8)	(6 2)	(10 2)	(10 6)	(13 0)	(8 5)
IV *CENTRAL REGION*										
Madhya Pradesh	29	49	91	187	319	645	1234	1932	2610	7105
	(1 0)	(1 7)	(2 9)	(5 3)	(3 4)	(6 6)	(11 6)	(11 3)	(11 8)	(8 7)
Uttar Pradesh	122	256	293	604	1143	1498	1849	2598	3720	12081
	(4 0)	(9 0)	(9 6)	(17 3)	(12 1)	(15 3)	(17 3)	(15 2)	(16 9)	(14 8)
	151	305	384	791	1462	2143	3083	4530	6330	19186
	(5 0)	(10 7)	(12 5)	(22 6)	(15 5)	(21 9)	(28 9)	(26 5)	(28 7)	(23 5)
V. *WESTERN REGION*										
Goa	—	—	—	—	—	3	5	23	24	55
						(0 1)	(0 1)	(0 1)	(0 1)	(0 1)
Gujarat	207	131	190	262	2794	788	427	333	402	5534
	(6 8)	(4 6)	(6 2)	(7 5)	(29 7)	(8 0)	(4 0)	(1 9)	(1 8)	(6 8)
Maharashtra	189	349	233	456	732	1271	1358	2248	1928	8768
	(6 2)	(12 2)	(7 6)	(13 0)	(7 8)	(13 0)	(12 7)	(13 2)	(8 7)	(10 8)
	396	480	423	718	3526	2062	1790	2604	2354	14357
	(13 0)	(16 8)	(13 8)	(20 5)	(37 5)	(21 1)	(16 8)	(15 2)	(10 6)	(17 7)

TABLE 4 (*Concld.*)

DISBURSEMENT OF REFINANCE—STATEWISE

(Rs. lakhs)

Region/State/Union Territory	Upto 30 June 1969	During 1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	Upto 30 June 1977
VI. *SOUTHERN RLGION*										
Andhra Pradesh	809	607	342	285	847	423	892	1295	2122	7620
	(26·5)	(21 2)	(11·2)	(8 2)	(9 0)	(4 3)	(8 4)	(7 6)	(9 6)	(9 3)
Karnataka	261	166	274	325	405	1099	1008	1946	2190	7675
	(8 6)	(5·8)	(8 9)	(9·3)	(4 3)	(11 2)	(9 5)	(11 4)	(9 9)	(9·4)
Kerala	17	35	82	97	28	103	100	208	247	917
	(0·5)	(1 2)	(2·7)	(2 8)	(0·3)	(1·0)	(0·9)	(1 2)	(1 1)	(1 1)
Pondicherry	—	—	—	—	—	8	15	4	—	27
						(0 1)	(0 1)	(0 1)		(0 1)
Tamil Nadu	325	162	422	368	1213	1712	817	1228	1599	7843
	(10·7)	(5 7)	(13 8)	(10 5)	(12 9)	(17 5)	(7 7)	(7 2)	(7 2)	(9 5)
	1412	970	1120	1075	2493	3345	2832	4681	6158	24082
	(46 3)	(33·9)	(36 6)	(30 8)	(26 5)	(34 1)	(26 6)	(27 5)	(27 8)	(29 4)
TOTAL (I to VI)	3047	2860	3062	3498	9414	9784	10640	17115	22082	81502
	(100 0)	(100 0)	(100 0)	(100 0)	(100 0)	(100 0)	(100 0)	(100 0)	(100 0)	(100 0)

Figures in parenthesised are percentages of the total

1 10 Disbursement as percentage of commitments upto the end of the previous year and as of June 1977 is indicated in Table 5 Aggregate drawals during the year constituted nearly 58 per cent of the total ARDC commitments of Rs. 381 crores as against 57 7 per cent of the commitments during the last year (Statement 1).

TABLE 5

DISBURSEMENT AS PERCENTAGE OF COMMITMENTS

(Rs. Crores)

Purpose	A R D C commitments upto 1975-76	Amount drawn upto 30 June 1976	Percentage of 3 to 2	A R D C commitments upto 1976-77	Amount drawn upto 30 June 1977	Percentage of 6 to 5
1	2	3	4	5	6	7
1. Minor irrigation	611 2	446 0	73 0	754 7	588 3	78 0
2 Land development and soil conservation	54·5	35 0	64 2	70 3	40 6	57 8
3 Farm mechanisation	100 1	65 0	64 9	146 0	116 7	79 9
4. Plantation and horticultute	30 2	16 4	54 3	34 3	21 7	63·3
5. Poultry and sheep breeding	2 7	1 6	59 3	4 8	2 3	47·9
6 Fisheries	10 8	7·1	65 7	14 5	9 0	62·1
7. Dairy development	14·9	5 9	39 6	18 7	9 5	50 8
8. Storage facilities and market yards	23 4	17 0	72 6	44 9	26 5	59·0
TOTAL .	847·8	594 0	70·1	1088 2	814 6	74 7

1 11 Sixty-eight member-banks participated in the refinance programme comprising 16 land development banks, 36 scheduled commercial banks and 16 state co-operative banks Agencywise, the land development banks continued to constitute the principal customers of the Corporation, with commercial banks very close behind (Table 2) The total amount of refinance provided to the LDBs during the year was Rs 127 crores which was 28 per cent higher than Rs 99 crores availed of by them during the previous year, their share in disbursement during the last two years remained almost constant at 57 per cent of the total It is significant that the LDBs operating in Uttar Pradesh, Rajasthan, West Bengal Bihar, Madhya Pradesh and Orissa, which did not take substantial refinance earlier, have taken vigorous steps to improve their recovery performance and have thus become eligible for increased lending programmes during the year

TABLE 6

(Rs lakhs)

Name of the LDB	Refinance provided to SLDBs		
	1974-75	1975-76	1976-77
Rajasthan	213	276	327
Bihar	712	592	764
Orissa	46	101	357
West Bengal	28	129	281
Madhya Pradesh	824	930	1535
Uttar Pradesh	1326	1605	2009

1 12 The performance of the commercial banks has been encouraging The Corporation considers the growing involvement, in recent years, of the commercial banks in ARDC programmes as a major achievement. Refinance availed of by them increased from Rs. 71 crores in 1975-76 to Rs 93 crores during the year Their share of total refinance improved marginally from 41 per cent to 42 per cent. Nearly 45 per cent of the amount availed of by commercial banks was in respect of minor irrigation schemes, particularly in those areas where the co-operative credit structure is weak. Commercial banks have also made significant progress in diversified lending, particularly for farm mechanization, dairy development and storage and market yards

1 13 The involvement of state co-operative banks in ARDC schemes continued to be negligible at about Rs. 1 crore The recent effort on the part of Orissa State Co operative Bank to reorient its programmes, policies and procedures to facilitate project lending in minor irrigation is an attempt in the right direction.

1 14 The aggregate disbursement of Rs 815 crores by ARDC since its inception represents investment of about Rs 1020 crores at the ground level, taking into account the contributions made by the borrowers, member-banks and state governments The achievement in physical terms under various schemes on the basis of the latest available data is indicated below :

Tubewells . .	2,28,400
Dugwells . .	3,60,700
Electric pumpsets/oil engines	5,24,600

Lift irrigation	1,000
Others (boring and rahats)	14,750
	Hectares
Coffee	8,670
Tea	1,975
Rubber	2,000
Cardamom	1,425
Coconut	37,900
Arecanut	1,300
Apple	7,200
Citrus and other fruits	10,900

1.15 During the 14 years of its activities, the Corporation assisted in bringing about 23 5 lakh hectares under multiple crops Lands developed under the command area of major irrigation projects and the area improved under soil conservation schemes aggregated 8.2 lakh hectares. The total area developed under various schemes for plantation and horticulture is of the order of 71,400 hectares.

1 16 The other activities which have received refinance facilities from the Corporation are as under :

Storage	21 50	lakh tonnes
Market yards	175	units
Tractors	24,000	units
Combines/harvesters/bulldozers/ power tillers	2,070	units
Trawlers/mechanised boats	1,410	units
Milch cattle	47,500	animals
Poultry birds	6,81,200	chicks
Sheep	94,250	animals
Agricultural aircraft	2	units

SANCTIONS

There has been a substantial increase in the number of schemes sanctioned and the amount of refinance committed during the year. As against 909 schemes involving a total commitment of Rs 297 crores in 1975-76, the Corporation sanctioned as many as 1653 schemes during the year with aggiegate commitment of Rs 307 crores (Statement 2). In keeping with the general trend, minor irrigation continued to be the largest single purpose accounting for 657 schemes involving an aggregate commitment of Rs 178 crores, against 410 schemes for Rs 167 crores sanctioned in the previous year There has also been a substantial improvement in the diversification of lendings Schemes for land development, including those under the command area development programme, plantations and horticulture, poultry and sheep breeding dairy development and storage and market yards were sanctioned in larger number during the year. Schemes for purposes other than minor irrigation totalled 996, involving an aggiegate commitment of Rs 129 crores, against 499 schemes with a commitment of Rs 130 crores sanctioned in the previous year. The present preference of the banks is for schemes involving smaller outlays for implementation in a compact area.

2.2 Commercial banks occupied the first place, both in terms of number of schemes sanctioned and volume of commitments during the year (Statement 4). As many as 1105 schemes with a commitment of Rs 156 crores were sanctioned to the commercial banks as against 650 schemes involving a commitment of Rs 119 crores sanctioned in their favour during the previous year There has been a substantial increase in the number of schemes sanctioned to LDBs also at 528 as against 256 in the previous year but the aggregate commitment to them has been smaller at Rs 141 crores as against Rs 177 crores The trend towards diversification of lending by the LDBs continues. During the year 276 schemes for diversified lending were sanctioned to them. The bulk of the schemes sponsored by commercial banks related to diversified lending.

2 3 There has been a marginal improvement in the number of schemes sanctioned to the state co-operative banks. Twenty schemes involving commitment of Rs 10 crores were sanctioned to them during the year as compared with only three schemes involving commitment of less than Rs 1 crore approved during the previous year Their small involvement so far as ARDC programmes are concerned is largely in dairy, poultry and fishery.

2.4 As at the end of June 1977, the Corporation had sanctioned 4487 schemes and its commitments aggregated Rs 1465 crores (Statement 5). Of these 2882 schemes with commitment of Rs 500 crores were sanctioned to the commercial banks, 1541 schemes involving commitment of Rs 935 crores were sanctioned to the LDBs and 64 schemes with a commitment of Rs 30 crores to the state co-operative banks (Statement 7)

Regional Imbalances

2 5 The less developed regions present a wide spectrum of characteristics. On the one side, there are the Eastern and North-Eastern regions with their vast but largely untapped potential. On the other, there are chronically drought-affected areas covering, wholly or partly, 74 districts in 13 states, as well as the hill areas. The low productivity of the farms in the Eastern and North-Eastern regions is attributable to small and fragmented holdings, unsatisfactory records of land rights, weak credit structure, extreme pressures of population in some areas, and inadequate infrastructure facilities, apart from periodic floods. In drought-prone areas, the high risk consequent upon low and erratic rainfall makes it difficult to adopt new technology. In hill areas, land resource is limited (about 11 per cent of total area) and poor infrastructure and communications and weak credit structure also retard development. There are in addition 44 districts spread over eight States where tribal population is significant Any strategy for development of these regions should therefore be multipronged and should aim at removing the specific constraints. Credit is only one of the constraints.

2 6 There has however, been significant progress in stepping up investment for agricultural development in these areas identified as less developed and/or underbanked in recent years and this trend was intensified during the year (Statement 8). In previous reports, detailed accounts were given of the steps taken by the Corporation to promote development in these regions such as strengthening of the concerned regional offices and institutions, location of consultancy units for assisting in scheme formulation, increased quantum of refinance and carrying out of pre-investment surveys Close and continuous contacts were also maintained with the concerned State governments for formulation of viable projects and increasing the flow of credit.

2 7 These combined efforts have had a significant impact during the last three years, particularly in the Central region comprising Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. These two States alone accounted for Rs. 63 crores or 30 per cent of the total ARDC disbursement during 1976-77. While Uttar Pradesh, as mentioned earlier, maintained its lead for the fourth year in succession with the largest share of disbursement, Madhya Pradesh took the second position this year. The Uttar Pradesh agricultural credit project assisted by IDA is in its closing stages of implementation and the Madhya Pradesh agricultural credit project was fully implemented during the year In Madhya Pradesh, the West German authorities are considering a line of credit through Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KFW) relating, in the first phase, to the integrated development of the Tawa Irrigation Command Area in Hoshangabad district, the credit allocations for on-farm development and purchase of machinery are expected to be routed through ARDC.

2 8 Disbursement of ARDC refinance has increased considerably in Bihar, Orissa and West Bengal. During the year, 101 new schemes involving a commitment of Rs. 29

crores were sanctioned in Bihar. Of these 74 schemes were for minor irrigation investments with ARDC commitment of Rs 20 crores. Nineteen schemes envisaging ARDC involvement of Rs 6 crores were for market yards under the Bihar Market Yards project. In Orissa, ARDC committed funds aggregating Rs 22 crores in respect of 79 new schemes. Most of these schemes (63) with commitment of Rs 21 crores under minor irrigation category and included 14 schemes sanctioned to the Orissa State Co-operative Bank. ARDC arranged a short-term training programme in Bhubaneswar for acquainting the staff of the apex and central co-operative banks on the techniques of scheme formulation and other related matters. In West Bengal, almost all constraints earlier faced in implementation of the IDA agricultural development credit project have been resolved and disbursement is picking up The Eastern Region Foodgrains Project being formulated with assistance from the World Bank and with which the Corporation is also closely associated, covers the states of Assam, West Bengal, Bihar and Orissa The projects in Assam and Orissa have already been appraised by the World Bank, these aim at rapid groundwater development. A Sectoral Review Mission of the World Bank has also conducted extensive surveys of Bihar to develop plans and projects for increasing foodgrains production in the state.

2.9 The formulation of specific projects in these states for strengthening adaptive research for testing improved varieties and evolving new cultural practices to increase yields and extension services to transfer technology to farmers to support the credit programme is to be welcomed. Such projects have been finalised with assistance from IDA in the states of West Bengal, Orissa, Madhya Pradesh, Rajasthan and Assam.

2.10 The Government of West Bengal has taken the initiative in setting up a study team to examine in depth the question of change in collateral requirements of the SLDB from a mortgage to a charge on land as recommended by the Hazari Committee on Integration of Co-operative Credit Institutions This should go a long way in promoting diversified agricultural investments in the state The progress has been somewhat halting in Assam and in the states in the North-Eastern region The passing of the Assam Recovery of Loans Act, 1976 which enables the financing institutions to recover as arrears of land revenue, dues from any person in respect of any amount advanced or granted should be an inducement for the financing institutions to enlarge their coverage in this state Another welcome step taken by the state government is the enactment of legislation on the lines recommended by the Talwar Committee

2.11 In Meghalaya, a project for development of forests through the Meghalaya Forest Development Corporation has been sanctioned with financial assistance of Rs 49 lakhs In Mizoram, ARDC has agreed to provide assistance for the identification of investment proposals and project formulation A project appraisal seminar will be conducted in this state shortly for the benefit of district officers

2.12 In Manipur, the state government has agreed to issue administrative instructions to District Collectors and Sub-Divisional Officers to countersign ownership certificates issued by the village councils so that these certificates may be accepted by financing banks as valid security for loans. This is similar to the practice followed or agreed to by banks in Nagaland and Arunachal Pradesh The Corporation proposes to finance horticulture schemes on the basis of this arrangement.

2.13 A working group constituted by the Reserve Bank which included one of the senior officers of the Corporation as a member examined in depth the problems of bank credit in the North-Eastern Region and has made a number of recommendations for effectie improvements in the operational methods and procedures of banks for increasing the credit flow in this region These developments, it is hoped, will give an effective thrust to agricultural investment in these states.

2.14 The Corporation deputed a study team to Jammu and Kashmir to identify and prepare projects for agricultural development. The Team has since prepared four projects, covering fisheries, dairy, poultry and sheep development. A horiticulture project is also being prepared in the state for assistance by World Bank

2.15 The Corporation is also involved in the drought prone areas programme of GOI including the project assisted by IDA in six districts. Schemes for on-farm development in these districts are being drawn up and, as at the end of the year, the Corporation had sanctioned 16 schemes in Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Karnataka, Maharashtra and Rajasthan covering minor irrigation, dairy and sericulture development.

2.16 As regards hill areas, as identified by the Planning Commission, the Corporation has sanctioned 72 schemes covering minor irrigation and plantation schemes involving a commitment of over Rs 14 crores of which an aggregate sum of Rs 5.4 crores was drawn till 30 June 1977. In the tribal belt in 13 districts spread over Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh, Orissa and Rajasthan the Corporation has sanctioned 70 schemes with a commitment of Rs. 22 crores for minor irrigation, farm mechanisation, poultry, dairy development and storage purposes. Drawals there against amounted to Rs 4.5 crores. The Corporation continued to pay attention to imbalances which exist as between one area and another within the same state as will be seen from Statement 9.

Small Farmers

2.17 During the year the Corporation sanctioned 95 schemes under the aegis of SFD/MFAL agencies At the end of June 1977 the total number of such schemes sanctioned stood at 253 (Statement 10) with the Corporation's commitment of Rs 62 crores. Of these 103 schemes are being implemented through LDBs, 147 through commercial banks and 3 through state co-operative banks. Purpose-wise, 132 schemes are for minor irrigation investment and remaining covered diversified purposes such as dairy development (88), poultry (8), sheep breeding (8), and development (7), plantation/horticulture (9) and fisheries (1)

2.18 An important development during the year is the decision of the World Bank to reimburse loans under IDA Projects given to the small and marginal farmers under the aegis of SFD and similar agencies, which involve capital subsidies to the borrowers Hitherto, such advances were not eligible for being brought under the projects sanctioned by the World Bank Group The criteria laid for reimbursement eligibility are that (a) capital subsidy available to borrowers should be routed through the banking system and (b) ARDC should adopt suitable field supervision and auditing procedures to ensure that criteria adopted for classifying small farmers are properly observed and that fund allocated under these schemes are administered efficiently and fairly It is, therefore, necessary that more and more schemes should be brought under the ARDC programme to take advantage of the IDA credit allocation considering the fact that the SFDA programme has been extended to about 160 districts. At present, only a small part of these programmes comes for ARDC refinance. The Corporation provides refinance at 90 per cent of loan assistance extended by the banks to such farmers

2.19 In areas where SFDA schemes are not in operation, the ARDC definition of a small farmer is being applied and norms for various homogenious agroclimatic regions for the purpose of identifying small farmers have already been advised to the banks Under the ARDC schemes other than those covered under SFDAs, small farmers need make a nominal down payment of 5 per cent of the cost of investment and are entitled to a longer period of loans upto 15 years The Corporation is also committed to ensuring that at least 50 per cent of its advances under its schemes are for small farmers

2.20 As mentioned in last year's annual report, the flow of information regarding small farmer coverage under ARDC schemes has been incomplete In view of the national importance of such lendings to small farmers, banks would be well advised to take earnest efforts to streamline their monitoring and information systems to get an accurate feedback on the amount of loans given to small farmers.

2.21 The available data indicate that the coverage of small farmers under ARDC schemes ranged between 30 and 60 per cent in different states.

TABLE 7

FINANCE TO SMALL FARMERS*

Rs Crores

Nature of scheme	Total disbursement by ARDC	Disbursement to small farmers		Percentage of finance to small farmers in Total
		Amount	No. of accounts (Approx)	
1	2	3	4	5
1. SFDA/MFAL Projects	28	28	94,880	100
2 ARDC Credit Project I	123	71	95,000	58
3. (a) IDA Projects (Minor irrigation component of agricultural credit projects only)	275	55	75,000	20
(b) IDA Projects—Other components	79	—	—	—
4. Normal schemes (net)				
(a) Minor Irrigation	163	66	85,333	40
(b) Land Development	32	16	80,000	50
(c) Farm Mechanisation	53	—	—	—
(d) Storage/Market Yards	21	—	—	—
(e) Plantation/Horticulture	21	5	25,000	25
(f) Poultry/Sheep breeding, (g) Dairy development, (h) Fisheries	20	10	1,00,00	50
TOTAL	815	251	5,55,213	—

*Provisional

2.22 An analysis of the schemes sanctioned by the Corporation indicates that every district in the country except for 38 out of 387 districts, has one type or other of ARDC schemes sanctioned for implementation. The states and the number of districts without any ARDC scheme as at the end of June 1977 are —

Andaman & Nicobar Islands	1
Arunachal Pradesh	5
Assam	1
Bihar	2
Chandigarh	1
Dadra & Nagar Haveli	1
Gujarat	1
Himachal Pradesh	2
Jammu & Kashmir	5
Lakshadweep	1
Manipur	3
Meghalaya	1
Mizoram	1
Nagaland	3
Pondicherry	2
Rajasthan	1
Sikkim	4
Uttar Pradesh	2
West Bengal	1

Schemes under consideration

2.23 At the end of June 1977, 741 schemes were under consideration. Of these, 127 schemes were complete in most respects and the remaining 614 schemes were either incomplete or were pending for want of additional data for processing. Of the pending schemes, 179 schemes related to the states in the less developed/underbanked areas. The details in respect of the schemes under consideration are given in Statement 14.

POLICY DECISIONS DURING THE YEAR

In respect of SFDA assisted schemes, as mentioned in the previous report beginning from April 1, 1976, the quantum of refinance assistance had been fixed at 90 per cent of the financial assistance provided by the member-banks. A review of the arrangements for providing refinance to member-banks in respect of SFDA and other special schemes mainly intended for the benefit of weaker sections in the rural community was made during the year and it was decided that the facility of 90 per cent refinance should be extended also to Drought Prone Areas Programme schemes and other special agricultural development schemes intended for the benefit of tribal areas, scheduled castes and scheduled tribes including schemes initiated by Girijan development corporations. This has been done mainly with a view to providing an incentive to the banks to promote such schemes.

3.2 ARDC has been providing refinance to member banks for their loans to the State Electricity Boards (SEBs) to energise agricultural pumpsets under the schemes approved by ARDC but excluding areas covered by the schemes of the Rural Electrification Corporation (REC) and other agencies. The scheme was further liberalised during the year. Refinance is now available to them against loans given to the SEBs for pumpsets energised even if loans for the pumpsets only had been given under ARDC schemes and the wells had been constructed from other borrowed funds or own resources of the borrowers. Further, it has been decided to extend the coverage of refinance to include (*i*) energisation of pumpsets installed by the farmers also from resources other than loans from the co-operatives or commercial banks under schemes approved by ARDC for refinance and (*ii*) energisation of pumpsets in REC scheme areas, whether or not a scheme as a whole has been completed in those areas, so long as the target number of pumpsets to be energised under the scheme has been achieved and the REC certifies accordingly. The refinance facilities under the above two extended categories will be available in respect of loans given for energisation of pumpsets from 1 March 1977. However, the above relaxations are subject to the condition that the groundwater discipline in regard to spacing criteria will be observed and that necessary certification of groundwater availability will be obtained in a manner acceptable to the financing agencies and ARDC. It has also been clarified to the banks that loans given by the financing institutions for energisation of pumpsets installed on lift irrigation units will also be eligible for refinance assistance from ARDC on merits subject to satisfying certain criteria regarding technical standards, availability of water in the river, etc.

3.3 In view of the fact that sufficient time had been allowed to the SEBs to avail themselves of refinance facilities from ARDC in respect of pumpsets energised from 1 August 1974 under the Scheme, it has been decided that from 1 July 1977 refinance under the scheme will be available only in respect of loans given by member-banks to SEBs for pumpsets energised under ARDC schemes within one year prior to the date of refinance application.

3.4 The significant increase in foodgrains production in the last two years has focussed attention on the need for augmenting storage facilities. To meet the situation, the Food

Corporation of India (FCI) formulated during the year, a scheme for expeditious construction of godowns by private parties who will lease them to FCI. The scheme envisages provision of 75 per cent of the cost of investment as loans by the eligible institutions, the remaining 25 per cent being borne by the borrowers from their own resources. ARDC has agreed to provide refinance to member-banks against loans given by them to private parties upto 80 per cent of the financial assistance for construction of godowns. Following the sanctioning of a large number of schemes under this programme, a review was made in consultation with FCI. It has since been decided that the financing banks may not consider any scheme in respect of which the party does not apply for bank loan under the scheme on or before 31 July 1977. After this date the financing banks may consider a scheme only if it has been certified by the concerned manager of FCI that he is reasonably certain that godowns would be completed by the end of November 1977.

3.5 An Inter-Institutional Group was set up by the Reserve Bank of India in June 1975 to study relevant aspects of financing 'Gobar' gas plants by banks. This group recommended, among other things, that ARDC may provide refinance facilities for putting up the gas plants in view of the current shortage of fuel and the high cost of chemical fertilizers. The Corporation, therefore, decided to extend refinance assistance to eligible banks for putting up of 'Gobar' gas plants. Refinance will be provided upto 75 per cent of loans granted by the banks for such plants.

3.6 Mention was made in the last year's report to the common criteria applied by the Reserve Bank of India and ARDC for regulation of the lending programmes (both ordinary and special) of the PLDBs and branches of SLDBs. Under this discipline the eligible lending programme of the PLDB/branch of SLDB is linked to the level of overdues at the end of the previous year and is fixed on the basis of a slab system. After careful examination of the representations received from the LDBs, the following modifications have been made in the overdues discipline:

(*i*) The present slab system of regulating the lending programme of the LDBs will continue upto 30 September 1978 as against the earlier decision that it was to be discontinued after 1 October 1977. From that date, only PLDBs/branches of SLDBs which had achieved a minimum cash recovery of 65 per cent are to be eligible for refinance from the Corporation.

(*ii*) A PLDB/branch of SLDB which has restricted eligibility and has out of the permitted lending, disbursed at least 50 per cent of the amount to small farmers would now be permitted to go one slab above the level of lending determined on the basis of the criteria. This is subject to the condition that 75 per cent of the additional amount so permitted should be advanced for financing small farmers.

(*iii*) Further PLDB/branch of SLDB which has shown improvement in recoveries to the extent of at least 5 per cent over the previous year but not sufficient to enable them to be placed in the next higher slab, would be entitled to 5 per cent additional lending programme.

(*iv*) There is also a provision for reviewing the level of recovery performance of the banks/branches as at the end of 31December 1977 and in cases where the recovery has improved the concerned PLDB branch of SLDB will be entitled to an appropriate larger lending programme as per the slab system.

3.7 Other relaxation relate to the disbursement of committed expenditure towards the second and subsequent instalments of loans, the basis for calculation of the eligible lending programme and also that for those branches of SLDBs/PLDBs operating in areas affected by drought and other natural calamities. In order to facilitate regulation of the lending programme under ARDC schemes, the Corporation has decided to follow the financial year (April-March) instead of the co-operative year as the basis for regulation of the special development debenture programme.

OTHER DEVELOPMENTS

Evaluation

Pilot reports in respect of four schemes were finalised during the year. These pertained to (*i*) Bhadra land development project scheme for reclamation and development of land in Karnataka, (*ii*) Land development under the Nagarjunasagar Project Miryalguda taluk, Andhra Pradesh, (*iii*) minor irrigation scheme in Karnal District of Haryana, and (*iv*) construction of new wells and installation of pumpsets thereon in Sholapur district of Maharashtra. These studies have shown that such term investments lead to a considerable increase in on-farm employment both during the process of completion of the investment as well as on a continuing basis thereafter.

4.2 Estimates of additional employment generated during the gestation period of land development ranged from 70 man-days to 109 man-days per acre depending upon the combination of men and machines employed for shaping and levelling of land. Additional employment created every year in the post-development period averaged about 100 man-days per acre of developed land.

4.3 The construction of a new dug well and the installation of a pumpset thereon created additional employment during the gestation period of 1700 man-days per unit. After completion a dug well fitted with pumpset provided additional employment of 300 man-days per unit on a continuing basis. In the case of a shallow tubewell the additional employment created for unskilled rural labour during the construction period averaged 75 man-days per unit; thereafter the additional employment on a recurring basis averaged 350 man-days per tubewell per year.

4.4 Besides creating employment potential, these projects have also contributed to increased agricultural production. The cropping intensity, incremental income generated, net present worth, benefit-cost ratio, internal rate of return and the repaying capacity per borrower for the 4 schemes as revealed by the studies are as follows :

TABLE 8

IMPORTANT FINDINGS OF EVALUATION

Name of the scheme	Cropping intensity (%)	Incremental income (Rs per acre of net cropped are)	Net present worth (Rs per cultivator)	Benefit-cost ratio	Internal rate of return (%)	Repayment capacity (Rs. per cultivator)
1	2	3	4	5	6	7
1 Bhadra land development project scheme for reclamation and development of land, Karnataka	176	1046	69,834	2·1	More than 50	6908
2 Land development under Nagarjunasagar Project, Miryalguda taluk, Andhra Pradesh	185	769	56,908	1·8	Do	4806
3 Minor Irrigation Scheme in Karnal district of Haryana	179	524	25,807	1·8	Do	3616
4 Construction of new wells and installation of pumpsets thereon in Sholapur dist. of Maharashtra	114	520	13,210	1·6	29	2047

The Evaluation Cell has now taken up studies in respect of (1) Dairy development schemes in Punjab and Haryana, (2) Citrus garden scheme in Nellore District of Andhra Pradesh, (3) Lift irrigation scheme in Maharashtra, and (4) Fisheries scheme in South Kanara District

4.5 The Evaluation Cell has also taken in hand the work relating to the Project Completion Reports (PCR) in respect of the IDA agricultural credit projects in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh, Haryana, Punjab and Karnataka and the ARDC Credit Project I Each PCR would be self-contained in so far as it would compare actual performance with that forecast at the time of appraisal and make appropriate comments on such performance In four PCRs certain specific topics would be covered For example, issues relating to credit institutions' overdues and rescheduling of loans in the Maharashtra project, matters relating to controll of ground water exploitation in the Tamil Nadu project, tractorization and its impact on employment and farming systems in the Punjab project and provision of credit to small and marginal farmers in Uttar Pradesh project would be highlighted.

4 6 While project formulation, sanction and disbursement of loans is only the first half of a development programme, an equally important task is to keep track of the utilisation of loans and benefits derived from the investment To achieve the latter objective, the Corporation has been carrying out follow-up studies of some of the schemes sanctioned After a careful study of the existing procedure, it has been decided to replace the present system of follow-up studies by two different types of studies In respect of some of the schemes sanctioned, a monitoring study will be conducted within 6 months to 12 months of the commencement of the scheme to look into operational aspects covering progress in implementation, compliance with terms of sanction, observance by banks of appraisal criteria and post sanction supervision system, etc These studies will help in appreciating the problems of scheme implementation at the nascent stage and improve the quality of project work Concurrent evaluation studies of the selected schemes will be taken up within 1½ to 2 years of commencement of the scheme by which time some of the beneficiaries would have started deriving benefits They would cover completed investments to find out the actual cost of investment in comparison to appraisal estimates of cost, cropping pattern adopted, adequacy of infrastructure and difficulties of beneficiaries in achieving anticipated benefits, etc Together, these two types of studies would give an insight into and feed back on implementation and usefullness of the investments financed

Training

4 7 Training arrangements for the personnel of member-banks were expanded further during the year

(*a*) Senior and middle level staff

4 8 Seventeen Agricultural Project Courses of 4 weeks duration were arranged at the RBI College of Agricultural Banking, Pune during the year A course on the technical aspects of land development and soil/water management for senior and middle level technical officers of SLDBs, commercial banks and public sector land development corporations was also arranged in March-April 1977 Twenty six technical officers comprising 13 from LDBs, 9 from commercial banks, 3 from state governments and one from ARDC participated in this course The aim of this programme was to refresh the knowledge of participants with a view to improving their job performance and ensuring how best their technical expertise could be channelled to project lending through institutional agencies The programme of regional agricultural credit project course of 10 days duration was also conducted during the year.

Between August 1975 and June, 29 courses have been conducted to impart training to 834 officials Of these, 408 were from land development banks, 275 from the commercial banks and the remaining 151 represented other interests.

(*b*) Junior-level LDB staff

4 9 The training of junior-level LDB staff is being conducted by the SLDBs with the active co-operation of ARDC. Between July 1976 and June 1977, 106 courses were completed by SLDBs and a total of 2900 junior-level LDB staff were trained by 13 SLDBs

(*c*) Study facilities

4 10 ARDC has been offering study facilities to visiting officials from foreign countries During 1976-77, 24 officials and scholars from Afghanistan, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nepal and Jamaica were provided with study facilities. Also, officials connected with co-operation and agriculture from various state governments and officials of the state land development banks were offered similar study facilities

(*d*) Participation of ARDC officers in Management programmes

4 11 Three senior officers of ARDC were deputed for training programmes and seminars conducted by the Indian Institute of Management, Ahmedabad and Management Development Institute, New Delhi.

IDA/IBRD—ASSISTED PROJECTS

During the year, four more projects were negotiated for assistance from the World Bank Group These are the Kerala Agricultural Development Project, Maharashtra Irrigation and Command Area Development Composite Project (Jayakwadi and Purna), Gujarat Fisheries Project and the Second ARDC Credit Project

5 2 At the end of June 1977, 29 projects (excluding the Drought Prone Areas Project in which no specified credit allocation has been made to ARDC) were covered by assistance from the World Bank Group These comprised 12 agricultural credit projects, 5 command area development projects, 3 dairy development projects, 2 market yards projects, 2 seeds projects, an apple processing and marketing project, one integrated cotton development project, a fisheries project and two general lines of credit to ARDC The Tarai Seeds Project, Andhra Pradesh, Irrigation and Command Area Development Composite Project, Chambal Command Area Development Project (Rajasthan), National Seed Project and a part of Gujarat Fisheries Project are being assisted by the IBRD and the remaining projects are being implemented with assistance from the IDA

5 3 The summary position indicating the purpose-wise lending programme, disbursement made so far and the amount reimbursed by IDA at the end of June 1977 is given in Table 9 The salient features of individual projects are given in Statement 11 and data regarding total lending programme, disbursements, etc under each project are given in Statement 12

TABLE 9

IDA/IBRD PROJECTS ACCORDING TO PURPOSE

Rs Crores

	Purpose	Disbursement necessary	Amount of IDA/IBRD assistance for ARDC programme	Refinance provided by ARDC as on 30 June 1977	Amount of disbursement from IDA/IBRD through GOI as on 30 June 1977
1.	Minor irrigation	741 6	436·1	387·8	252·0
2	Land development	10 7	7·6	5·7	
3	Farm mechanization	96·7	60 8	63 5	
4.	Market yard development	26·7	19 0	5·6	3·3
5.	Processing and marketing of perishable horticulture produce	6 1	4 9	—	—
6.	Dairy development	62·3	48 9	—	—
7.	Command area development	53 6	38·1	1·9	—
8.	Seed production	30·9	23 2	1·9	1·6
9.	Diversified purposes (such as tree crops, poultry etc)	91·5	48 6	10·5	3·5
10.	Cotton development†	16 1	10 3	0 1	—
	TOTAL	1136·2	697 5	477 0	260·4

† Includes credit of $ 7·5 million earmarked for provision of seasonal credit for growing improved variety of cotton under the Integrated Cotton Development Project

5 4 At the end of June 1977, ARDC's disbursement under the various World Bank assisted projects aggregated Rs 47/ crores This accounts for 58 per cent of the total ARDC disbursement made so far Since the disbursement made in rupees under different on-going projects are reimbursable by the World Bank in dollars (at a specified percentage of disbursement) there has been a net accrual of foreign exchange to the country of the order of $350 million

A. ARDC Credit Project

5 5 The First ARDC Credit Project was a two year programme for financing minor irrigation and other diversified agricultural investments such as dairy, fisheries, plantations and horticulture and became effective from August 1975. At the end of June 1977 ARDC disbursement under the project amounted to Rs 123 crores Reimbursement out of this credit was available to as many as 18 States and Union Territories On account of the flexibility in the procedure for appraisal and disbursement, ARDC has been able to make the required disbursement by the end of June 1977 well ahead of the stipulated closing date of the project viz, 31 December 1977.

5 6 Mention was made in last year's Annual Report to the proposals submitted to the IDA for sanction of a Second Line of Credit to the ARDC The project was negotiated by GOI and ARDC in Washington in April 1977 and a credit of $200 million was approved by IDA in May 1977 The relative agreements were signed on 1 June 1977 The main features of the project are given in Appendix

B Agricultural Credit Projects

5 7 The 12 agricultural credit projects sanctioned since 1970 are state-wise projects and their implementation is, therefore, confined to a part or whole of the state. Except the Punjab and Kerala projects the major development envisaged in the other 10 agricultural credit projects was minor irrigation The projects in Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu contemplated a land development programme also While the Punjab agricultural credit project was exclusively designed for financing farm mechanisation equipments, the Andhra Pradesh, Haryana, Karnataka and Tamil Nadu projects also provided for procurement of tractors.

5.8 Once the required infrastructure was developed, the disbursement for minor irrigation investments proceeded smoothly under these projects There was, however, difficulty in completing the on-farm land development programmes since the required capabilities could not be developed on schedule and consequently a portion of the credit originally allocated for this purpose was transferred to the minor irrigation category The tractor component had a chequered course as there had been problems regarding the imports and the imported units also were costly as compared to the indigenous ones The projects in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal are more recent and their implementation is satisfactory The Kerala Agricultural Development Project is different from the rest in that the main emphasis is on development of tree crops as against in other projects which primarily supported foodgrains production

5.9 At the end of June 1977, ARDC has been able to complete eight of these agricultural credit projects viz Gujarat, Haryana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh and Punjab These project involved a total disbursement of Rs 278 crores at ARDC level to utilise a credit of $240 million

5 10 Final particulars regarding the tractor component under the various agricultural credit projects (other than Gujarat) are presented in Table 10

TABLE 10

IDA PROJECTS—PROCUREMENT OF TRACTORS

Name of the Project	No of tractors financed		Disbursement by	
	Indigenous	Imported	LDBs Rs. Crores	PCBs
Andhra Pradesh	432	845	6·0	2 0
Karnataka	1757	1157	6 8	9 6
Haryana	4275	337	6 6	10 6
Punjab	4051	3776	10 0	22 1
Tamil Nadu	1112	515	8 2	0 3
Total	11627	6630	37 6	44·6

5 11 The Uttar Pradesh and Bihar Agricultural Credit Projects which originally covered a part of the states have been extended to the whole of each state The closing dates of the projects have been extended upto 31 December 1977 for the Uttar Pradesh project and upto the 31 December 1978 for the Bihar Project. Progress in implementation of the West Bengal Agricultural Development Project has been satisfactory with the removal of practically all the constraints in its implementation A large programme for minor irrigation has been sanctioned for implementation The Kerala Agricultural Development Project became effective only in June 1977 and the ARDC has finalised the Banking Plan allocating the lending programme (Rs 35 crores) to 9 banks which will facilitate smooth implementation of the project

C Command Area Development Projects

5 12 Of the five command area development projects, two are being implemented in Rajasthan and one each in Andhra Pradesh and Madhya Pradesh The Maharashtra Irrigation and Command Area Development Composite Project was sanctioned by the IDA in July 1977

5 13 In the Rajasthan Canal Command Area Development Project, estimates in respect of 621 'chaks' have been approved by ARDC and the RLDC has accorded financial sanction in respect of 524 'chaks' The work has commenced in 379 'chaks' Under the Chambal Command Area Development Project (Rajasthan) cost estimates relating to 13 catchment areas have been approved by ARDC and the work has been completed in two catchment areas In the Madhya Pradesh Chambal Command Area Development Project, technical clearance has been accorded by ARDC in respect of 8 schemes covering 1560 hectares.

5 14 Under the Andhra Pradesh Irrigation and Command Area Development Composite Project, ARDC has sanctioned land development programmes covering 30500 acres involving its commitment of Rs. 2 3 crores The Maharashtra Irrigation and Command Area Development Composite Project, which was sanctioned by the IDA in July 1977, is a continuation of irrigation development of the Jayakwadi and Purna irrigation programme over a 4 year period. The project is IDA's first major irrigation involvement in the drought-prone central Deccan region.

5 15 One of the difficulties experienced in implementing command area development programmes is the need for financing the development of the farms, the owners of which are not eligible for bank loans The GOI and ARDC have evolved, as mentioned in last year's report, a scheme for financing such farmers through a special loan account So far, an aggregate sum of Rs 152 lakhs has been contributed by GOI and the state government of Maharashtra, Andhra Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh towards this account.

D Dairy Development Projects

5 16 Three integrated dairy development projects, one each in Rajasthan, Madhya Pradesh and Karnataka are under implementation In the Rajasthan Dairy Development Project, investment proposals relating to Jaipur, Ajmer and Alwar unions have been approved In Madhya Pradesh, two schemes for financing technical services for Bhopal and Indore unions have been sanctioned In Karnataka, four Dairy unions at Bangalore, Mysore, Tumkur and Hassan have been registered The Dairy Development Corporation has taken up the work of procurement of milk from the dairy co-operatives established already

E Market Yards Project

5 17 In Bihar, the progress has been satisfactory and legal difficulties earlier encountered in acquisition of land for market sites have been resolved The participating bank has sanctioned loans aggregating Rs 12 crores in respect of 40 market yards against which ARDC has sanctioned refinance assistance of Rs 11 crores under 38 market yards In Karnataka, ARDC has approved 25 markets So far, ARDC disbursement under these schemes has aggregated Rs 93 lakhs.

F Drought Prone Areas Project

5 18 The IDA-assisted drought prone areas project covers 6 districts in Maharashtra, Karnataka Andhra Pradesh and Rajasthan. No specific credit allocation was made to ARDC by IDA under this project towards reimbursement

against loans, and reimbursement is expected to be picked up under on-going projects or ARDC credit projects ARDC had prepared detailed banking plans in regard to items of development for these districts and the participating banks have been advised to prepare schemes The progress which was slow in the first two years had started picking up

G Seed Projects

5.19 The Tarai Seed Project in Uttar Pradesh has been extended upto the end of December 1977 with a view to enabling the Seed Development Corporation to complete the expansion programme The First National Seed Project became effective in October 1976 and the banking plan for financing the processing plants was finalised and communicated to all concerned

H Horticulture Project (Himachal Pradesh)

5 20 ARDC has sanctioned schemes in 10 centres for grading and packing houses The Himachal Pradesh Processing and Marketing Committee has already imported machinery required for two grading and packing houses and construction work at one of the centres is expected to be completed by August 1977

I Cotton Development Project

5 21 Under the integrated cotton development project, ARDC had sanctioned Rs 4 2 crores as short term loans for growing improved varieties of cotton in the selected areas of Maharashtra, Punjab and Haryana for the kharif season 1976-77. The disbursement under these short term credit limits was not upto expections but is expected to improve Already, short-term credit limits for Rs 3 5 crores have been sanctioned by ARDC for 1977-78

5 22 Regarding processing component, two study teams have been constituted by ARDC which include technical consultants for preparing feasibility reports in respect of cotton ginning and seed processing plants to be set up in Haryana.

J. Fisheries Project

5 23 The Gujarat Fisheries Project was sanctioned by IDA/IBRD in April 1977. The project envisages an integrated development of fisheries in Gujarat comprising improvement of the fishing harbours at Mangrol and Veraval, improvement of shore facilities and services of these harbours, provision of credit towards establishment of fish processing units, freezing and ice plants and assistance to traditional fishermen

K. Projects in the Pipeline

5 24 The projects in the pipeline include the Second National Seed Project, the Upper Krishna Command Area Development Project in Karnataka and the Orissa medium and minor irrigation and CAD project The States of Orissa, Bihar, Rajasthan, Uttar Pradesh and Karnataka are likely to be covered under the second phase of the National Seed Project. An IDA Mission visited India in April 1977 to appraise the project in which a senior officer of ARDC was also associated A Sectoral Review Mission of the World Bank conducted an extensive survey of Bihar to develop plans and projects for increasing foodgrains production in Bihar under the Eastern Region Foodgrains Project As part of this project, an IDA Mission also appraised the Assam agricultural credit project in which a senior officer of the ARDC was associated as a credit specialist The credit for on-farm development in both the Bihar and Assam projects would be taken up under the second ARDC Credit Project With the sanctioning of a general line of credit to ARDC, which is expected to be replenished every two years, the need for formulating separate statewise IDA-assisted projects for minor irrigation, on-farm development and other diversified lending is being reduced considerably.

PERSPECTIVE

It was mentioned in the last annual report that the Corporation had reviewed its earlier perspective lending programme of about Rs. 900 crores during the Fifth Plan and stepped it up to Rs. 1025 crores. The revised perspective lending programme and the achievements during the first three years of the Fifth Plan are given in the following table

TABLE 11

PERSPECTIVE PROGRAMME

(Rs Crores)

Year (April-March)	Original Programme	Revised Programme	Refinance disbursed	
			Financial year (April-March)	Accounting year (July-June)
1974-75 .	101 (actual)	120	101	106
1975-76 . .	140	140	155	171
1976-77 . .	185	220	210	221
1977-78 . .	216	260		
1978-79 . .	238	285		
	880	1025		

6 2 The projected disbursements are considered realistic IDA commitment of funds under the Second ARDC Credit Project is also on the basis of the programme worked out by the Corporation. The emphasis in the lending programme during the next few years will continue to be on minor irrigation The schemes are quick yielding in character and will benefit a large number of small and marginal farmers and other weaker sections of the rural community There is still considerable groundwater potential for exploitation especially in the Central, Eastern and North-Eastern regions The Eastern Region Foodgrains Project being prepared under IDA auspices is specifically designed to exploit that potential The further liberalisation of the scheme for providing refinance against loans given to State Electricity Boards for energisation of pumpsets will enable the farmers to realise quickly the benefits from minor irrigation sources. In other areas where groundwater exploitation is already high, measures designed to promote better water management are being encouraged. Where scope for surface water irrigation exists, as in Maharashtra, lift irrigation units are being promoted At the same time, effective control over further exploitation of potential in problem areas is imperative and this should underline the need for an effective form of state control including legal enactments over the use of groundwater resources The Central Groundwater Board had already identified such areas where greater care is to be exercised in promoting further groundwater development The Corporation does not sanction schemes in these areas unless the State Groundwater Directorates carry out detailed studies to establish availability of further potential.

6.3 Attention of the Corporation will continue to be devoted in the coming years to meeting the credit needs of the small and marginal farmers and other weaker sections of the community. The Corporation is committed to ensuring that at least 50 per cent of its disbursements reach small farmers

6 4 The increasing volume and complexity of the operations of the Corporation necessitate periodical review of its organisational set up and method of working. The recommendations made in this regard by the first Review Committee set up in 1973 have been implemented. Further development of business since then has necessitated a fresh review The Corporation, therefore, appointed a second Review Committee to review its organization, procedures and methods of work and to recommend steps necessary to achieve a higher level of performance. The committee has submitted an interim report, on the basis of which action has been initiated already.

FINANCES

The main sources of funds of the Agricultural Refinance and Development Corporation for financing its lending programme during the two years 1975-76 and 1976-77 as well as the trends in the various items during the five years 1972-73 to 1976-77 are presented in the following table .—

TABLE 12
SOURCES OF FUNDS

(Rs Crores)

	1975-76	Per cent of Total	1976-77	Per cent of Total	June 1972-June 1977	Per cent of Total
1 Paid-up share capital and reserves/surplus	6·67	3·6	12·72	5·1	31 67	4·3
2. Special deposits by Reserve Bank of India	0·51	0 3	0·62	0 3	1 96	0·3
3. Borrowings from the Government of India (a) IDA funds	53 47	29 1	90·00	36·5	260·45	35 0
(b) Others	—	—	—	—	3 99	0 5
4. Borrowings from the Reserve Bank of India N. A. C. (LTO) Fund	60·00	32·7	50 00	20 3	203 00	27·3
5. Bonds	38·50	20 9	44·00	17·8	154 00	20 6
6 Repayments by banks	24·59	13 4	48·00	19 4	87·50	11·8
7. Special loan account deposit	—	—	1·52	0·6	1 52	0·2
TOTAL	183 74	100 0	246 86	100·0	744 09	100·0

Share Capital

7 2 During the year the authorised capital of the Corporation was raised to Rs. 50 crores The Agricultural Refinance and Development Corporation issued the sixth series of shares of paid-up value of Rs. 10 crores in September 1976 The guaranteed dividend on the shares was 6.25 per cent At the end of 30 June 1977, the paid-up share capital of the Corporation stood at Rs. 35 crores. The contributions of the various share-holders to the share capital as on 30 June 1977 are as follows :

TABLE 13
CONTRBUTIONS TO SHARE CAPITAL-SOURCES

(Rs. Crores)

	Shares		Per cent of total
	No	Value	
1. Reserve Bank of India .	19126	19 13	54·7
2 Central land development banks . .	6095	6·10	17·4
3 State co-operative banks	2833	2 83	8·1
4. Scheduled commercial bakns	6231	6·23	17·7
5 Life Insurance Corporation of India .	343	0·34	1·0
6. Other insurance and investment companies .	372	0 37	1·1
TOTAL	35000	35 00	100 0

Borrowings from Government of India

7 3 During 1976-77, ARDC had borrowed Rs 90 crores from the Government of India and these were by way of reimbursement of amounts disbursed under World Bank aided projects At the end of June 1977, ARDC's total borrowings from the Government of India aggregated Rs 340 1 crores.

Market Borrowings

7 4 Open market borrowings are being resorted to by ARDC periodically for raising adequate resources for fulfilling its commitments During the year, ARDC issued the XI and XII series of bonds for an aggregate sum of Rs 44 crores (including 10 per cent excess subscriptions allowed to be retained), these 10 years bonds were issued at a discount of Rs 99 and carried an interest rate of 6 per cent per annum. At the end of June 1977 the total market borrowings of ARDC stood at Rs 181 71 crores. The following table shows the amounts received from various subscribers for the two series issued during the year and the aggregate contributions for the pervious issues.

TABLE 14
SUBSCRIPTIONS TO BONDS

(Rs. Crores)

Subscribers	I to X	XI	XII	Total
1. State Bank of India and subsidiaries	29 15	1·49	8·49	39·13
2. Nationalised banks	56 56	4 40	8 60	69 56
3 Other commercial banks .	8·73	0 81	1·34	10 88
4 Life Insurance Corporation of India .	1·30	0·15	0·25	1·70
5. Other insurance and investment companies	0·96	0·23	0·15	1·34
6 Co-operative banks .	40 21	9 40	8 66	58·27
7. Others .	0 80	0 02	0 01	0·83
TOTAL	137·71	16 50	27·50	181·71

Borrowings from the Reserve Bank

7 5 Reserve Bank of India sanctioned during the year a credit limit of Rs. 50 crores for drawals from the National Agricultural Credit (Long-term Operations) Fund and this was fully utilised After allowing for the repayment of Rs 15.8 crores under the earlier loans the balance due to the Reserve Bank of India amounted to Rs 172.6 crores at the end of June 1977.

7 6 ARDC was also granted a limit of Rs 10 crores by the Reserve Bank of India as short-term loan At the end of June 1977 there was no outstanding borrowing on this account

Repayments

7.7 Repayment by the member-banks amounted to Rs. 48 crores during 1976-77 as against Rs 24 59 crores during the previous year The agency-wise break-up of the aggregate repayments of Rs 92.78 crores at the end of 30 June 1977 is as follows :

TABLE 15
REPAYMENT OF REFINANCE

(Rs Crores)

Agency	ARDC schemes	IDA—assisted schemes	Total
1. Scheduled commercial banks . .	25 89	9·56	35 45
2. State land development banks	17·79	33·10	50·89
3. State co-operative banks	6 44	—	6·44
TOTAL .	50·12	42 66	92·78

7.8 During the year 13 more banks including 12 Regional Rural Banks were admitted as members of ARDC

General Insurance Corporation of India, Oriental Fire and General Insurance Company and National Insurance Company Limited also became shareholders.

7.9 Narang Bank of India ceased to be a member of ARDC consequent on its merger with the United Bank of India The total membership of the Corporation as on 30 June 1977 stood at 129 as against 114 at the end of June 1976

Board of Directors

7.10 The Board of Directors met 7 times during the year

7.11 Shri P C D Nambiar, Managing Director (since appointed as Chairman, State Bank of India) and Veershetty Kushnoor, Director, Karnataka State Co-operative Apex Bank Limited were elected as Directors in terms of Sections 10(f) and (e) of the ARDC Act 1963 vice Shri T R Varadachary and Shri M R Patel respectively Shri B S Vishwanathan, Director, Karnataka State Co-operative Land Development Bank Limited was re-elected as Director of ARDC under Section 10(d) of the ARDC Act, 1963

7.12 Consequent on retirement of Dr C D Datey, Executive Director, Reserve Bank of India nominated to ARDC Board Dr A K Banerji under Section 10(b) of ARDC Act, 1963 Shri K Madhava Das, Executive Director, has since been nominated by Reserve Bank of India vice Dr A K Banerji

7.13 The Board places on record their appreciation of the valuable services rendered by Dr C D Datey, Dr A K. Banerji, Shri T R Varadachary and Shri M R Patel

Use of Hindi

7.14 ARDC has been represented on the Official Languages Implementation Committee of the RBI to popularise the use of Hindi in the day to-day working of ARDC All letters received in Hindi are being answered simultaneously in English and Hindi ARDC's annual report is published both in English and Hindi ARDC is associating itself with the steps taken by the Reserve Bank of India for popularising the use of Hindi and providing training facilities in Hindi for members of the staff

Profits

7.15 The net profits of the Corporation during the year 1976 77 available for appropriation amounted to Rs 248 54 lakhs after providing a sum of Rs 196 50 lakhs towards special reserve being 25 per cent of the current profits as permissible under the Income Tax Act, 1961 The Directors recommend appropriation of the profits as under

	Rs lakhs
Transfer to Reserve Fund	75 15
Dividend on shares	173 39
	248 54

On behalf of the Directors

R K. HAZARI
Chairman

23 August 1977

APPENDIX

Second Agricultural Refinance and Development Corporation Credit Project

The Second Agricultural Refinance and Development Corporation Credit Project was negotiated in April 1977 by the Government of India (GOI) and the Agricultural Refinance and Development Corporation (ARDC) with the International Development Association (IDA), an affiliate of the World Bank, for a credit of $200 million The Project is a two-year programme of lending (Closing Date is 31 December 1979) in minor irrigation and other diversified agricultural investments by commercial and co-operative banks with refinance assistance from ARDC The Credit is a continuation, by and large, of the First Line of Credit (ARDC I) negotiated in February 1975, the disbursement under which was completed in June 1977 The new Credit has become effective from 24 August 1977 and will ensure continuity in financing of investments undertaken under the First Project ARDC will be reimbursed by IDA at 55 per cent of the refinance provided by it to the member banks

The balance of programmes in the on going schemes under the First Line of Credit and fresh schemes satisfying the lending terms and conditions stipulated would qualify for financial assistance under the project As in the First Line of Credit, the appraisal of individual investment proposals emanating from the various states for agricultural development will be done by ARDC The main components of the project are described below

(*i*) Two-year programme to finance investments by beneficiaries in minor irrigation and other agricultural projects A Credit of $175 million has been allocated by IDA for reimbursement of loans under minor irrigation category (including on-farm development) and $24 million for diversified investments other than minor irrigation

(*ii*) A Credit of $1 million has been earmarked for continuation of training programmes initiated under the First ARDC Credit for the training of senior and middle level staff of LDBs, commercial banks and other agencies connected with project implementation and training of junior level LDB staff

ARDC will have discretion to undertake refinancing in areas where investments by farmers through institutional support are considered necessary and feasible Consequently, ARDC will be able to extend refinance facilities to areas and purposes where specific IDA credits have not been sanctioned so far In areas where specific IDA credits are in operation ARDC would be able to continue refinancing for the same purposes after the earlier credits have been completed The other features of the project are set forth in the following paragraphs

I Beneficiary

"Beneficiary" has been defined as any person, group of persons, co operative society, corporation or other entity which is eligible for receiving a loan from a participating bank under the project

II Banks eligible to participate

The state land development banks, their branches and primary land development banks, state co-operative banks and scheduled commercial banks are eligible to participate in the project Under the First Line of Credit, only $0 5 million credit was available for financing the state co operative banks This restriction on the refinance to be provided to the state co operative banks by ARDC has been removed under the Second ARDC Credit Project provided that such banks have achieved a recovery performance of not less than 65 per cent of demand

The participating banks will have to observe technical standards and financial disciplines stipulated in the Project Agreement, maintain separate books of accounts for project lending, including separate accounts for lendings to small farmers and also submit to IDA audited accounts annually together with a statement of project lending certified by ARDC

III Minor Irrigation

(A) *Eligible purposes*

The term "minor irrigation" would include open dug-wells, shallow tubewells, pumpsets whether electric or diesel, persian wheels deep tubewells, lift irrigation units, etc The funds provided to the SEBs for energization of pumpsets would, however, not be reimbursable from IDA under the project (but would be refinanced by ARDC under its existing scheme till 30 June 1979) To obtain maximum benefits from minor or surface irrigation farmers would be granted loans for on-farm development such as land levelling, bunding, field drainage, etc

(B) *Terms of lending*

(a) *Small farmer*—The definition of the term "small farmer" would be the same as was agreed upon in the First

ARDC Credit Project Farmer cultivating land providing a pre development 'net return to family resources' to such farmer and his family not exceeding Rs 2,000 per annum based on the 1972 prices would be classified as a small farmer. There is also a provision for adjusting this income limit for subsequent price increases by applying the Agricultural Labourers' Consumers' Price Index for the state concerned For purposes of determining the 'net return to family resources' land shall include all lands actually cultivated by the farmers notwithstanding the fact that the ownership of such land may vest in one or more persons The 'net return to family resources' has been defined as gross family income from the land, less costs actually incurred (including cash value of the farmer's own input, including seed, fertilizer, hired human labour, hired bullock labour, feed consumed by family bullocks, irrigation charges, land revenue, interest on crop loan and rent on leased land)

ARDC has already advised the banks of the norms for classifying small farmers on the basis of the above definition applicable to all schemes sanctioned by ARDC except in respect of schemes sanctioned under the aegis of SFD/MFAL agencies IDA is agreeable to reimburse under this project advances involving capital subsidy such as SFD/MFAL schemes (Please see item E below).

As in the First Credit the ARDC is committed to providing at least 50 per cent of the Credit viz., $100 million for financing the investment needs of small farmers as defined above

(b) *Downpayment*—As at present the cultivator will have to contribute in own labour and other contributions in cash or kind a part of the investment cost For this purpose, the beneficiaries have been categorised into 3 groups; (i) small farmers as defined above, (ii) farmers with a pre-development net return to family resources ranging between Rs 2001 and Rs 3500@, and (iii) other farmers i.e., those with a pre-development net return of Rs. 3501@ and above In the case of LDBs the farmer's contribution will also include the obligatory purchase of LDB's shares The stipulations for down payment are as follows

Category of farmers	Percentage of investment cost	
	Pumpsets	Other minor irrigation investments (including on-farm development)
(1) Small farmers	5	5
(2) Farmers in category (ii)	10*	10*
(3) Other farmers	10*	15*

* 7 per cent for two or more farmers in a group loan.
* 10 per cent for two or more farmers in a group loan.
@At 1972 prices

(c) *Maturity period of loans*—The period of loan to the beneficiaries under the project would be based on their repayment capacity but shall not exceed the following periods

	Small farmers	Others
(i) Pumpsets whether financed as separate loan or included in other minor irrigation loans	7 years	7 years
(ii) For other minor irrigation and on-farm development loans	15 years	9 years

Suitable grace periods not exceeding 23 months from the date of first instalment of the loans except in exceptional circumstances, may be granted at the discretion of *ARDC*, provided that the repayment periods of such loans are not exceeded

(d) *Repayment of refinance*—The participating banks are required to repay the refinance availed of from the Corporation in instalments set to coincide approximately with collections from ultimate borrowers In the case of LDBs, this will imply annual redemption of a part of the special development debentures

(e) *Technical discipline*—The participating banks have to ensure that the criteria for well spacing and density of wells as laid down in the Project Agreement are observed in regard to minor irrigation works In respect of lift irrigation schemes, a careful determination of water availability would have to be made In evaluating water supply, attention should be given to net depletion resulting from recent and future groundwater developments and the effect this will have on the base flow of the stream In the problem areas as identified by ARDC and the Central Groundwater Board, a list of which has already been circulated to the SGDs and banks, no financing for minor irrigation units will be done unless the concerned state governments have either instituted acceptable controls over the sinking of new wells or have carried out further studies proving that there is no longer a problem in those areas Such areas could, at the discretion of ARDC, be removed from the list of problem areas

The LDBs and its PLDBs participating in this project are required to apply the same lending terms and criteria for all their similar lendings outside the project The participating commercial banks are required to apply in areas of Project lending the same criteria to all similar types of lending that the apply to Project lending, and, with respect to such similar types of lendings, shall not offer more favourable terms in such areas than are offered under Project lending

(f) *Overdues criteria*—From 1 July 1975, ARDC and RBI have been applying uniform overdues criteria for regulating the ordinary and special development debentures of LDBs. In terms of this, till 30 September 1978, all refinancing made available by ARDC in any fiscal year to a LDB for lending through a branch of such LDB or to a PLDB will be proportionate to the percentage of recovery of principal and interest on loans which had fallen due on 30 June of the preceding fiscal year or December 31 of the current fiscal year of such LDB or PLDB. The eligible lending programme is as follows :

Overdues (Percent of demand)	*Maximum loans to be issued (Per cent of base level derived)*
0—25	Unrestricted
26—35	80
36—45	70
46—55	60
56—60	50
61—100	nil

*Base level represents average of loans issued during preceding 3 years or issued during preceding year whichever is higher.

ARDC may take into account the redeemable share capital paid in by the state government to reduce such overdues upto an amount not exceeding 10 per cent of the demand In order to ensure that the recovery performance achieved in a particular year is at least maintained, a penal clause will be enforced denying the banks any assistance in the subsequent year when the recovery rate falls below that achieved during the previous year.

Beginning from 1 October 1978 or such other date as the IDA may agree the branches of LDBs and PLDBs should reach a cash recovery level of 65 per cent of demand each year which together with the state government's contribution to share capital upto 10 per cent of demand should raise the effective recovery rate to not less than 75 per cent of demand

In the case of banks which shown improvement of at least 5 per cent in recoveries over the previous year (but not sufficient to reach the next level on the scale), the PLDBs/branches would be given their normal eligibility percentage plus 5 percentage points

In the case of state co-operative banks, their affiliated central banks and branches, the cash recovery level should be at least 65 per cent of the demand which together with the state government's contribution to share capital (not exceeding 10 per cent of demand) should not be less than 75 per cent of demand

(g) *Security for refinance*—The security for the loans given by the banks and for refinance to be provided by ARDC will be determined by ARDC for each scheme

(h) *Interest rates*—The rate of interest to be charged by ARDC on refinance as well as the rate to be charged by the participating banks to the ultimate borrowers under the project will be laid down by ARDC in the sanction letters For the present the rate of refinance will be 7.5 per cent

per annum for minor irrigation and on-farm development schemes and the banks are expected to charge the ultimate borrowers a rate of interest of 10 5 per cent per annum. In addition, the participating banks would be allowed to levy a once-and-for-all evaluation fee of 0 5 per cent of the cost of investment.

(i) *Maintenance of accounts*—The participating banks should maintain separate accounts for project lending and also lendings to small farmers and should submit their annual audited amounts to the IDA through ARDC within 4 months after the close of their fiscal year together with a statement of project lending certified by ARDC

(C) *Co-ordination between ordinary and special development debentures programme*

The Government of India is required to ensure that the criteria for issuance of ordinary debentures by the LDBs are as nearly as feasible, the same as those set out under the project. For the purpose a Debenture Norms Committee constituted under the First Credit Project will continue to function during the period of this project also.

(D) *Study of interest spreads*

The Government of India will cause to be carried out a study of interest rate spreads in the agricultural lending sector in India, with particular reference to the needs of LDBs by 31 March 1978 or such other date as the IDA may agree.

(E) *SFDA Schemes*

So far, the SFDA schemes were not eligible for financing under IDA programmmes since the beneficiaries under these schemes were recipients of capital subsidy Due to the continued efforts of GOI and ARDC the beneficiaries under SFDA and similar schemes would now be eligible for refinancing under the Second ARDC Credit Project and other IDA Projects provided that :

(a) Channelling of subsidy funds to eligible farmers was through the banking system, and

(b) The banks employ suitable field supervision and auditing procedures to ensure that the farmer criteria are observed and funds allocated within ARDC—financed schemes administered efficiently and fairly

In these schemes, the SFDA definition of small farmer beneficiaries would be applicable However, in the cases where the ARDC definition of small farmers results in lower acreage criteria than the SFDA definition, the ARDC definition would be applicable

IV *Diversified purposes*

(a) *Eligible purposes*—The purposes eligible under diversified lending would include dairy, poultry, fisheries, horticulture, plantations, etc The purposes are flexible except that the funds provided for tractors would not be eligible for reimbursement from IDA Schemes for diversified purposes each having investment cost of $ 0 5 million equivalent and over and loans for storage and marketing facilities would require the prior approval of IDA.

(b) *Terms of lending*—The beneficiaries for the purpose of diversified lending have also been classified under the same 3 categories as in the case of minor irrigation category for purposes of downpayment. In regard to the diversified lending, a 'small farmer beneficiary' has been defined as "any person primarily engaged in an activity other than minor irrigation which provides a pre-development net return to family resources not exceeding Rs. 2,000" at 1972 prices.

(c) *Downpayment*—The contribution of the small farmers, farmers having pre-development net income ranging between Rs 2001* and Rs 3500* and other farmers having pre-development net income above 'Rs 3501* would be 5, 10 and 15 per cent respectively of the investment cost In the case of "medium" category of farmers the downpayment would be 7 per cent if there are two or more farmers in a group loan and in the case of other farmers their contributions would be 10 per cent of the cost of investment for two or more farmers in a group loan. The farmer's contribution would include obligatory purchase of LDB's share, own labour and other contributions in cash or kind

*At 1972 prices

(d) *Maturity period*—The repayment period of the loans be based on the ultimate borrowers' repayment capacity but should not exceed 15 years including grace periods, wherever allowed

(e) *Interest rates*—The rate of interest to be charged by ARDC for diversified purposes on the refinance provided by ARDC as well as the rate to be charged by the financing institutions to the ultimate borrowers under the project will be laid down by ARDC in the relative sanction letters. For the present, the rate of refinance would be 8 per cent per annum and the banks are expected to charge to the ultimate borrowers 11 per cent per annum In addition the bank can also levy a once-and-for-all evaluation fee of 0 5 per cent of the cost of investment.

(f) *Financial Rate of Return*—ARDC would insist on sound projects which on the basis of careful study are considered to be financially viable and have a minimum financial rate of return of 15 per cent and backed with satisfactory technical and administrative management

V *Study and training*

(a) *Studies*—ARDC would, not later than December 1978 or such other dates as the IDA may agree, conduct a survey of estimated pumpset replacement requirement in India during the next 5 years, the purpose of such survey being to assess the magnitude of such replacement and to recommend the most appropriate means of financing them.

(b) ARDC is also expected to complete before December 1978 a study on a sample basis of the possible groundwater over-exploitation areas for the purpose of collecting accurate data on the extent of investment from different resources taking place in areas identified as problem areas

(c) *Training*—The training programme for senior and middle level staff of LDBs, participating commercial banks and other agencies connected with project implementation which is going on in the College of Agricultural Banking, Pune in term of First ARDC Credit Project will be continued under the Second ARDC Credit Project The training of junior level LDB staff will also be continued A credit of $ 1 million has been earmarked by IDA for carrying out the training programme under the project

EXPLANATORY NOTES

1. The amounts have been rounded off to the nearest lakhs of rupees
2. The following symbols/abbreviations have been used in the Statements

Symbols @ Latest available data
— Nil or negligible

Abbreviations

Purpose :	MI	= Minor irrigation
	LD	= Land development/Reclamation/Soil conservation/Command area development
	FM/ASC	= Farm mechanization/Agro-service centres
	P/H	= Plantation/Horticulture
	P/SB	= Poultry/Sheep breeding
	F/	= Fisheries
	DD	= Dairy development
	S & M	= Storage & Market yards
	FR	= Forestry
	AA	= Agricultural aviation
	ICDP	= Integrated cotton development project
	GG	= Gobbar gas
Agency :	1 SLDB	State Land Development Bank
	2. Com Banks	= Scheduled Commercial Banks
	3 SCB	= State Co-operative Bank

STATEMENT 1

TRENDS IN AVAILMENT OF REFINANCE IN RELATION TO COMMITMENTS

Rs lakhs

Year (July-June)	No. of schemes sanctioned at the end of the year	ARDC Commitment as phased		Disbursement		Disbursement as percentage of Commitment	
		During the year	Upto the end of the year	During the year	Upto the end of the year	During the year	Upto the end of the year
1963-64	3	—	—	—	—	—	—
1964-65	13	447	447	45	45	10 1	10·1
1965-66	36	828	873	445	490	53·7	56·1
1966-67	42	940	1430	208	698	22·1	48 8
1967-68	128	1850	2548	567	1265	30·6	49·6
1968-69	233	4594	5859	1784	3049	38 8	52 0
1969-70	371	6166	9215	2860	5909	46 4	64·1
1970-71	458	6658	12567	3062	8971	46 0	71 4
1971-72	711	8633	17604	3498	12469	40·5	70 8
1972-73	923	16671	29140	9414	21883	56·5	75·1
1973-74	1457	18820	43556	9784	31667	52 0	72 7
1974-75	2053	18754	60873	10640	42307	56 8	69·5
1975-76	2905	29652	84778	17115	59420	57 7	70·1
1976-77	4487	38062	109005	22082	81502	58 0	74 8

STATEMENT 2

SANCTIONS DURING 1976-77—PURPOSEWISE

Rs lakhs

Purpose	No of schemes	Financial assistance	ARDC commitment	Commitment of State Governments banks
Minor irrigation	657	20315	17752	2563
Land development/Reclamation/Soil conservation/Command area development	193	3375	2711	664
Farm machanization/ Agro-service centres	227	4895	3704	1191
Plantation/Horticulture	103	1641	1303	338
Poultry/Sheep breeding	53	400	316	84
Fisheries	48	421	343	78
Dairy development	157	1571	1220	351
Storage & Market yards	190	3096	2522	574
Others				
Agricultural aviation	1	30	23	7
Integrated cotton development project	14	745	575	170
Forestry	9	299	244	55
Gobar gas	1	2	2	—
TOTAL	1653	36790	30715	6075

STATEMENT 3

SANCTIONS DURING 1976-77—REGIONWISE AND STATEWISE

Rs lakhs

Region/State/Union Territory	No of schemes	Financial assistance	ARDC commitment	Commitment of State Governments/Banks
I. *NORTHERN REGION*				
Haryana	93	3861	3057	804
Himachal Pradesh	13	251	219	32
Jammu & Kashmir	2	25	18	7
Punjab	59	2074	1635	439
Rajasthan	69	2629	2139	490
	236	8840	7068	1772
II. *NORTH-EASTERN REGION*				
Assam	15	115	103	12
Manipur	1	4	3	1
Meghalaya	3	60	53	7
Nagaland	1	3	2	1
Tripura	2	50	40	10
	22	232	201	31

III *EASTERN REGION*				
Bihar	101	3195	2863	332
Orissa	79	2481	2230	251
West Bengal	52	1546	1389	157
	232	7222	6482	740
IV. *CENTRAL REGION*				
Madhya Pradesh	118	2305	1940	365
Uttar Pradesh	269	2210	1766	444
	387	4515	3706	809
V. *WESTERN REGION*				
Goa	7	127	100	27
Gujarat	87	1793	1489	304
Maharashtra	242	4027	3177	850
	336	5947	4766	1181
VI. *SOUTHERN REGION*				
Andhra Pradesh	118	2790	2334	456
Karnataka	197	4381	3843	538
Kerala	43	1606	1280	326
Tamil Nadu	82	1257	1035	222
	440	10034	8492	1542
TOTAL (I to VI)	1653	36790	30715	6075

STATEMENT 4

SANCTIONS DURING 1976-77—AGENCYWISE

Rs lakhs

Agency	No of schemes	Financial assistance	ARDC commitment	Commitment of State Governments/ Banks
State Land Development Banks	528	16130 (43 8)	14088 (45·9)	2042
Scheduled Commercial Banks	1105	19419 (52·8)	15611 (50·8)	3808
State Co-operative Banks	20	1241 (3·4)	1016 (3 3)	225
TOTAL	1653	36790 (100 0)	30715 (100·0)	6075

Figures in parenthesised are percentages of total.

STATEMENT 5

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1977—PURPOSEWISE

Rs lakhs

Purpose	No of schemes	Financial assistance	ARDC commitment	Commitment of State Governments/Banks	Disbursement
Minor irrigation	2175	112224	100102	12122	58830
Land development/Reclamation/Soil conservation/ Command area development	309	16180	12775	3405	4063
Farm mechanization/Agro-service centres	711	21730	16575	5155	11665
Plantation/Horticulture	385	7454	5771	1683	2165
Poultry/Sheep breeding	124	812	666	146	232
Fisheries	168	2395	1837	558	902
Dairy development	325	3678	3003	675	953
Storage & Market yards	272	6328	5367	961	2652
Others :					
Agricultural aviation	3	53	40	13	17
Forestry	12	465	360	105	18
Integrated cotton development project	2	5	5	—	5
Gobar gas	1	2	2	—	—
TOTAL	4487	171326	146503	24823	81502

STATEMENT 6

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1977 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State/Union Territoy	Agency Code	Purpose	No of schemes	Total financial assistance	ARDC Commitment			Disbursement	
					Total	Phasing		During 1976-77	Upto 30 June 1977
						Upto 1976-77	During 1976-77		
I NORTHERN REGION									
Delhi	2	FM	3	115	93	82	15	7	53
		P	1	20	16	16	—	—	—
		DD	4	22	20	20	15	3	5
	3	P	1	12	12	12	12	—	6
			9	169	141	130	42	10	64
Haryana	1	MI	39	6304	5673	5259	1188	544	3669
		LD	5	383	307	226	66	24	56
		FM	5	1183	887	736	317	264	707
		P/H	2	54	40	40	—	—	30
		DD	1	51	38	38	24	—	—
	2	MI	54	4153	3380	2181	600	410	1652
		LD	14	145	115	59	59	—	—
		FM	44	1475	1106	1038	518	380	937
		P	3	21	20	15	6	3	5
		SB	1	2	1	1	1	—	—
		DD	9	88	76	55	19	3	35
		S & M	22	259	206	206	206	139	139
		AA	1	30	23	23	23	—	—
		ICDP	1	3	3	3	3	3	3
	3	DD	1	20	15	15	—	—	15
		S & M	4	267	262	262	—	—	243
			206	14438	12152	10157	3030	1770	7491
Himachal Pradesh	1	MI	1	20	18	5	5	—	—
		P/H	2	78	58	29	16	2	13
	2	FM	1	14	11	11	—	—	11
		P/H	10	178	160	—	—	—	—
		P	1	6	6	6	2	—	—
		DD	3	25	23	18	7	—	4
			18	321	276	69	30	2	28
Jammu & Kashmir	1	LD	1	8	7	7	—	—	—
		FM	1	34	26	21	9	6	16
		P/H	3	130	97	94	3	—	78
	2	LD	1	3	2	1	1	—	—
		FM	2	37	29	17	10	—	—
		DD	1	7	7	4	3	—	—
			9	219	168	144	26	6	94
Punjab	1	MI	32	3131	2837	2803	59	131	2590
		LD	14	892	733	552	134	90	309
		FM	3	1310	982	982	544	322	750
		P/H	2	187	141	141	—	—	—
	2	MI	19	1597	1282	823	269	115	426
		LD	3	184	144	35	27	—	—
		FM	40	3139	2349	2289	1398	992	1867
		P	1	1	1	1	—	—	—
		DD	21	225	202	168	82	23	75
		S & M	26	343	274	265	168	54	101
		ICDP	1	2	2	2	2	2	2
	3	FM	1	18	16	16	—	2	16
		DD	4	108	88	88	—	—	—
		S & M	4	747	730	730	—	—	651
			171	11884	9781	8895	2683	1731	6787

STATEMENT 6 (*Contd*)

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1977 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs lakhs

Region/State/Union Territory	Agency Code	Purpose	No of schemes	Total financial assistance	ARDC Commitment			Disbursement	
					Total	Phasing		During 1976-77	Upto 30 June 1977
						Upto 1976-77	During 1976-77		
Rajasthan	1	MI	82	3696	3434	2444	790	318	1346
		LD	5	480	360	352	21	6	19
		P/H	1	39	29	25	2	3	18
	2	MI	28	865	702	474	166	79	286
		CAD	18	3899	3094	715	554	174	189
		FM	19	637	483	372	165	95	274
		ASC	2	39	29	25	13	2	11
		P	2	14	10	7	3	—	—
		DD	13	193	156	51	47	18	22
		S & M	25	659	525	443	288	92	176
			195	10521	8822	4908	2049	787	2341
			608	37552	31340	24303	7860	4306	16805
II. NORTH-EASTERN REGION									
Assam	1	P/H	1	5	4	3	1	—	—
	2	MI	7	184	168	125	73	12	15
		FM	1	6	5	2	2	3	3
		P/H	12	240	210	180	45	37	173
		DD	4	25	23	12	9	2	3
		S & M	6	46	41	32	22	16	16
			31	506	451	354	152	70	210
Manipur	2	MI	1	4	3	1	1	—	—
		FM	1	41	37	17	5	8	13
			2	45	40	18	6	8	13
Meghalaya	2	P/H	2	11	10	—	—	—	—
		P	2	5	5	—	—	—	—
		FR	1	49	44	20	20	—	—
			5	65	59	20	20	—	—
Nagaland	2	S & M	1	3	2	2	2	1	2
	3	LD	1	30	30	30	10	2	11
			2	33	32	32	12	3	13
Tripura	2	MI	3	18	16	5	5	2	2
		P/H	1	5	5	3	2	—	1
		FR	2	50	40	—	—	—	—
			6	73	61	8	7	2	3
			46	722	643	432	197	83	239
III. EASTERN REGION									
Bihar	1	MI	19	4997	4498	3194	728	702	2683
		LD	1	112	84	84	—	—	84
		FM	2	142	128	84	44	60	60
		P/H	1	14	11	6	3	2	3
		F	1	46	41	—	—	—	—
	2	MI	108	4684	4188	3262	1203	656	1296
		FM	17	643	556	366	165	82	324
		DD	2	12	11	2	2	—	—
		S & M	38	1189	1065	751	500	179	463
		FR	3	166	116	65	29	15	15
	3	DD	2	70	53	53	—	—	10
			194	12075	10751	7867	2674	1696	4938

STATEMENT 6 (*Contd*)

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1977 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs lakhs

Region/State/Union Territory	Agency Code	Purpose	No of schemes	Total financial assistance	ARDC Commitment			Disbursement	
					Total	Phasing		During 1976-77	Upto 30 June 1977
						Upto 1976-77	During 1976-77		
Orissa	1	MI	54	3277	2941	1680	1170	320	436
		LD	7	115	91	68	23	7	31
		FM	1	80	60	60	10	3	15
		P/H	9	263	208	117	30	27	75
	2	MI	78	2087	1833	1520	1006	127	379
		LD	4	97	81	79	19	6	15
		FM	1	25	20	20	6	1	10
		P/H	6	47	44	10	8	—	1
		F	1	39	35	22	15	—	—
		DD	1	9	8	5	2	—	—
		S & M	5	38	32	15	15	2	2
	3	MI	14	581	523	262	262	72	72
		F	1	39	35	22	15	—	—
		DD	1	19	18	18	7	—	—
			183	6716	5979	3898	2588	565	1036
West Bengal	1	MI	39	1543	1394	869	402	279	451
		FM	1	28	25	11	6	—	—
		P/H	7	108	96	40	20	2	7
	2	MI	43	1167	1049	444	357	283	321
		FM	5	86	78	70	25	10	35
		P/H	5	40	36	29	4	6	29
		F	3	41	37	9	7	—	2
		DD	3	19	18	15	4	3	7
		S & M	8	142	120	94	73	7	7
			114	3174	2853	1581	898	590	859
			491	21965	19583	13346	6160	2851	6833
IV CENTRAL REGION									
Madhya Pradesh	1	MI	103	6940	6257	5702	3741	1521	4315
		LD	3	166	125	125	4	14	30
		FM	3	246	184	103	29	—	72
		P/H	2	31	23	14	14	—	—
	2	MI	138	4186	3740	3705	3529	882	2221
		FM	24	980	757	573	234	133	392
		ASC	88	76	59	59	13	20	35
		P/H	1	2	2	—	—	—	—
		DD	14	182	149	38	28	1	1
		S & M	30	303	242	210	194	25	25
		FR	6	200	160	60	60	3	3
		GG	1	2	2	—	—	—	—
	3	S & M	1	27	20	11	11	11	11
			414	13341	11720	10600	7857	2610	7105
Uttar Pradesh	1	MI	146	16464	14892	11169	2405	2003	8307
		LD	9	68	54	31	22	—	—
		CAD	91	309	275	99	99	—	—
		P/H	8	182	137	90	23	6	22
	2	MI	68	1798	1583	1048	270	426	1007
		LD	4	951	709	705	537	28	193
		CAD	42	58	48	16	16	—	—
		FM	194	4102	3149	2807	982	958	2047
		SB	1	3	2	2	1	—	—
		DD	27	393	322	182	93	38	86
		S & M	28	539	411	359	343	261	269
	3	DD	2	64	48	48	—	—	—
		S & M	1	155	155	155	—	—	150
			621	25086	21785	16711	3791	3720	12081
			1035	38427	33505	27311	12648	6330	19186

STATEMENT 6 (*Contd*)

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1977 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs lakhs

Region /State/Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Total financial assistance	ARDC Commitment			Disbursement	
					Total	Phasing		During 1976-77	Upto 30 June 1977
						Upto 1976-77	During 1976-77		
V. WESTERN REGION									
Goa	2	MI	2	20	14	14	11	—	3
		P/H	1	8	6	2	2	—	—
		P	2	5	4	4	2	1	1
		F	23	159	128	90	40	8	29
		DD	1	2	1	1	1	—	—
	3	F	1	40	30	30	4	15	22
			30	234	183	141	60	24	55
Gujarat	1	MI	71	6670	6003	5485	59	112	4525
		FM	1	351	263	263	—	—	233
		P/H	2	30	22	22	—	—	22
		DD	5	141	106	—	—	—	—
	2	MI	25	702	565	395	377	70	77
		FM	33	953	738	655	259	137	443
		ASC	3	43	34	34	14	3	13
		P	2	46	37	12	12	—	—
		F	1	11	9	9	2	2	8
		DD	27	341	285	244	64	58	173
		S & M	12	161	127	127	110	20	38
	3	F	2	198	179	77	65	—	—
		S & M	1	2	2	2	—	—	2
			185	9649	8370	7325	962	402	5534
Maharashtra	1	MI	135	9151	8224	4094	515	1283	6116
		*LD	16	2868	2183	566	—	—	368
		FM	2	271	203	203	—	—	153
		P/H	7	241	198	87	29	12	13
	2	MI	374	3473	2778	1996	845	230	1200
		LD	1	1	1	1	1	—	—
		FM	106	944	725	353	174	211	326
		P/H	4	17	15	11	6	1	1
		P	20	122	96	58	31	26	54
		SB	1	5	4	—	—	—	—
		F	4	51	35	18	11	5	12
		DD	93	874	708	332	119	133	365
		S & M	12	401	319	155	101	22	73
		AA	1	7	5	5	—	—	5
	3	F	5	180	84	84	—	4	82
			781	18606	15578	7963	1832	1928	8768
			996	28489	24131	15429	2854	2354	14357
VI. SOUTHERN REGION									
Andhra Pradesh	1	MI	123	8939	8111	7131	2340	1326	4725
		LD	30	2239	1820	1525	50	39	1348
		FM	4	1128	846	796	564	359	591
		P/H	18	342	257	110	49	12	50
		SB	12	180	140	84	67	3	7
		F	1	188	141	71	71	—	—
		DD	13	250	189	88	75	3	22
		P	1	20	15	8	8	—	—
	2	MI	60	985	840	690	254	92	368
		LD	7	132	100	55	18	—	38
		FM	23	455	345	283	213	159	194
		ASC	4	159	122	87	72	8	21
		P/H	6	7	6	6	2	—	4
		P	38	138	108	100	42	17	55
		SB	10	59	52	39	20	6	21
		F	11	36	28	17	17	14	14
		DD	41	323	273	228	101	56	95
		S & M	5	47	38	31	31	28	28
	3	MI	1	11	9	9	9	—	—
		F	1	60	39	39	—	—	39
			409	15698	13479	11397	4003	2122	7620

*Includes general approval for 8 Schemes for Rs 1843 lakhs.

STATEMENT 6 (*Concld*)

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1977 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State/Union Territory	Agency Code	Purpose	No of schemes	Total financial assistance	ARDC Commitment			Disbursement	
					Total	Phasing		During 1977-76	Upto 30 June 1977
						Upto 1976-77	During 1976-77		
Karnataka	1	MI	155	7327	6593	3412	1768	1181	4225
		LD	14	1143	864	864	—	32	564
		FM	4	668	501	491	32	145	450
		P/H	32	1161	871	812	35	173	631
	2	MI	33	587	516	474	107	97	188
		LD	5	89	66	66	—	—	3
		FM	45	1210	910	874	270	396	866
		P/H	112	740	600	350	78	39	191
		P	16	48	41	41	6	6	33
		SB	1	4	4	4	—	—	—
		F	19	227	183	166	18	37	118
		DD	6	29	26	19	9	1	1
		S & M	27	650	509	477	168	75	138
	3	P/H	2	36	36	36	—	—	25
		F	2	206	143	143	—	—	137
		S & M	2	132	113	71	—	8	105
			475	14275	11976	8300	2491	2190	7675
Kerala	1	MI	7	283	255	134	88	—	46
		LD	5	110	82	56	—	2	20
		FM	2	50	37	18	18	—	—
		P/H	39	1219	918	354	93	58	258
	2	MI	3	83	70	44	13	19	50
		LD	3	1019	890	203	25	128	278
		FM	3	49	39	39	11	5	25
		P/H	19	137	130	126	2	3	113
		F	48	173	131	95	48	28	64
		DD	9	56	47	30	16	4	7
	3	P	1	22	21	16	5	—	—
		F	3	162	162	162	2	—	56
			142	3363	2782	1277	321	247	917
Pondicherry	2	MI	1	2	1	1	—	—	1
		DD	2	22	11	11	—	—	11
	3	F	2	46	34	34	8	—	15
			5	70	46	46	8	—	27
Tamil Nadu	1	MI	105	6183	5572	4551	629	903	5817
		LD	3	626	470	470	—	—	470
		FM	1	780	585	585	300	331	616
		P/H	26	1144	857	424	111	38	171
	2	MI	4	112	90	78	78	16	16
		LD	2	53	40	40	36	35	38
		FM	14	202	150	150	93	72	77
		ASC	7	11	8	8	3	3	7
		P/H	42	758	544	265	76	94	236
		P	5	28	23	14	—	2	10
		SB	1	13	10	4	4	2	2
		F	37	389	289	286	61	83	258
		DD	15	108	82	82	36	8	16
		S & M	14	218	174	93	93	12	13
		AA	1	16	12	12	—	—	12
	3	SB	1	38	38	38	—	—	38
		F	2	104	74	74	—	—	46
			280	10783	9018	7164	1520	1599	7843
			1311	44171	37301	28184	8343	6158	24082
TOTAL (I to VI)			4487	171326	146503	109005	38062	22082	81502

STATEMENT 7

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1977—AGENCYWISE

Rs lakhs

Agency	No. of schemes	Financial assistance	ARDC commitment	Commitment of State Government/ Banks	Disbursement
State Land Development Banks	1541	106819 (62 3)	93521 (63 9)	13298	57633
Scheduled Commercial Banks	2882	61113 (35·7)	50013 (34 1)	11100	22117
State Co-operative Banks	64	3394 (2·0)	2969 (2 0)	425	1752
TOTAL	4487	171326 (100 0)	146503 (100·0)	24823	81502

Figures in parenthesised italics are percentages of the total.

STATEMENT 8

POSITION OF SCHEMES SANCTIONED AND REFINANCE DISBURSED IN LESS DEVELOPED/ UNDERBANKED STATES

Rs lakhs

Particulars	Schemes sanctioned			Disbursement	Percentage of total disbursement
	No. of schemes	ARDC commitment	Percentage of total commitment		
UTTAR PRADESH					
Upto 1970-71	32	2566	10 3	671	7 5
During 1971-72	33	2784	20 6	604	17 3
„ 1972-73	26	1573	9·1	1143	12·1
„ 1973-74	85	4012	18·2	1498	15 3
„ 1974-75	75	3714	18 2	1849	17 3
„ 1975-76	108	4172	14 1	2598	15 2
„ 1976-77	269	1766	5 7	3720	16 9
As on 30 June 1977	621	21785	13 9	12081	14 8
MADHYA PRADESH					
Upto 1970-71	19	1709	6 9	170	1·9
During 1971-72	14	877	6·5	187	5·3
„ 1972-73	18	1172	6 8	319	3 4
„ 1973-74	122	5484	24 9	645	6·6
„ 1974-75	38	795	3 9	1234	11 6
„ 1975-76	102	1242	4·2	1932	11 3
„ 1976-77	118	1940	6 3	2610	11·8
As on 30 June 1977	414	11720	7 7	7105	8·7
BIHAR					
Upto 1970-71	8	1360	5 5	193	2·2
During 1971-72	1	100	0·7	67	1 9
„ 1972-73	4	113	0·7	154	1·6
„ 1973-74	16	2738	12 4	585	5 9
„ 1974-75	28	2069	10 1	932	8 8
„ 1975-76	36	2313	7·8	1318	7·7
„ 1976-77	101	2863	7 7	1696	7 7
As on 30 June 1977	194	10751	6 9	4938	6 1
ORISSA					
Upto 1970-71	8	155	0 6	27	0 3
During 1971-72	2	80	0 6	8	0·2
„ 1972-73	8	261	1·5	11	0 1
„ 1973-74	5	792	3 6	8	0 1
„ 1974-75	38	1684	8 2	82	0 8
„ 1975-76	53	985	3·3	338	1·9
„ 1976-77	79	2230	6 0	565	2·6
As on 30 June 1977	183	5979	3 7	1036	1·3
WEST BENGAL					
Upto 1970-71	6	160	0 6	13	0 1
During 1971-72	4	30	0·2	5	0 1
„ 1972-73	4	21	0 1	4	0 1
„ 1973-74	12	247	1 1	22	0·2
„ 1974-75	9	127	0·6	69	0·6
„ 1975-76	31	997	3 4	159	0·9
„ 1976-77	52	1389	3 8	590	2·7
As on 30 June 1977	114	2853	1 8	859	1 1

STATEMENT 8 (*Concld.*)

POSITION OF SCHEMES SANCTIONED AND REFINANCE DISBURSED IN LESS DEVELOPED/ UNDERBANKED STATES

Rs lakhs

Particulars	Schemes sanctioned			Disburse-ment	Percentage of total disbursement
	No. of schemes	ARDC commitment	Percentage of total commitment		
RAJASTHAN					
Upto 1970-71	11	697	2 8	161	1·8
During 1971-72	16	977	7·2	83	2·4
,, 1972-73	5	507	2·9	136	1·4
,, 1973-74	20	666	3·0	283	2 9
,, 1974-75	16	851	4·2	350	3·3
,, 1975-76	57	3353	11 3	536	3·3
,, 1976-77	69	2139	5 8	787	3·6
As on 30 June 1977	195	8822	5 6	2341	2 9
Total of all less developed/under banked states* (including above 6 states) As on 30 June 1977	1974	62997	43 0	28721	35·2
Total of all states As on 30 June 1977	4487	146503	100·0	81503	100 0

*Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar Orissa, West Bengal, Rajasthan, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir Assam and other North-Eastern States.

STATEMENT 9

REDUCTION OF INTRA-STATE IMBALANCES—POSITION OF SCHEMES SANCTIONED

Rs lakhs

Name of the State	As on								
	30-6-1971			30-6-1976			30-6-1977		
	No of schemes	ARDC com-mit-ment	Dis-burse-ment	No. of schemes	ARDC com-mit-ment	Dis-burse-ment	No. of schemes	ARDC com-mit-ment	Dis-burse-ment
1. *ANDHRA PRADESH*									
Less developed areas*	44	1800	639	178	6127	2514	249	7259	3207
Entire state	74	3416	1758	294	11385	5500	409	13479	7620
2 *ORISSA*									
Less developed areas*	3	43	—	35	1024	146	61	1621	181
Entire state	8	155	27	110	3853	475	183	5979	1036
3 *UTTAR PRADESH*									
Less developed areas*	10	544	157	112	4878	2587	198	7203	4122
Entire state	32	2566	671	357	18925	8363	621	21785	12081

* *Andhra Pradesh*: Telangana and Rayaleseema areas.

* *Orissa*: Mayurbhanj, Keonjhar, Phulbani, Sundergarh, Koraput and Kalahandi districts.

* *Uttar Pradesh*: Districts in the three Divisions of Faizabad, Gorakhpur and Varanasi.

STATEMENT 10

SCHEMES SANCTIONED UNDER THE AEGIS OF SFD/MFAL AGENCIES AS ON 30 JUNE 1977

Rs. lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency	Purpose	No. of schemes	Total financial assistance	ARDC Commitment			Disbursement	
					Total commitment	Phasing			
						Upto 1976-77	During 1976-77	During 1976-77	Upto 30 June 1977
I *NORTHERN REGION*									
Delhi	Com. Banks	DD	4	22	20	20	15	3	5
Haryana	Com. Banks	DD	3	28	27	27	4	—	23
		P	1	11	11	7	5	1	4
Himachal Pradesh	Com Banks	DD	3	26	23	18	7	—	4
		P	1	6	6	6	2	—	—
Jammu & Kashmir	SLDB	LD	1	6	6	6	—	—	—
	Com. Banks	DD	1	7	7	4	3	—	—
Punjab	SLDB	MI	4	179	179	179	—	21	138
	Com. Banks	MI	1	6	6	3	3	6	6
		DD	19	180	170	143	79	24	53
		P	1	1	1	1	1	—	—
Rajasthan	SLDB	MI	13	635	616	550	63	75	390
	Com. Banks	MI	2	42	38	22	15	7	7
			54	1149	1110	986	197	137	630
II. *NORTH-EASTERN REGION*									
Assam	Com. Banks	MI	4	114	106	89	51	6	9
		P/H	1	7	6	2	2	1	1
		DD	3	23	21	10	7	2	3
Manipur	Com Banks	MI	1	1	1	1	1	—	—
Tripura	Com Banks	MI	2	17	15	5	5	2	2
Meghalaya	Com Banks	P/H	2	11	10	10	10	—	—
		P	2	5	5	—	—	—	—
			15	178	164	117	76	11	15
III *EASTERN REGION*									
Bihar	Com. Banks	MI	1	61	56	45	21	2	21
		DD	1	3	3	—	—	—	—
Orissa	SLDB	MI	3	242	218	177	76	38	43
		LD	1	2	2	—	—	—	—
	Com Banks	MI	2	397	363	239	92	—	12
		LD	1	16	16	16	—	—	3
		P/H	4	22	21	5	3	—	—
		DD	1	5	5	3	1	—	—
	SCB	DD	1	16	16	16	6	—	—
West Bengal	SLDB	MI	7	136	127	90	33	45	80
		P/H	1	9	9	6	1	—	—
	Com Banks	MI	6	67	63	45	12	52	66
		DD	2	15	15	12	4	3	7
			31	991	914	654	249	140	232
IV *CENTRAL REGION*									
Madhya Pradesh	SLDB	MI	10	430	410	247	29	81	161
	Com Banks	MI	2	24	21	21	—	11	1
		DD	4	29	24	10	2	—	—
Uttar Pradesh	SLDB	MI	9	736	736	736	2	—	557
	Com Banks	MI	3	26	25	19	5	7	9
		DD	6	55	52	41	18	10	18
			34	1300	1268	1074	56	109	756
V. *WESTERN REGION*									
Goa	Com. Banks	DD	1	2	1	1	1	—	—
Gujarat	Com. Banks	MI	1	17	15	5	5	—	—
		DD	13	64	62	54	24	14	37
		P	1	5	5	5	5	—	—
Maharashtra	SLDB	MI	19	492	449	265	169	116	158
	Com. Banls	MI	10	114	103	46	46	7	7
		DD	12	118	104	65	56	21	24
			57	812	739	441	306	158	226

STATEMENT 10—(*contd*)

SCHEMES SANCTIONED UNDER THE AEGIS OF SFD/MFAL AGENCIES AS ON 30 JUNE 1977

Rs. lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency	Purpose	No of schemes	Total financial assistance	ARDC Commitment			Disbursement	
					Total commitment	Phasing			
						Upto 1976-77	During 1976-77	During 1976-77	Upto 30 June 1977
VI. SOUTHERN REGION									
Andhra Pradesh	SLDB	MI	14	922	894	677	266	111	364
		LD	4	124	111	—	—	—	—
		SB	3	38	34	21	21	—	—
		DD	1	9	8	5	5	1	1
	Com. Banks	MI	2	20	20	19	8	4	9
		P/H	1	4	4	4	—	—	4
		P	1	2	2	1	1	—	—
		SB	4	29	28	24	15	6	16
		DD	10	95	88	69	26	15	23
	SCB	MI	1	11	9	9	9	—	—
Karnataka	SLDB	MI	3	484	484	465	—	85	429
	Com. Banks	MI	2	54	53	37	—	—	—
		SB	1	4	4	2	—	—	—
Kerala	SLDB	MI	4	37	33	13	13	—	—
	Com Banks	F	1	2	1	1	—	1	1
		DD	2	15	15	15	3	3	3
	SCB	P	1	22	21	16	5	—	—
Pondicherry	Com. Banks	DD	1	9	6	6	—	—	6
Tamil Nadu	SLDB	MI	6	170	161	119	36	2	48
			62	2051	1976	1503	408	228	904
TOTAL (I to VI)			**253**	**6481**	**6171**	**4775**	**1292**	**783**	**2763**

STATEMENT 11

IDA/IBRD PROJECTS—BRIEF DESCRIPTION OF EACH PROJECT

The agricultural credit projects assisted by the World Bank envisage large investments in minor irrigation (such as dugwells, dug-cum-borewells, shallow, medium and deep tubewells, lift irrigation units and installation of pumpsets, laying of pipelines and incidental land levelling), land development and financing the purchase of imported and indigenous tractors, harvesters and combines In the case of other special development projects, the names would indicate the items of development proposed to be undertaken under each of them ARDC Credit Projects I and II are of general nature supporting the lending activities of the Corporation in minor irrigation and other approved diversified purposes such as dairy, poultry, plantations, horticulture, fisheries etc.

Brief particulars of each projects showing the total cost, IDA/IBRD assistance to be routed through the Corporation, agencies implementing the project, outline description of nature of development envisaged and the progress of the projects are given below :—

1. A. ARDC Credit Project I (540 IN)

B Cost of the project—$ 168 5 million—IDA assistance $75 million to be routed through the Corporation.

C. Financing investments in minor irrigation and other diversified agricultural lending in all states in areas not covered by other on-going IDA state-wise projects, training of personnel of institutions associated with the implementation of the project and a study on the feasibility of integration of the short-term long-term and co-operative credit institutions in the country

D State land development banks, scheduled commercial banks and state co-operative bank.

E Two years—closing date 31 December 1977

F At the end of June 1977 the ARDC disbursement under this project aggregated Rs 123 crores which was more than the required amount to draw the entire credit Thus, ARDC could complete the Project 6 months ahead of the closing date. As part of the project a Committee set up in ARDC by the RBI under the Charmanship of Dr Hazari had submitted a report on the feasibility of integration of the short-term and long-term co-operative credit institutions in the country. The report of the Committee is under the active consideration of the Government of India and the various state governments The training programme under this project is being conducted mainly in the College of Agricultural Banking, Pune At the end of June 1977, 29 courses have been conducted in which 834 officials were imparted training A study was also made by a Committee of ARDG on the training requirements of junior-level LDB staff. The training courses for junior-level LDB staff are being conducted by the SLDBs with the active co-operation of ARDC.

2 A. ARDC Credit Project II (715 IN).*

B Cost of the project—$ 532 million—IDA assistance $ 200 million to be routed through ARDC.

C Financing programme (same as indicated in I. C).

D State co-operative land development banks, scheduled commercial banks and state co-operative banks

E Two years—closing date 31 December 1979.

F Formalities for making the credit effective have been completed.

3 A. Andhra Pradesh Agricultural Credit Project (226 IN).

B Cost of the project—$ 45 million—IDA assistance 24 4 million—$ 24 2 million to be routed through ARDC.

C. Financing minor irrigation investments, land development and farm mechanisation equipment

D Andhra Pradesh Co-operative Central Agricultural Development Bank Ltd and selected commercial banks

E Three years—closing date 30 June 1974 extended for farm mechansation equipments upto 30 June 1977.

F Project has been fully implemented by the end of June 1977—1277 tractors were financed under the project.

4. A. Andhra Pradesh Irrigation and Command Area Development Composite Project (ARDC Programme) (1251 IN)

LEGEND

A : Name of the Project . B . Cost of the Project, IDA/IBRD assitance and amount to be routed through ARDC.

C : Project description. D : Implementing agency E : Period of implementation. F . Progress of the Project.

*Indicates projects sanctioned in 1976-77.

STATEMENT—(*Contd.*)

B. Cost of the project—$ 297 million—IBRD assistance $ 145 million—$ 9 1 million to be routed through ARDC

C The project includes completion of the canal and drainage net works and construction of village road net works in Nagarjunasagar Project (NSP) and initiates Command Area Development (CAD) in NSP, Pochampad and Tungabhadra High Level Canal Command Areas

D Andhra Pradesh Co-operative Central Agricultural Development Bank and selected commerical banks

E. Closing date 31 December 1982.

F. ARDC has sanctioned land development programmes covering 30500 acres involving its commitment of Rs 2 3 crores

5 A Bihar Agricultural Credit Project (440 IN)

B. Cost of the Project—$ 60 million—IDA assistance $ 32 million to be routed through ARDC.

C Minor irrigation programme including shanking of tubewells, installation of diesel pumpsets for low lift pumping and surface water

D Bihar State Co-operative Land Development Bank and selected commercial banks

E Three years—closing date December 1976 since extended upto the end of June 1978

F The SLDB/PCBs have made disbursement of the order of Rs 20 crores The project area has since been extended to the entire state

6 A Bihar Market Yards Project (294 IN)

B Cost of the project—$ 23 3 million—IDA assistance $ 14 8 million—$ 13 8 million to be routed through ARDC

C For investments in market facilities in about 50 towns in Bihar including civil works such as construction of entrance roads, surfacing, fencing, godowns, traders' shops, etc

D. State Bank of India

E. Five years—closing date 31 December 1978

F ARDC has so far made disbursement of the order of Rs 5 crores

7 A Gujarat Agricultural Credit Project (191 IN)

B Cost of the project—$ 67 million—IDA assistance $ 35 million—$ 34 7 million to be provided through ARDC.

C Financing of minor irrigation investments and purchase of tractors

D Gujarat State Co-operative Land Development Bank

E Three years—closing date 30 June 1974 was extended upto 31 March 1975

F. The project has been fully implemented

8. A Gujarat Fisheries Project (695 IN)

B. Cost of the project—$ 38 million—IDA/IBRD assistance $ 18 million —$ 4.7 million to be routed through ARDC

C. The project envisages integrated development of fisheries in Gujarat and would comprise improvement of fishing harbours in Veraval and Mongrol, improvement of shore facilities, provision of credit towards fish processing units, ice plant and also assistance to traditional fisherman

D Yet to be finalised

E. Six years—closing date 30 June 1983

F. ARDC has completed all the formalities viz execution of side letter and furnishing of legal opinion The project has been declared as effective from 19 July 1977. banking plan under the project is being finalised

9 A Haryana Agricultural Credit Project (249 IN)

B Cost of the project—$ 62 2 million—IDA assistance $ 25 million to be routed through ARDC.

C Financing of 3 minor irrigation investments comprising installation of shallow tubewells and imported and indigenous farm mechanisation equipments viz tractors harvesters and self-propelled combines

D Haryana State Co-operative Land Mortgage Bank and selected commercial banks,

E Three years—closing date 31 March 1975 since extended up to 30 June 1977 for tractor component

F With the completion of the programme of financing of tractors, the project was fully implemented during the year, 4275 indigenous and 337 imported tractors were financed under the project

10. A Himachal Pradesh Apple Processing and Marketing Project (ARDG Programme) (456 IN).

B Cost of the Project—$ 21.3 million—IDA assistance $ 13 million—$ 5.4 million to be routed through ARDC

C To finance improvements in apple processing and marketing industry in Himachal Pradesh—Assistance will cover construction of packing houses, collecting station, cold storages, juce concentration plant etc. Erection of aerial rope ways and construction of new roads for transport of produce are also envisaged

D Selected commercial banks

E Four years—closing date 31 December 1978

F Proposals for establishment of packaging and grading centres with cold storages in 10 places have been sanctioned by ARDC

11. A. Integrated Cotton Development Project (610 IN)

B Cost of the project—$ 36 million—IDA assistance $ 18 million—$ 12 9 million to be routed through ARDC

C Provision of production credit for growing improved varieties of cotton, units for ginning of cotton and processing cotton seed, research of breed more suitable varieties, strengthening of extension training

D State co-operative banks and selected commercial Banks

F Five years—closing date 31 December 1981.

F ARDC had sanctioned for the kharif seson 1976-77 short-term credit limit totalling Rs 4 2 crores for growing improved varieties of cotton in the selected areas of Maharashtra Punjab and Haryana Certain proposals for the processing component in Haryana have been received in ARDC Two study teams have been constituted which include technical consultants for preparing feasibility reports in respect of cotton ginning and processing units

12 A Karnataka Agricultural Credit Project (278 IN)

B Cost of the project—$ 75 4 million—IDA assistance $ 40 million to be routed through ARDC

C Financing minor irrigation investments and land reclamation works and purchase of tractors and land reclamation equipments

D Karnataka State Co-operative Land Development Bank and selected commercial banks

E Three years—closing date 31 October 1975 since extended upto the end of June 1977

F Financing of minor irrigation component was completed earlier this year The purchase of farm mechanisation equipment was completed by June 1977 2914 tractors comprising 1757 indigenous tractors and 1157 imported tractors were financed under the project

13 A Karnataka Agricultural Wholesale Markets Project (378 IN).

B Cost of the project—$ 13 million—IDA assistance $ 8 million—$ 7 9 million to be routed through ARDC.

C Market facilities including civil works, structures, utilities, equipments, etc

D Selected commercial banks

E Five years—closing date December 1979

F. ARDC has approved 25 markets involving its commitment of Rs 4 crores So far the ARDC has disbursed Rs 93 lakhs under these schemes

14 A Karnataka Dairy Development Project (482 IN).

B Cost of the Project—$ 43 5 million—IDA assistance $ 30 million—$ 20 9 million to be routed through ARDC

C An integrated programme for increasing milk production in the rural areas of Karnataka State by Providing technical services for quality cross-breeding and animal health and development of facilities for milk collection processing and marketing,

D Karnataka State Co-operative Land Development Bank, Karnataka State Co-operative Apex Bank and selected Commercial banks.

E Eight years—closing date 30 September 1982

F Four dairy unions at Bangalore, Mysore, Tumkur and Hassan have been registered The Dairy Development Corporation has taken up the work of procurement of milk from dairy co-operatives established already.

15. A Kerala Agricultural Development Project (680 IN)*.

B Cost of the project—$ 69 million—IDA assistance $ 30 million—$ 20 8 million to be routed through ARDC

C The Project envisages development of tree crops such as coconut, pepper and cashew plantations. The project also would include the setting up of crumb rubber factories. The farmers would also be eligible for loans for minor irrigation investments.

D Kerala Central Land Mortgage Bank and selected commercial banks.

E. Eight years—closing date 31 March 1985.

F The credit became effective from 29 June 1977 on completion of all the formalities. ARDC has finalised a banking plan under the project and programme of lending of the order of Rs. 35 crores in the selected package units in 6 districts has been allocated to 9 banks

16. A. Madhya Pradesh Agricultural Credit Project (391 IN)

B Cost of the Project—$ 60 3 million—IDA assistance $ 33 million to be routed through ARDC.

C Financing of on-farm investment including construction of dugwells, improvement of existing wells, installation of electric and diesel pump sets and persian wheels and incidental land levelling

D. Madhya Pradesh State co-operative Land Development Bank and selected commercial banks

E Three years—closing date 31 December 1976.

F. The entire programme was fully implemented by the end of December 1976

17. A. Madhya Pradesh Dairy Development Project (522 IN).

B Cost of the project—$ 31 2 million—IDA assistance $ 16 4 million—$ 13 7 million to be routed through ARDC

C Construction of 3 dairy plants, cattle feed mills, cattle breeding farms, etc

D. Scheduled commercial banks.

E. Six years—closing date 30 June 1982.

F. Two schemes for financing technical services of Bhopal and Indore unions have been sanctioned. Proposal for bull breeding farm pertaining to Bhopal Union has also been cleared The financing under the project is expected to commence shortly

18 A Madhya Pradesh Chambal Command Area Development Project (562 IN)

B. Cost of the project—$ 45 8 million—IDA assistance $ 24 million—$ 3 1 million to be routed through ARDC

C Irrigation and drainage works, on farm development, infrastructure such as roads, ravine erosion control, mechanical equipment and technical assistance

D. Madhya Pradesh State Co-operative Land Development Bank and scheduled commercial banks

E. Three years—closing date 31 December 1979

F ARDC has given technical clearance for 8 schemes covering 1560 ha

19 A Maharashtra Agricultural Credit Project (293 IN).

B Cost of the project—$ 52 4 million IDA assistance $ 30 million—$ 25 4 million to be routed through ARDC

C Minor irrigation programme including financing of tubewells, lift irrigation units, dugwell improvements, energisation of wells and land levelling investments

D Maharashtra State Co-operative Land Development Bank and selected commercial banks

F Three years—closing date 31 December 1975 since extended upto 30 June 1976.

F. The entire programme was completed during 1975-76.

20 A Maharashtra Irrigation and Command Area Development Composite Project—Jayakwadi and Purna (ARDC programme).+

B Cost of the project—$ 140 million IDA assistance $ 70 million—$ 5.5 million to be routed through ARDC.

+Sanctioned in July 77.

C. The project is a continuation of irrigation development in the Jayakwadi and Purna Irrigation Scheme areas It would include provision of irrigation, roads and infrastructure and on-farm development The project is the IDA's first major irrigation involvement in the Drought Prone Central Deccan Region.

D Maharashtra State Land Development Bank and selected commercial banks.

E Four years—closing date 31 March 1983

F. The project was recently sanctioned by IDA.

21. A. National Seed Project (1273 IN).

B Cost of the project—$ 52 7 million—IBRD assistance $ 25 million—$ 18 2 million to be routed through ARDC

C The Project is the first phase for the development of a national seed programme covering 4 states It would provide assistance to the National Seeds Corporation to improve storage and marketing and for vegetable seed production and to university through ICAR Certified varieties of seed of the major cereals and certain cotton seed production have also been envisaged.

D Selected commercial banks

E Closing date 30 June 1981

F. The project became effective in October 1976 and the banking plan for investments under the project has been finalised

22 A Punjab Agricultural Credit Project (203 IN).

B Cost of the project—$ 40 million—IDA assistance $ 27.5 million to be routed through ARDC.

C Financing the purchase of imported and indigenous tractors, harvesters and self-propelled combines

D. Punjab State Co-oepriative Land Mortgage Bank and selected commercial banks.

E Two years—closing date which was originally stipulated as 31 December 1972 was extended from time to time upto the end of June 1977

F The project was fully implemented by the end of June 1977 7827 tractors were financed under the project comprising 4051 indigenous and 3776 imported tractors.

23 A. Chambal Command Area Development Project (Rajasthan) (ARDC Programme) (1011 IN).

B. Cost of the Project—$ 12 million—IBRD assistance $ 6 5 million to routed through ARDC.

C The project includes drainage lining of canals, increasing the capacity of canal, building up of or improving control structures, on-farm development including irrigation and drainage ditches, land shaping, construction of roads, afforestation, erosion control and supply of fertilizers.

D Selected commercial banks

E. Six years—closing date 30 June 1981

F Cost estimates relating to 13 catchment area works have been approved by ARDC. Work in two catchment areas has been completed ARDC has disbursed a sum of Rs 1 lakh under the project

24 A Rajasthan Canal Command Area Development Project (ARDC programme) (502 IN)

B. Cost of the project—$ 39.8 million—IDA assistance $ 22 5 million to be routed through ARDC

C. The project would cover lining of distributory canals, construction of roads, pasture development, afforestation, provision of fertilizer and on-farm development including land shaping reclamation and lining of water course.

STATEMENT 11 (*concld.*)

D Selected commercial banks.

E. Five years—Closing date 30 June 1981.

F. ARDC has technically cleared 621 chaks for implementation The programme of work has commenced in 379 chaks. The banks have availed themselves of refinance assistance of Rs. 186 lakhs

25. A. Rajasthan Dairy Development Project (521 IN).

B Cost of the project—$ 51.8 million— IDA assistance $ 27 7 million—$ 22 3 million to be routed through ARDC.

C Formation of about 1800 dairy co-operative societies grouped in 5 milk producers unions equipped with dairy and feed plants

D. State Land Development Bank, State Cooperative Bank and scheduled commercial banks

E. Seven years—closing date 31 December 1982

F. Four milk union viz Alwar, Jaipur, Ajmer, Bharatpur have been set up Milk collection and society formation have also started in Sawai Madhopur and Tonk district A farm for breeding of Jersey bulls has been set up in Bassi.

26. A Tamil Nadu Agricultural Credit Project (250 IN).

B Cost of the project—$ 62 3 million— IDA assistance $ 35 million—$ 31 million to be routed through ARDC.

C. Financing of minor irrigation investments including sinking of filter point wells, shallow and medium tubewells, land levelling, land drainage and purchase of tractors.

D Tamil Nadu State Co-operative Land Development Bank.

E Three years—clossing date originally stipulated as 31 December 1974 extended from time to time upto 31 December 1977.

F Minor irrigation component was completed during the previous year In 1976-77 the financing of tractor programme was fully implemented Of the 1627 tractors financed under the project, 1112 were indigenous tractors and the balance of 515 tractors were imported ones.

27 A. Tarai Seeds Project—Uttar Pradesh (614 IN)

B Cost of the project—$ 22 4 million—IBRD assistance $ 13 million—$ 9 million to be routed through ARDC

C Land development in the Tarai area of Uttar Pradesh with a view to increasing the availability of high yielding varieties of foodgrains

D. State Bank of India.

E Closing date 30 June 1974 extended from time to time upto 31 December 1977

F. The disbursements are being made for expansion of seed processing plant of the Tarai Development Corporation.

28. A Uttar Pradesh Agricultural Credit Project (392 IN).

B Cost of the project—$ 72 5 million—IDA assistance $ 38 million to be routed through ARDC.

C Financing of on-farm investment such as construction of tubewells, medium depth tubewells, persian wheels and installation of diesel and electric pumpsets.

D Uttar Pradesh State Co-operative Land Development Bank and selected commercial banks.

E Three years—closing date 31 December 1976 since extended upto the end of December 1977.

F The project area has been extended to the whole state The financing institutions have disbursed nearly Rs 40 crores under the project.

29. A. West Bengal Agricultural Development Project (541 IN).

B Cost of the project—$ 59 million— IDA assistance $ 34 million—$ 15 million to be routed through ARDC.

C Construction of shallow and deep tubewells, setting up of agro service centres, development of markets and completion of river lift irrigation units.

D. West Bengal State Co-operative Land Development Bank, selected commercial banks and West Bengal State Minor Irrigation Corporation

E Four years—closing date 31 March 1980

F. At the end of June 1977 ARDC has made disbursement of Rs. 4 2 crores under the project The project implementation is satisfactory.

STATEMENT 12

POSITION OF IBRD/IDA PROJECTS AS ON 30 JUNE 1977

Rs. lakhs

Project	Effective/ closing dates	Purpose	Total lending programme	Amount of IBRD/ IDA assistance admissible to ARDC	Agency	Disbursement by PLDBs/ PCBs@	Disbursement by ARDC	Amount received from Government of India
A IBRD PROJECTS								
1. Tarai Seeds Project (U.P)	(*a*) 12-9-69 (*b*) 30-6-74 (*c*) 31-12-77	LD	927	690	Com. Banks	263	193 2	164 —
2. Chambal Command Area Development Project (Rajasthan)	(*a*) 12-12-74 (*b*) 30-6-81	LD	619	520	Com Banks	3		
3 National Seed Project (A P, Haryana, Punjab & Maharashtra)	(*a*) Oct. 76 (*b*) 30-6-81		2169	1634		—	—	—
4. A P. Irrigation and Command Area Development composite Project	(*a*) 8-9-76 (*b*) 31-12-82		1241	819		—	—	—
			4956	3663		266	195	164

STATEMENT 12 (*Contd*)

POSITION OF IBRD/IDA PROJECTS AS ON 30 JUNE 1977

Rs. lakhs

Project	Effective/ closing dates	Purpose	Total lending pro-gramme	Amount of IBRD/ IDA assistance admis-sible to ARDC	Agency	Disburse-ment by PLDBs/ PCBs@	Disburse-ment by ARDC	Amount received from Govern-ment of India
B IDA PROJECTS								
I ARC Credit Project	(*a*) 5-8-75 (*b*) 31-12-77	MI Other purposes	11100 900	5520 400	SLDBs Com Banks SCBs	— — —	9490 2787 18 18	3637
			12000	5920			12295	3697
II ARDC Project II	(*b*) 31-12-79	MI Other purposes	28636 3927	15750 2160			—	—
			32563	17910				
III Integrated Cotton Development Project	(*a*) 24-8-76 (*b*) 31-12-81							
		S T. crop loan for cotton	889	600	SCB	—	—	—
		Cotton Ginning &Seed Processing	720	432	Com. Banks	5	5	—
			1609	1032		5	5	—
IV Agricultural Credit Projects								
1. Andhra Pradesh	(*a*) 10-5-71 (*b*) 30-6-74 (*c*) 30-6-77	MI	2111	1393	SLDB Com Banks	2014 97	1776 88	
		LD	230	154	SLDB	230	151	1677
		FM	806	431	SLDB Com. Banks	600 183	260 136	
			3147	1978		3124	2411	1677
2. Bihar	(*a*) 29-3-74 (*b*) 31-12-76 (*c*) 30-6-78	MI	4473	2728	SLDB	1676	1540	1147
					Com. Banks	356	321	
			4473	2728		2032	1861	1147
3. Gujarat	(*a*) 14-9-70 (*b*) 30-6-74 (*c*) 31-3-75	MI	4027	2344	SLDB	4027	3635	2608
		FM	351	182	SLDB	319	233	
			4378	2526		4346	3868	2608
4. Haryana	(*a*) 2-11-71 (*b*) 31-3-75 (*c*) 30-6-77	MI	1962	903	SLDB Com Banks	2841 76	1894 64	1950
		FM	1433	1002	SLDB Com. Banks	660 1060	468 792	
			3395	1905		4637	3218	1950

STATEMENT 12 (*Contd*)

POSITION OF IBRD/IDA PROJECTS AS ON 30 JUNE 1977

Rs lakhs

Project	Effective/ closing dates	Purpose	Total lending pro-gramme	Amount of IBRD/ IDA assistance admis-sible to ARDC	Agency	Disburse-ment PLDBs/ PCBs(@)	Disburse-ment by ARDC	Amount received from Govern-ment of India
5. Karnataka	(*a*) 25-9-72 (*b*) 31-12-75 (*c*) 30-6-77	MI and Well ings	3070	2057	SLDB	3122	2795	3202
					Com. Banks	187	128	
		LD	525	315	SLDB	256	185	
		LR Equip.	105	105	Com. Banks	4	3	
		FM	1575	1008	SLDB	680	450	
					Com. Banks	960	777	
			5275	3485		5209	4338	3202
6. Kerala	(*a*) 1-4-77 (*b*) 31-3-85	Tree crops and MI	2700	1872	SLDB Com Banks	—	—	—
			2700	1872				
7. Madhya Pradesh	(*a*) 10-10-73 (*b*) 31-12-76	MI (including LD)	4003	2619	SLDB	2930	2532	2649
					Com. Banks	2112	1866	
			4003	2619		5042	4398	2649
8. Maharashtra	(*a*) 31-1-73 (*b*) 31-12-75 (*c*) 30-6-76	MI	3690	3664	SLDB	3475	3140	2558
					Com. Banks	187	178	
		LD	226	226	SLDB	226	170	
		FM	211	148	SLDB	190	143	
			4127	4038		4078	3631	2558
9. Punjab	(*a*) 4-9-70 (*b*) 31-12-73 (*c*) 30-6-77	FM	4000	2380	SLDB	1000	750	1438
					Com Banks	2228	1664	
			4000	2380		3228	2414	1438
10. Tamil Nadu	(*a*) 2-11-71 (*b*) 31-12-74 (*c*) 31-12-77	MI	3001	1861	SLDB	3001	2781	2408
		LD	88	61	SLDB	88	66	
		FM	780	492	SLDB	821	616	
					Com Banks	29	22	
		Earth moving machinery	243	243	Com. Banks	46	35	
			4112	2657		3985	3520	2408
11 Uttar Pradesh	(*a*) 31-10-73 (*b*) 31-12-76 (*c*) 31-12-77	MI	5891	3565	SLDB	3826	3443	2089
					Com. Banks	1181	945	
			5891	3565		5007	4388	2089
12. West Bengal	(*a*) 28-8-75 (*b*) 31-3-80	MI	2197	1206	SLDB	205	184	191
					Com Banks	246	221	
		FM	171	90	Com. Banks	9	8	
		S &M	96	54		3	3	
			2464	1350		463	416	191
TOTAL IV (1 to 12)			47965	31103		41151	34463	21917

STATEMENT 12 (*Concld*)

POSITION OF IBRD/IDA PROJECTS AS ON 30 JUNE 1977

Rs lakhs

	Project	Effective/ closing dates	Purpose	Total lending programme	Amount of IBRD/ IDA assistance admissible to ARDC	Agency	Disbursement by PLDBs/ PCBs@	Disbursement by ARDC	Amount received from Government of India
V. Other Projects									
1	Bihar Market Yards Project	(*a*) 31-7-72 (*b*) 30-6-78 (*c*) 31-12-78		1680	1133	Com. Banks	515	463	261
2	Chambal Command Area Development Project (M P.)	(*a*) 18-9-75 (*b*) 31-12-79		277	177		—	—	—
3.	Himachal Pradesh Apple Processing & Marketing Project	(*a*) 26-9-74 (*b*) 31-12-78		608	488		—	—	—
4.	Karnataka Agricultural Whole sale Markets Project	(*a*) 7-9-73 (*b*) 31-12-79		891	713	Com. Banks	126	93	66
5.	Karnataka Dairy Development Project	(*a*) 23-12-74 (*b*) 30-9-72		2497	1881		—	—	—
6	Madhya Pradesh Dairy Development Project	(*a*) 23-7-75 (*b*) 30-6-82		1563	1227	Com Banks	—	—	—
7.	Rajasthan Canal Command Area Development Project	(*a*) 12-12-74 (*b*) 30-6-81		2395	1800		232	186	—
8.	Rajasthan Dairy Development Project	(*a*) 8-8-75 (*b*) 31-12-82		2175	1784		—	—	—
9	Gujarat Fisheries	(*a*) 19-7-77 (*b*) 30-6-83		1620	423		—	—	—
10	Maharashtra Irrigation CAD	(*b*) 31-3-83		825	495	SLDB & Com. Banks	—	—	—
				14531	10121		873	742	327
	GRAND TOTAL (A+B)			113624	69749		42295	47700	26045

@ Latest available data

N. B Effective/closing dates

(*a*) Effective date

(*b*) Closing date

(*c*) Revised closing date

STATEMENT 13

DISBURSEMENT DURING 1976-77 ACCORDING TO STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State/Union Territory	Agency	Purpose	Total amount of debentures floated/loans issued	Debentures subscribed to/ loans disbursed by ARDC	Contribution of State Governments/ Banks
I. NORTHERN REGION					
Delhi	Com. Banks	Farm mechanization	9	7	2
		Dairy development	4	3	1
			13	10	3
Haryana	SLDB	Minor irrigation	604	544	60
		Land development	32	24	8
		Farm mechanization	352	264	88
	Com Banks	Minor irrigation	513	410	103
		Farm mechanization	508	380	128
		Poultry	3	3	—
		Dairy development	4	3	1
		Storage & market yards	174	139	35
		ICDP	3	3	—
			2193	1770	423

STATEMENT 13 (*Contd.*)

DISBURSEMENT DURING 1976-77 ACCORDING TO STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State/Union Territory	Agency	Purpose	Total amount of debentures floated/loans issued	Debentures subscribed to/ loans disbursed by ARDC	Contribution of State Governments/ Banks
Himachal Pradesh	SLDB	Plantation/Horticulture	3	2	1
Jammu & Kashmir	SLDB	Farm mechanization	9	6	3
Punjab	SLDB	Minor irrigation	146	131	15
		Land development	109	90	19
		Farm mechanization	430	322	108
	Com. Banks	Minor irrigation	142	115	27
		Farm mechanization	1321	992	329
		Dairy development	32	23	9
		Storage & market yards	68	54	14
		ICDP	2	2	—
	SCB	Farm mechanization	2	2	—
			2252	1731	521
Rajasthan	SLDB	Minor irrigation	354	318	36
		Land development	8	6	2
		Plantation/Horticulture	4	3	1
	Com. Banks	Minor irrigation	96	79	17
		Land development	217	174	43
		Farm mechanization	130	97	33
		Dairy development	26	18	8
		Storage & market yards	116	92	24
			951	787	164
II NORTH-EASTERN REGION					
Assam	Com. Banks	Minor irrigation	15	12	3
		Farm mechanization	3	3	—
		Plantation/Horticulture	42	37	5
		Dairy development	2	2	—
		Storage & market yards	19	16	3
			81	70	11
Manipur	Com. Banks	Farm mechanization	9	8	1
Nagaland	Com. Banks	Storage & market yards	2	1	1
	SCB	Land development	2	2	—
			4	3	1
Tripura	Com Banks	Minor irrigation	2	2	—
III EASTERN REGION					
Bihar	SLDB	Minor irrigation	780	702	78
		Farm mechanization	66	60	6
		Plantation/Horticulture	2	2	—
	Com. Banks	Minor irrigation	731	656	75
		Farm mechanization	91	82	9
		Storage & market yards	200	179	21
		Forestry	22	15	7
			1892	1696	196
Orissa	SLDB	Minor irrigation	356	320	36
		Land development	8	7	1
		Farm mechanization	3	3	—
		Plantation/Horticulture	33	27	6
	Com. Banks	Minor irrigation	141	127	14
		Land development	8	6	2
		Farm mechanization	1	1	—
		Storage & Market yards	2	2	—
	SCB	Minor irrigation	72	72	—
			624	565	59

STATEMENT 13 (*Contd*)

DISBURSEMENT DURING 1976-77 ACCORDING TO STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State/Union Territory	Agency	Purpose	Total amount of debentures floated/loans issued	Debentures subscribed to/ loans disbursed by ARDC	Contribution of State Governments/ Banks
West Bengal	SLDB	Minor irrigation	311	279	32
		Plantation/Horticulture	2	2	—
	Com Banks	Minor irrigation	312	283	29
		Farm mechanization	11	10	1
		Plantation/Horticulture	7	6	1
		Dairy development	3	3	—
		Storage & Market yards	8	7	1
			654	590	64
IV. *CENTRAL REGION*					
Madhya Pradesh	SLDB	Minor irrigation	1690	1521	169
		Land development	19	14	5
	Com. Banks	Minor irrigation	983	882	101
		Farm mechanization	205	153	52
		Dairy development	1	1	—
		Storage & Market yards	30	25	5
		Forestry	4	3	1
	SCB	Storage & Market yards	11	11	—
			2943	2610	333
Uttar Pradesh	SLDB	Minor irrigation	2224	2003	221
		Plantation/Horticulture	7	6	1
	Com. Banks	Minor irrigation	488	426	62
		Land development	40	28	12
		Farm mechanization	1198	958	240
		Dairy development	48	38	10
		Storage & Market yards	326	261	65
			4331	3720	611
V. *WESTERN REGION*					
Goa	Com Banks	Poultry	2	1	1
		Fisheries	11	8	3
	SCB	Fisheries	20	15	5
			33	24	9
Gujarat	SLDB	Minor irrigation	124	112	12
	Com Banks	Minor irrigation	90	70	20
		Farm mechanization	184	140	44
		Fisheries	2	2	—
		Dairy development	75	58	17
		Storage & Market yards	26	20	6
			501	402	99
Maharashtra	SLDB	Minor irrigation	1425	1283	142
		Plantation/Horticulture	17	13	4
	Com Banks	Minor irrigation	275	230	45
		Farm mechanization	283	211	72
		Plantation/Horticulture	1	1	—
		Poultry	35	26	9
		Fisheries	8	5	3
		Dairy development	207	133	74
		Storage & Market yards	27	22	5
	SCB	Fisheries	4	4	—
			2282	1928	354

STATEMENT 13 (*Contd.*)

DISBURSEMENT DURING 1976-77 ACCORDING TO STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State/Union Territory	Agency	Purpose	Total amount of debentures floated/loans issued	Debentures subscribed to/ loans disbursed by ARDC	Contribution of State Governments/ Banks
VI. *SOUTHERN REGION*					
Andhra Pradesh	SLDB	Minor irrigation	1469	1326	143
		Land development	52	39	13
		Farm mechanization	478	359	119
		Plantation/Horticulture	16	12	4
		Poultry/Sheep breeding	5	3	2
		Dairy development	4	3	1
	Com. Banks	Minor irrigation	112	92	20
		Farm mechanization	224	167	57
		Poultry/Sheep breeding	30	23	7
		Fisheries	18	14	4
		Dairy development	70	56	14
		Storage & Market yards	36	28	8
			2514	2122	392
Karnataka	SLDB	Minor irrigation	1303	1181	122
		Land development	42	32	10
		Farm mechanization	193	145	48
		Plantation/Horticulture	232	173	59
	Com. Banks	Minor irrigation	123	97	26
		Farm mechanization	538	396	142
		Plantation/Horticulture	50	39	11
		Poultry	8	6	2
		Fisheries	47	37	10
		Dairy development	1	1	—
		Storage & Market yards	98	75	23
	SCB	Storage & Market yards	8	8	—
			2643	2190	453
Kerala	SLDB	Land development	3	2	1
		Plantation/Horticulture	78	58	20
	Com. Banks	Minor irrigation	22	19	3
		Land development	128	128	—
		Farm mechanization	6	5	1
		Plantation/Horticulture	3	3	—
		Fisheries	35	28	7
		Dairy development	5	4	1
			280	247	33
Tamil Nadu	SLDB	Minor irrigation	1004	903	101
		Farm mechanization	441	331	110
		Plantation/Horticulture	51	38	13
	Com. Banks	Minor irrigation	20	16	4
		Land development	47	35	12
		Farm mechanization	108	75	33
		Plantation/Horticulture	134	94	40
		Fisheries	104	83	21
		Poultry	3	2	1
		Sheep breeding	3	2	1
		Dairy development	11	8	3
		Storage & Market yards	17	12	5
			1943	1599	344
TOTAL (I to VI)			26157	22082	4075

STATEMENT 14

SCHEMES UNDER CONSIDERATION AS ON 30 JUNE 1977

Region/State/ Union Territory	No of schemes under consideration		
	Total	Complete in most respects	Additional data required
I *NORTHERN REGION*			
Chandigarh	1	1	—
Delhi	1	1	—
Haryana	22	2	20
Himachal Pradesh	5	2	3
Punjab	29	1	28
Rajasthan	24	7	17
	82	14	68
II. *NORTH-EASTERN REGION*			
Assam	7	2	5
Meghalaya	1	1	—
Tripura	1	1	—
	9	4	5
III *EASTERN REGION*			
Bihar	21	6	15
Orissa	17	1	16
West Bengal	38	11	27
	76	18	58
IV. *CENTRAL REGION*			
Madhya Pradesh	63	4	59
Uttar Pradesh	7	7	—
	70	11	59
V. *WESTERN REGION*			
Goa	4	1	3
Gujarat	52	14	38
Maharashtra	156	31	125
	212	46	166
VI. *SOUTHERN REGION*			
Andhra Pradesh	82	9	73
Karnataka	138	9	129
Kerala	30	6	24
Tamil Nadu	42	10	32
	292	34	258
TOTAL (I to VI)	741	127	614

STATEMENT 15

LIST OF SHAREHOLDERS AS ON 30 JUNE 1977

I RESERVE BANK OF INDIA

II STATE LAND DEVELOPMENT BANKS (19)

1 Andhra Pradesh Co-operative Central Agricultural Development Bank Ltd
2 Assam Co-operative Land Mortgage Bank Ltd.
3 Bihar Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Simit
4. Gujarat State Co-operative Land Development Bank Ltd.
5 Haryana State Co-operative Land Development Bank Ltd
6 Himachal Pradesh Central Co-operative Land Mortgage Bank Ltd
7 Jammu & Kashmir Co-operative Central Land Mortgage Bank Ltd
8 Karnataka State Co-operative Land Development Bank Ltd
9 Kerala Co-operative Central Land Mortgage Bank Ltd
10 Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd
11 Maharashtra State Co-operative Land Development Bank Ltd
12 Orissa State Co-operative Land Development Bank Ltd
13 Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd
14 Punjab State Co-operative Land Mortgage Bank Ltd
15 Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.
16 Tamil Nadu Co-operative State Land Development Bank Ltd.
17 Tripura Co-operative Land Mortgage Bank Ltd
18. Uttar Pradesh Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.
19 West Bengal Central Co-operative Land Development Bank Ltd

III STATE CO-OPERATIVE BANKS (24)

1. Andhra Pradesh State Co-operative Bank Ltd
2 Assam Co-operative Apex Bank Ltd.
3 Bihar State Co-operative Bank Ltd
4 Delhi State Co-operative Bank Ltd.
5 Goa State Co-operative Bank Ltd
6 Gujarat State Co-operative Bank Ltd.
7 Haryana State Co-operative Bank Ltd
8 Himachal Pradesh State Co-operative Bank Ltd
9. Jammu & Kashmir State Co-operative Bank Ltd
10 Karnataka State Co-operative Apex Bank Ltd
11 Kerala State Co-operative Bank Ltd
12. Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank Maryadit
13 Maharashtra State Co-operative Bank Ltd
14 Manipur State Co-operative Bank Ltd
15 Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd.
16 Nagaland State Co-operative Bank Ltd
17 Orissa State Co-operative Bank Ltd
18 Pondicherry State Co-operative Bank Ltd
19 Punjab State Cooperative Bank Ltd
20 Rajasthan State Co-operative Bank Ltd
21 Tamil Nadu State Co-operative Bank Ltd
22 Tripura State Co-operative Bank Ltd
23 Uttar Pradesh Co-operative Bank Ltd
24 West Bengal State Co-operative Bank Ltd.

IV SCHEDULED COMMERCIAL BANKS (62)

1 State Bank of India
2 State Bank of Bikaner and Jaipur
3 State Bank of Hyderabad
4 State of Indore
5 State Bank of Mysore
6 State Bank of Patiala
7 State Bank of Saurashtra
8 State Bank of Travancore
9 Allahabad Bank
10 Bank of Baroda
11 Bank of India
12 Bank of Maharashtra
13 Canara Bank
14 Central Bank of India
15 Dena Bank
16 Indian Bank
17 Indian Overseas Bank
18 Punjab National Bank
19. Syndicate Bank
20. Union Bank of India
21 United Bank of India
22 United Commercial Bank
23 Andhra Bank Ltd
24 Bank of Karad Ltd
25 Bank of Madura Ltd
26 Bank of Rajasthan Ltd.
27 Bareilly Corporation (Bank) Ltd.
28 Benares State Bank Ltd.
29 Catholic Syrian Bank Ltd.
30. Corporation Bank Ltd
31. Federal Bank Ltd.
32. Hindustan Commercial Bank Ltd.
33 Jammu & Kashmir Bank Ltd
34 Karnataka Bank Ltd.
35. Karur Vysya Bank Ltd.
36. Kumbakonam City Union Bank Ltd.
37 Lakshmi Commercial Bank Ltd.
38 Laxmi Vilas Bank Ltd.
39 Lord Krishna Bank Ltd.
40 Nedungadi Bank Ltd.
41 New Bank of India Ltd
42 Oriental Bank of Commerce Ltd.
43 Punjab & Sind Bank Ltd
44 Purbanchal Bank Ltd
45 Ratnakar Bank Ltd.
46 Sangli Bank Ltd.
47 South Indian Bank Ltd
48 Tamilnad Mercantile Bank Ltd
49 United Industrial Bank Ltd
50 United Western Bank Ltd
51 The Bank of Thanjavur Ltd.
52 Vijaya Bank Ltd
53 Vysya Bank Ltd
54. Algemene Bank Netherlands N V.
55 American Express International Banking Corporation
56 Bank of America National Trust and Savings Association
57 Bank of Tokyo Ltd.

58 Banque National De Paris
59. Chartered Bank
60. Grindlays Bank Ltd.
61 Mercantile Bank Ltd
62 Mitsui Bank Ltd

V RURAL BANKS (17)

1. Bhojpur Rohtas Gramin Bank
2 Bolangir Anchalic Gramya Bank
3 Champaran Kshetriya Gramin Bank
4. Gorakhpur Kshetriaya Granun Bank
5 Gaur Gramin Bank, Malda
6 Haryana Kshetriya Gramin Bank
7 Jaipur Nagaur Anchalic Gramin Bank
8 Kshetriya Gramin Bank (Hoshangabad)
9 Mallabhum Gramin Bank
10 Marathwada Grameen Bank
11 Nagarjuna Grameen Bank
12 Puri Gramya Bank
13 Rae Bareilly Kshetriya Gramin Bank
14 Samyut Kshetriya Granun Bank
15 Tungabhadra Gramin Bank
16. Bilaspur Raipur Kshetriya Gramin Bank*
17. Koraput Panchabati Gramya Bank

VI LIFE INSURANCE CORPORATION, INSURANCE AND INVESTMENT COMPANIES ETC. (6)

1 General Insurance Corporation of India
2 Life Insurance Corporation of India
3 National Insurance Company Ltd
4 New India Assurance Company Ltd
5 Oriental Fire and General Insurance Company Ltd.
6 United India Fire & General Insurance Company Ltd

REPORT OF THE AUDITORS

We have examined the annexed Balance Sheet of the Agricultural Refinance and Development Corporation as at 30th June, 1977 and also the annexed Profit and Loss Account of the Corporation for the year ended upon that date, and report that

1. We have obtained all the information and explanations which we have required and have found them to be satisfactory

2 In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Corporation the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing all necessary particulars and properly drawn up in accordance with the Act and the General Regulations of the Corporation, so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Corporation

BATLIBOI & PUROHIT
Chartered Accountants

24 August 1977

National Insurance Building
Dadabhoy Naoroji Road
Bombay 400 001

AGRICULTURAL REFINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

LIABILITIES				As at 30-6-1976
	Rs P	Rs P	Rs P	
1. *Capital*				
Authorised 50,000 shares of Rs 10,000 each		50,00,00,000 ·00		25,00,00,000 ·00
Issued, Subscribed and Paid-up 35,000 shares of Rs. 10,000 each paid up		35,00,00,000 ·00		25,00,00,000 ·00
2. *Reserves and Surplus*				
Reserve Fund				
Balance as per last Balance Sheet (Note 1)	4,39,51,000 00			2,72,36,000 ·00
Add (i) 25% of current profit transferred [In terms of Section 36(1) (viii) of the Income Tax Act, 1961]	1,96,50,000 ·00			59,47,000 ·00
(ii) Transfer from Profit and Loss Account	75,15,000 ·00			1,07,68,000 ·00
		7,11,16,000 ·00		4,39,51,000 ·00
Profit and Loss Account				
Profit brought forward	830 ·18			332 ·71
Profit for the year	2,48,53,401 ·83			2,16,82,773 ·43
	2,48,54,232 ·01			2,16,83,106 ·14
Less Transferred to Reserve Fund	75,15,000 00			1,07,68,000 ·00
	1,73,39,232 ·01			1,09,15,106 14
Transferred to Provision for Dividends	1,73,39,041 10			1,09,14,275 ·96
		190 ·91		830 18
3. *Special Deposit*		2,92,09,060 ·85		2,29,98,510 92
4. *Payments by Central Government in respect of Guaranteed Dividend*		—		—
5. *Bonds and Debentures*				
5½% ARDC Bonds 1982 I Series	10,93,77,000 00			
5½% ARDC Bonds 1982 II Series	8,52,50,000 00			
5½% ARDC Bonds 1984 III Series	8,25,00,000 ·00			
5½% ARDC Bonds 1985 IV Series	11,00,00,000 00			
5½% ARDC Bonds 1985 V Series	16,50,00,000 ·00			
5½% ARDC Bonds 1986 VI Series	11,00,00,000 ·00			
6% ARDC Bonds 1984 VII Series	16,50,00,000 00			
6% ARDC Bonds 1985 VIII Series	16,50,00,000 00			
6% ARDC Bonds 1985 IX Series	11,00,00,000 00			
6% ARDC Bonds 1986 X Series	27,50,00,000 ·00			
6% ARDC Bonds 1987 XI Series	16,50,00,000 ·00			
6% ARDC Bonds 1987 XII Series	27,50,00,000 ·00			
		181,71,27,000 00		137,71,27,000 ·00
6 *Loans from the Central Government*				
(a) Under Section 19 of the Act	5,00,00,000 ·00			5,00,00,000 ·00
(b) Other Loans	335,00,68,445 00	340,00,68,445 ·00		245,09,30,955 00
				250,09,30,955 ·00
7. *Other Borrowings*				
(a) From the Reserve Bank of India				
(i) Long-term	172,60,00,000 00			138,40,00,000 ·00
(ii) Short-term	—			1,70,00,000 00
		172,60,00,000 ·00		140,10,00,000 ·00
(b) From others				
(i) In India	—	—		—
(ii) Outside India	—	—		—
8 *Fixed Deposits*				
(a) For special Loan Account from				
(i) Central Government	1,00,00,000 00			—
(ii) State Governments	52,18,000 00	1,52,18,000 00		—
(b) Others	—	—		—
Carried Forward		740,87,38,696 76		559,60,08,296 10

BALANCE SHEET AS AT 30 JUNE, 1977

ASSETS				As at 30-6-1976
	Rs P	Rs P		Rs P
1. *Cash*				
(*a*) In hand	4,186 64			3,939·82
(*b*) With Reserve Bank of India	23,28,026 56			36,57,208 97
(*c*) With others .				
(*i*) In India	1,04,202·82			68,308 46
(*ii*) Outside India	—			—
		24,36,416·02		37,29,457 25
2 *Loans*				
(*a*) By way of refinance	196,76,07,839 00			123,56,90,206·00
(*b*) Others	—			—
Less : Provision for Bad & Doubtful Debts	—			—
		196,76,07,839 00		1,23,56,90,206·00
3. *Debentures*		525,44,47,248·93		425,81,86,776·13
4. *Investment in Central Government Securities* (At Cost)		2,43,82,362 00		—
5. *Interest Accrued on Investments*		6,16,797·50		—
6 *Other Assets*				
(*a*) Furniture, Fixture and Fittings, Office Equipment, etc (Cost upto 30-6-1976)	16,58,243·00			13,95,999 08
Adds . Additions during the year	5,29,441·44			2,62,243 92
	21,87,684 44			16,58,243·00
Less : Items sold/adjusted	8,340 53			—
	21,79,343 91			16,58,243·00
Less. Depreciation to date	7,44,320 63			5,71,726·51
	14,35,023 28			10,86,516·49
(*b*) Deposits with Government Departments and other institutions	1,92,971·16			1,59,216·66
(*c*) Sundry Advances	1,71,48,632·46			24,35,703 76
(*d*) Interest accrued on loans by way of refinance	6,97,23,790 52			3,29,68,214·49
(*e*) Interest accrued on debentures	20,57,18,034·22			15,84,58,701·37
(*f*) Discount on ARDC Bonds	98,07,111·11			65,62,111·11
		30,40,25,562 75		20,16,70,463·88
Carried Forward		755,35,16,226·20		569,92,76,903 26

AGRICULTURAL REFINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

	LIABILITIES				As at 30-6-1976	
		Rs	P	Rs	P	Rs	P
	Brought forward			740,87,38,696	76	559,60,08,296	10
9	*Provision for Dividends*						
	(Amount transferred from Profit and Loss Account) ..			1,73,39,041	10	1,09,14,275	96
10.	*Provision for Taxation* (Note 2)			3,03,80,887	00	2,20,10,240	00
11.	*Other Liabilities*						
	Sundry Creditors	1,07,26,319	33			93,53,711	42
	Interest accrued but not due on .						
	(*a*) Loans from Central Government	6,47,87,347	25			4,28,27,814	88
	(*b*) Bonds and Debentures	2,15,43,934	76			1,81,62,564	90
				9,70,57,601	34	7,03,44,091	20
	Contingent Liabilities :						
	(*a*) On account of guarantees given against deferred payments in connexion with purchase of capital goods from outside India		—		—		—
	(*b*) Others		—		—		—
	Total Rupees			755,35,16,226	20	569,92,76,903	26

Notes 1. Includes Special Reserve Fund in term of Section 36(1) (viii) of the Income-tax Act, 1961—Rs. 2,29,44,000/- (Previous year Rs 1,70,97,000/-)

2. Provision for Taxation is after adjustment of advance tax paid and tax deducted at source.

As per our Report of even date attached

S. G. V. Ramanan
Director
Funds & Accounts

Bombay, 16 *August* 1977

BATLIBOI, & PUROHIT
Chartered Accountants

Bombay, 24 *August* 1977

BALANCE SHEET AS AT 30 JUNE, 1977

ASSETS	Rs P	*As at* 30-6-1976 Rs P
Brought forward ..	755,35,16,226 20	569,92,76,903 ·26
Total Rupees	755,35,16,226 ·20	569,92,76,903 ·26

J. J NAIDU
B S. VISHWANATHAN
VEERSHETTY KUSHNOOR
K. MADHAVA DAS
} *Directors*

M. A. CHIDAMBARAM *Managing Director*

Bombay, 23 *August* 1977

AGRICULTURAL REFINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

			Previous year	
		Rs P	Rs	P
1	Interest Paid	30,62,81,124 19	22,05,88,274	32
2.	Salaries and allowances	1,35,50,800 68	1,16,51,817	58
3	Contribution to Staff Provident, Pension and other Funds	11,36 786 43	9,59,648	47
4	Directors' and Committee Members' Fees	1 100 00	1,200	00
5	Travelling and other Allowances in connexion with Directors' and Committee Members' Meetings	55 573 65	29 788	50
6	Rent, Rates Insurance, Lighting etc	12,94 (40 42	9,22,594	46
7	Travelling Expenses	8,40 760 75	6,66,010	75
8	Printing and Stationery	5 06,819 17	2 25,239	52
9	Postage, Telegrams and Telephones	3,25 918 04	2 70,494	08
10	Repairs to Property	39 716 07	34,293	76
11	Auditors Fees	12,500 00	10,000	00
12	Legal Charges	15,020 30	16,357	49
13	Miscellaneous Expenses (Note 1)	66 13,426 63	50,92,149	72
14	Depreciation	1,77 817 75	1,35,107	51
15.	Loss on Sale of Investments	1,67 826 50		—
16	Transfer to Special Reserve being 25% of the current profit [in terms of Section 36 (1) (viii) of the Income Tax Act, 1961]	1,96,50,000 00	57,47,000	00
17.	Provision for Taxation	3,40,03,150 00	3,09,07,550	00
18	Net Profit carried to Balance Sheet	2,48,53,401 83	2,16,82,773	43
	Total Rupees	40,95,26,382 41	29,91,40,299	59

Notes : 1. Includes (i) Stamp duty on Bonds and Shares Rs 44,00,000 00
and (ii) Bond Discount VII to XII Series Rs 11,55,000 00

2. Includes Discount received on debentures subscribed to Rs 33,604·20

S. G. V. Ramanan
Director
Funds & Accounts

Bombay, 16 *August* 1977

As per our Report of even date attached
BATLIBOI & PUROHIT
Chartered Accountants

Bombay, 24 *August* 1977

FOR THE YEAR ENDED ON 30 JUNE, 1977

					Previous Year	
		Rs	P	Rs	P	Rs	P
1.	*Interest Received*						
	(*a*) On Loans and Debentures	39,98,89,797	08			28,72,57,524	74
	(*b*) On Investments (Net) (Tax deducted at source Rs. 29 68,436)	95,06,583	79			89,04,145	17
	(*c*) On Deposit with IDBI	47,551	89			—	
	(*d*) On other Deposits	45,535	50			—	
				40,94,89,468	26	29,61,61,669	91
2	*Discount, Commission etc*	—		—		—	
3.	*Other Items*						
	(*a*) Share Transfer Fees	8	00			2	00
	(*b*) Miscellaneous Receipts (Note 2)	36,906	15			31,565	68
	(*c*) Commitment Charges	—				5,052	0
	(*d*) Profit on Sale of Investments	—				29,42,010	00
				36,914	15	29,78,629	68
	Total Rupees			40,95,26,382	41	29,91,40,299	59

(Previous Year Rs 38,50,182 00)
(Previous Year Rs 4,39,388 89)
(Previous Year Rs 30,822 35)

Bombay, 23 August 1977

I J NAIDU
B. S VISHWANATHAN
VEERSHETTY KUSHNOOR
K MADHAVA DAS
} *Directors*

M A CHIDAMBARAM *Managing Director*

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977